Monday, 22 August, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-92
Fumigated
On 4.7.89
Parliament Library

[खंड 58 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 20—सोमवार, 22 अगस्त, 1966/31 श्रावण, 1888 (शक)

No. 20—Monday, August 22, 1966/Sravana 31, 1888 (Saka)

विषय SUBJECT

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

			पृष्ठ/PAGES
569.	मई-जून 1966 में वैदेशिक कार्य मन्त्री की विदेश यात्रा	Foreign Minister's Visit Abroad in May-June, 1966	1—5
570.	अफगानिस्तान के लिये आर्थिक सहायता कार्यक्रम	Economic aid programme for Afghanistan ..	5—6
571.	विद्रोही नागाओं द्वारा मतदाताओं पर गोली चलाया जाना	Firing on Voters by Naga Rebels ..	7—9
572.	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बारे में अमरीकी प्रतिरक्षा सचिव का वक्तव्य	Statement of U. S. Defence Secretary on Indo-Pak. Conflict	9—12
574.	पाकिस्तान द्वारा कसूर नाला चौड़ा किया जाना	Widening of Kasur Nallah by Pakistan	13—14
575.	नागालैंड में स्थिति	Situation in Nagaland	14—15
576.	चीन के विस्तारवाद को रोकने के बारे में अमरीकी प्रतिरक्षा सचिव का वक्तव्य	Statement of U. S. Defence Secretary re. containment of China	15—18

अ० सू० प्र० संख्या

S. N. Q. No.

14.	कोचीन पत्तन के गोदी श्रमिक	Dock Labourers at Cochin Harbour ..	18—19

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
577. पाकिस्तान द्वारा खाली किये क्षेत्रों में सुरगों का फटना	Explosion of Mines in Areas evacuated by Pakistan	19—20
578. वैदेशिक कार्य मन्त्रालय से नागालैण्ड के विषय का हस्तान्तरण	Transfer of Subject of Nagaland from External Affairs Ministry	20
579. ऐवरो 748 विमान	Avro-748 Planes	20
580. भारतीय वायु सेना द्वारा विदेशी केडिटों को प्रशिक्षण	Training to Foreign Cadets by I.A.F.	21
581. भारत को कल पुर्जों (कम्पोनेंट्स) की सप्लाई पर प्रतिबन्ध	Embargo on Supply of Components to India	21—22
582. प्रतिरक्षा व्यय पर अवमूल्यन का प्रभाव	Effect of Devaluation on Defence Expenditure	22
583. सर्वेक्षण कार्य के कारण किसानों को हुई क्षति के लिये प्रतिकर	Compensation to Farmers for damage on account of Survey work	22—23
584. आकाशवाणी का दैनिक मूल्य विवरण (बुलेटिन)	A. I. R. Daily Price Bulletin	23
585. रूस द्वारा पाकिस्तान को आर्थिक सहायता	Soviet Economic aid for Pakistan	23—24
586. भारतीय सेनाओं में मद्य निषेध	Prohibition in Indian Armed Forces	24
587. मैसूर राज्य में योजनाएं	Schemes in Mysore State	25
588. दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों की बैठक	Chief Ministers' Meeting at Delhi	25
590. पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा भारतीय सर्वेक्षण दल के सदस्यों का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of Indian Survey Party by East Pak. Authorities	25—26
591. मारिशस द्वारा स्वतन्त्रता की मांग	Mauritius demand for Independence	26

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या **S. Q. Nos.**		
592. रेडियो काश्मीर	Radio Kashmir	27
593. पाकिस्तान में अल्पसंख्यक वर्ग	Minorities in Pakistan	27
594. तिब्बती शरणार्थियों के बारे में चीन द्वारा प्रसारण	Chinese Broadcasts re. Tibetan Refugees	28
595. अणु बम का विस्फोट करने की भारत की कथित योजना के बारे में पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र संघ को विरोध पत्र	Pak. Protest to U. N. O. about Alleged Indian Plan for Exploding Atom Bomb	28—29
596. बिजली शुल्क (ड्यूज) के भुगतान से छूट देने का अमरीकी दूतावास का अनुरोध	Approach by U. S. Embassy for exemption from payment of electricity dues	29
597. पाकिस्तान द्वारा एफ० 86 सेवरजैट विमान खरीदे जाना	Purchase by Pakistan of F-86 Sabre Jets	29—30
598. पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा श्री त्रैलोक्य नाथ चक्रवर्ती की नजरबन्दी	Detention of Shri Triokya Nath Chakravarti by East Pakistan Government	30
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
2844. पाकिस्तान के साथ दूर संचार व्यवस्था का फिर से स्थापित किया जाना	Restoration of Tele-Communications with Pakistan	30—31
2845. विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा पर व्यय	Expenditure on Visits of Foreign Dignitaries	31
2846. केरल में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि	Land for Ex-Servicemen in Kerala	31—32
2847. आयातित अखबारी कागज पर अधिभार	Levy of Surcharge on Imported Newsprint	32
2848. हैदराबाद के निकट भारतीय वायु सेना के जैट विमान की दुर्घटना	I. A. F. Jet crash near Hyderabad	32—33
2849. आकाशवाणी केन्द्र मंगलौर	Broadcasting Station at Mangalore	33
2850. डा० जिवागो नामक फिल्म	Film Entitled "Dr. Zhivago"	33—34

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2851. बर्लिन में अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह	International Film Festival, Berlin ..	34
2852. युद्ध बन्दियों की अदलाबदली	Exchange of P. O. Ws.	34—35
2853. एक तिब्बती द्वारा सिक्किम में शरण मांगना	Asylum Sought by a Tibetan in Sikkim	35
2854. अमरीका और ब्रिटेन के समाचार अभिकरणों तथा टेलीविजन व्यवस्था द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian Propaganda by British and American News Agencies and T. V. System	35—36
2855. दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दशा	Condition of Indians in South Africa	36
2856. संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन	U. N. General Assembly Session	36—37
2858. समुद्री डीजल इंजन कारखाना	Marine Diesel Engine Factory ..	37
2859. आकाशवाणी के केन्द्र निदेशकों का सम्मेलन	Conference of Station Directors of A.I.R. ..	37
2860. भारतीय समाचार चित्र	Indian News Review ..	38
2861. केरल में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	Rehabilitation of Ex-Servicemen in Kerala..	38
2862. प्रधान मंत्री की यात्रा वाले विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	Accident to Air Craft Carrying Prime Minister ..	38—39
2863. भूटान में टेलीफोन	Telephones in Bhutan	39
2864. स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक	Memorial to Late Prime Minister Lal Bahadur Shastri	39—40
2865. भारतीय चलचित्र	Indian Films	40
2866. दक्षिण अफ्रीका में स्थिति	Situation in South Africa	40—41
2867. पादरी माइकेल स्काट का वक्तव्य	Statements by Rev. Michael Scott	41
2868. कलाकारों के लिये न्यास	Trust for Film Artistes	41—42
2869. आर्मी इंजीनियरिंग कोर और मेडिकल कोर में अनिवार्य भर्ती	Conscription for Army Engineering and Medical Corps	42

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2870. समाचार भारती	Samachar Bharati ..	42—43
2871. झंडा दिवस, 1965	Flag Day, 1965	43
2872. परमाणु प्रयोगशालाओं में अनुसन्धान कार्य	Research Work in Atomic Laboratories	43—44
2873. योजना का प्रचार	Plan Publicity	44
2874. इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड	Indian Rare Earths Ltd.	45
2875. इसराइल के राष्ट्रपति के विरोध में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Student demonstrators against President of Israel	45
2876. इंडिया वीकली	India Weekly	45—46
2877. चीन द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian Propaganda by China	46
2878. खेती सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार	Farm Forum Knowledge	46—47
2879. पाकिस्तान चीन सांठगांठ	Pak. China Collusion	48
2880. पादरी माइकल स्काट	Rev. Michael Scott ..	48
2881. लाओस में सैनिक डाक्टर	Military Doctors in Laos	49
2882. राष्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिकों के प्रत्यर्पण को रोकने के लिये ब्रिटेन का प्रस्ताव	U. K. Move to ban Extradition of Commonwealth Citizens	49—50
2883. टेलीविजन का विस्तार	Expansion of Television	50
2884. भूतपूर्व सैनिकों के लिये मकान	Tenements for Ex-Servicemen	50
2885. दिल्ली छावनी में ट्रक की दुर्घटना	Truck Accident in Delhi Cantonment	51
2886. भारत इलेक्ट्रानिकस लिमिटेड द्वारा ट्रांसमिटिंग ट्यूबों का निर्माण	Manufacture of Transmitting Tubes by B.E.L.	51
2887. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को पुरस्कार	Awards to Officers of I and B Ministry	52
2888. अंतरिक्ष सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र समिति	U. N. Committee on Outer Space	52—53

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2889. केन्द्रीय मंत्रियों के दौरे	Tours by Central Ministers	53
2890. रूस में भारतीय नागरिक	Indians in Soviet Union ..	53—54
2891. भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में श्री भुट्टो का वक्तव्य	Mr. Bhutto's Statement on Indo-Pakistan War ..	54
2892. पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों की सम्पत्ति	Properties of Sikh Gurdwaras in Pakistan ..	54—55
2893. आकाशवाणी के जालन्धर केन्द्र का पंजाबी कार्यक्रम	Punjabi Programme of A. I. R. Jallundur ..	55—56
2894. राज्यों के सूचना निदेशकों की बैठक	Meeting of State Directors of Information ..	56
2895. आधुनिक हथियार	Modern Weapons ..	56—57
2896. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कानपुर	Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur ..	57
2897. दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग संघ	South East Asia Cooperation Union	57—58
2898. वाडी में प्रतिरक्षा परियोजना में विस्फोट	Explosion in Defence Project at Wadi ..	58
2899. हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड में कृषि के लिये विमानों का निर्माण	Manufacture of Farm Planes at H.A.L.	58—59
2900. पी० एल० 480 के अन्तर्गत रेडियो सेटों का आयात	Import of Radios under PL 480 ..	59
2901. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर	Bharat Electronics Ltd. Bangalore	59—60
2902. बामरोली में भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना	I. A. F. Plane Accident at Bamrauli	60
2903. समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण	Manufacture of Marine Diesel Engines	60—61
2904. जापान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री का वक्तव्य	Statement of Former Prime Minister of Japan	61—62
2905. कानपुर में मिश्रित इस्पात कारखाना	Alloy Steel Plant at Kanpur	62

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2906.	तिब्बती औद्योगिक पुनर्वास संस्था	Tibetan Industrial Rehabilitation Society	62
2907.	सेनाओं के लिये नये पदक	New Medals for Armed Forces	63
2908.	वाराणसी में मीडियम वेव ट्रांसमिटर	Medium Wave Transmitters at Varanasi	63
2909.	अमरीका और रूस के लिये पारपत्र	Passports for U. S. A. and U. S. S. R.	63—64
2910.	सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना	Resettlement of Ex-servicemen in Border Areas	64
2911.	कैलाश और मानसरोवर पर भारत का दावा	India's claim over Kailash and Mansarover	64—65
2912.	सैनिक ट्रक की दुर्घटना	Accident to Military Lorry	65
2913.	जम्मू तथा काश्मीर की हुनजा रियासत (प्रिंसिपैलिटी)	Hunza Principality of Jammu and Kashmir	65—66
2914.	छावनी अधिकारियों का तबादला	Transfers of Cantonment Officers	66
2915.	स्वैच्छिक सैन्य सेवा	Voluntary Military Service	66—67
2916.	प्रधान मंत्री को पादरी माइकल स्काट का पत्र	Rev. Michael Scott's Letter to the Prime Minister	67
2917.	वैदेशिक कार्य मंत्रालय के एक पदाधिकारी द्वारा पिल्ले समिति को दिया गया ज्ञापन	Memorandum Submitted by an Official of External Affairs Ministry to Pillai Committee	67—68
2918.	हिन्द महासागर में चीन का खतरा	Chinese Threat in the Indian Ocean	68
2919.	अवमूल्यन सम्बन्धी प्रचार	Publicity on Devaluation	68—69
2920.	वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग	International Control Commission in Vietnam	69
2921.	सैनिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही	Disciplinary Proceedings against Army Personnel	69
2922.	जाली पासपोर्ट लेकर एक भारतीय द्वारा विमान यात्रा	Travel of an Indian on Forged Passport	69—70

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2923. कच्छ विवाद सम्बन्धी न्यायाधिकरण	Tribunal on Kutch Dispute	70
2924. भारतीय भाषाओं के प्रयोग के बारे में भारतीय दूतावासों के कर्मचारियों को हिदायतें	Instructions to Employees of Indian Missions about use of Indian Language ..	70
2925. भारतीय दूतावासों के लिये हिन्दी के समाचार पत्र तथा पत्रिकायें	Hindi Newspapers and Magazines for Indian Embassies	70—71
2926. कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्था का विकास वर्कशाप	Development Workshop of Indian Statistical Institute, Calcutta ..	71
2927. गन एण्ड शैल फैक्टरी काशीपुर में दंगा	Rioting in Cossipore Gun and Shell Factory	71—72
2928. पूना के निकट भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटना	I. A. F. Plane Accident near Poona ..	72
2929. नेपाल में भारत सरकार के कर्मचारी	Indian Government Personnel in Nepal ..	73
2930. सी हाक विमान दुर्घटना	Accident to Sea Hawk Aircraft ..	73—74
2931. छावनी बोर्डों में श्रम कल्याण अधिकारी	Labour Walfare Offices in Cantonment Boards	74
2932. छावनी बोर्डों में श्रम कल्याण अधिकारी	Labour Walfare Officers in Cantonment Boards ..	74—75
2933. कांग्रेस अध्यक्ष की मास्को यात्रा	Congress President's Visit to Moscow ..	75
2934. भारत कुवैत उपक्रम	Indo-Kuwait Ventures	75
2935. वैमानिकों की भर्ती	Recruitment of Airmen	76
2936. विदेश प्रचार विभाग	External Publicity Division	76
2937. चलचित्र उद्योग	Film Industry ..	76—77
2938. प्रचार के नये तरीके	New Methods of Publicity	77
2939. विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावास	Indian Consulates Abroad	77
2940. सिक्किम के भाग पर चीन का दावा	Chinese Claim on Parts of Sikkim	78

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2941	कानपुर में काम करने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों का निलम्बन	Suspension of Defence Employees Working in Kanpur	78
2942.	उड़ीसा के लिये रेडियो सेट	Radio Sets for Orissa	79
2943.	प्रतिरक्षा उत्पादन	Defence Production	79—80
2944.	मैसूर में भारत अर्थ मूवर्स फैक्टरी	Bharat Earth Movers Factory in Mysore	80
2945.	भारत सोवियत संघ की संयुक्त विज्ञप्ति में जर्मनी का उल्लेख	Reference about Germany in Indo-Soviet Communique	80—81
2946.	प्रतिरक्षा कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Defence Employees	81
2947.	ओजर में मिग विमान कारखाना	MIG Factory at Ozar	81—82
2948.	ओजर हाई स्कूल	Ozar High School	82
2949.	विश्व न्यायालय के पाकिस्तानी न्यायाधीश के विरुद्ध प्रचार के बारे में पाकिस्तान का विरोध पत्र	Pak protest about propaganda against Pakistani Judge of the World Court	82—83
2950.	राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये रेडियो सेटों का दिया जाना	Supply of Radio Sets in Border Areas of Rajasthan	83—84
2951.	पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन	Violation of Cease Fire Line by Pakistan	84
2952.	राजस्तान में भूतपूर्व सैनकों के लिये कृषि-भूमि	Agricultural Land for Ex-servicemen in Rajasthan	84
2953.	नई समाचार एजेंसी	New News Agency	84—85
2954.	मैसूर में आकाशवाणी केन्द्र	A. I. R. Stations in Mysore State	85
2955.	श्री लंका के बैंकों में श्री लंका निवासी भारतीयों का जमा धन	Money of Indians in Ceylon in Ceylon Banks	85—86
2956.	भारत द्वारा कथित पारमाणु विस्फोट	Alleged Nuclear Explosion by India	86
2957.	कालपाक्कम में अणुशक्ति केन्द्र	Kalpakkam Power Plant	86

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2958. एमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों की छंटनी	Retrenchment of Emergency Commission Officers ..	87
2959. औद्योगिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र संगठन	United Nations Organisation for Industrial Development ..	88
2960. पचमढ़ी में सैनिक स्कूल	Sanik School in Pachmarhi	88—89
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कथित शिकायत	Reported Complaint of Chief Minister of Jammu & Kashmir State against Central Gevernment ..	89,125—127
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notices (Query) ..	90
शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege against Minister of Education ..	90—92
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	92—93
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	93
रेलवे सम्पत्ति (अवैध कब्जा) विधेयक	Railway Property (Unlawful Possession) Bill	93
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में	As passed by Rajya Sabha	93
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges	
नवां प्रतिवेदन	Ninth Report ..	93
दिल्ली बिक्री कर विधेयक—	Delhi Sales-Tax Bill—	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव-विरोध किया गया	Motion to introduce—opposed	94—95
लोक लेखा समिति का पचपनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	Motion Re. Fifty-fifth Report of Public Accounts Committee— ..	95—124
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedi	97—99
श्री दाजी	Shri Daji ..	101—103
श्री कृ० चं० पन्त	Shri K. C. Pant ..	103—106
श्री रंगा	Shri Ranga ..	106—108

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री हेडा	Shri Heda	.. 109—110
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	110, 111
श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar	112
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	.. 112—113
श्री गो० ना० दीक्षित	Shri G. N. Dixit	114
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhuri	.. 114—115
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	.. 115—116
श्री मुरारका	Shri Morarka	.. 116
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	116
श्री राजबहादुर	Shri Raj Bahadur	116
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	.. 116—118
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	.. 118—119

बन्धों को नहीं किया गया था। उसमें केवल यही उल्लेख था कि उद्घोषणा की अवधि के अन्दर राज्य विधान सभा में रिक्त होने वाले किसी स्थान को भरने के लिये निर्वाचन नहीं किया जायेगा। इससे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि विधान सभा का विघटन नहीं किया गया था अन्यथा रिक्त स्थान भरने का प्रश्न ही नहीं उठता था। संविधान के निर्वाचन तथा पूर्वोदाहरण के आधार पर यह कहने का कोई कारण नहीं है कि इस विधेयक को पुरः स्थापित नहीं किया जा सकता।

श्री ही० ना० मुकर्जी : विधि मन्त्री ने बड़े ही उत्तेजक ढंग से इस मामले को पेश किया है। परन्तु अन्तिम निर्णय आपको ही करना है।

अध्यक्ष महोदय : कानून बनाना संसद का काम है अध्यक्ष का नहीं। मै इस मामले में कोई राय नहीं दे सकता क्योंकि यदि इसे उच्चतम न्यायालय में ले जाया जाता है और उच्चतम न्यायालय मेरी राय से भिन्न राय व्यक्त करता है तो उससे बड़ी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : घन्टी दी जा रही है। अब सभा में गणपूर्ति है।

प्रश्न यह है :

> "कि पंजाब राज्य के विधान मण्डल की कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री नन्दा : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार 22 **अगस्त**, 1966 / 31 **श्रावण**, 1888 (**शक**) **के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Monday the 22nd August 1966/Sravana 31, **1888 (Saka)**

Tirthraj Press, Allahabad.

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 22 **अगस्त**, 1966/31 **श्रावण**, 1888 (**शक**)

Monday, August 22, 1966/Sravana 31, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Foreign Minister's Visit Abroad in May-June, 1966

+
*569. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Kindar Lal :
Shri Bagri :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Maurya :
Shri P. C. Borooah :
Shri Daljit Singh :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri R. S. Pandey :
Shri D. C. Sharma :
Shri Buta Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Kajrolkar :
Shri P. H. Bheel :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he visited France and other countries in May and June, 1966 ; and

(b) if so, the purpose of the visit and the nature of discussions held in those countries ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, मैंने मई-जून, 1966 में फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की ।

(ख) पेरिस जाने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच नियमित रूप से सलाह-मशविरा करने के अनुरूप फ्रांस के विदेश मंत्री से बातचीत करना था । पेरिस में हमने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और दोनों पक्षों के संबंधों पर व्यापक रूप से बातचीत की ।

पेरिस के बाद मैंने आपसी हित के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के नेताओं से बातचीत करने के लिए 3 से 5 जून तक लंदन की यात्रा की ।

Shri Bibhuti Mishra : In view of the abstruse principles of diplomacy a King or his Minister never visits a foreign country unless he knows from his Ambassador that his visit to that country would be in the interests of his own country. I would like to know as to what extent the Hon. Minister consulted the Ambassador concerned and what has been achieved in the interest of India by his visit ?

श्री स्वर्ण सिंह : पेरिस तथा लन्दन यात्रा पर जाने से पूर्व इन स्थानों पर नियुक्त अपने राजदूतों से पूर्ण परामर्श किया गया था । जैसा कि मैं कह चुका हूं, हम ने फ्रांस के नेताओं से आपसी मामलों तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर निरन्तर परामर्श करना स्वीकार कर लिया है । पिछली बार भारत में बातचीत हुई थी और इस बार फ्रांस सरकार ने पेरिस में बातचीत करने के लिए हमें आमंत्रित किया ।

पिछले राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन के अतिरिक्त जिसमें प्राय: सम्मेलन के विषयों पर ही विचार हुआ, मुझे ब्रिटेन से आपसी हितों के मामलों पर बातचीत करने का मौका नहीं मिला था और इसीलिए इस बार इतना नजदीक पहुंच जाने पर मैंने लन्दन की त्रिदिवसीय यात्रा की ।

Shri Bibhuti Mishra : In view of indifferent attitude of France towards us and its close relations with China and as Britain was also against us during our last conflict with Pakistan, how far they have come closer to us through the discussions of the Hon. Minister and how far we have succeeded in this direction ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस सुझाव का पुरजोर खण्डन करता हूं कि फ्रांस का हमारे प्रति उदासीनता का रुख है । वास्तव में फ्रांस का हमारे प्रति मित्रता का रुख है तथा चीन की नीति तथा इरादों का अनुमान लगाने एवं बहुत से अन्य विषयों पर भी भारत और फ्रांस के दृष्टिकोणों में बड़ी समानता है ।

यह सत्य है कि पिछली बार पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई के बाद, विशेषत: ब्रिटेन के साथ हमारे सम्बन्धों में भारी तनाव आ गया था; किन्तु हमारे प्रधान मंत्री की ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के साथ हुई पिछली वार्ता के बाद ब्रिटेन में भी हमारी स्थिति को समझा जाने लगा तथा मैंने भी अपनी बातचीत में बहुत से विषयों पर अपने दृष्टिकोण को निश्चयात्मक रूप से स्पष्ट किया ।

श्री शिकरे : हमारी स्थिति स्पष्ट की ?

अध्यक्ष महोदय : हां, उन्होंने यही कहा है ।

Shri K. N. Tiwary : The Hon. Minister has stated that he went to France and United Kingdom. I would like to know whether he discussed with France the French arms captured in Nagaland and other places ? Then, did he discuss the agreement of Military supply which was entered into with U. K. and with what results ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सच है कि नागाओं से पकड़े गये कुछ शस्त्र विदेशों में बने हुए हैं, किन्तु मैं इस पर और अधिक कहने में असमर्थ हूं। सम्भवतः मेरे सहयोगी प्रतिरक्षा मंत्री महोदय, जो इस वक्त यहीं हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मैं सभा को पहिले ही बता चुका हूं कि एक फ्रांसीसी अस्त्र पकड़ा गया तथा मैंने स्वयं इस मामले को फ्रांस के राजदूत के सामने रखा।

Shri K. N. Tiwary : My question regarding U. K. has not been answered.

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने सैनिक सम्भरण के मामले में कोई बातचीत नहीं की; क्योंकि इस मामले में प्रतिरक्षा मंत्रालय कार्यवाही कर रहा है।

Dr. Ram Manohar Lohia : I am putting this question in view of paucity of funds and especially of foreign exchange. Is it a fact that when the Foreign Minister was there in France, another Hon. Minister also went to Paris for signing a Cultural Agreement and, if so, is it not proper that the Ambassadors are asked to perform such duties, and Minister of External Affairs and Minister of Education do not have to go there ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं भारत तथा फ्रांस में हुए एक पूर्व समझौते के आधार पर परामर्श करने के विशेष उद्देश्य से वहां गया था। यह ठीक है कि कुछ समझौतों पर राजदूत भी हस्ताक्षर कर सकते हैं, किन्तु हमारे शिक्षा मंत्री ने पेरिस में जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये उसका विशेष महत्व था तथा उन्होंने समझौते पर ही हस्ताक्षर नहीं किये, अपितु हमारे हित के कई महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श भी किया।

Dr. Ram Manohar Lohia : The Hon. Minister of External Affairs should have replied the question on principle. Supposing Ambassadors could not do the needful, while he was there, why did he not sign the agreement ? Why is so much money wasted ?

Mr. Speaker : Order. Now, he thought proper........

Dr. Ram Manohar Lohia : Then, answer should come.

Mr. Speaker : I cannot interfere in this matter. Government is responsible for all this.

Shri Vishwa Nath Pandey : Just now the Hon. Minister for External Affairs has stated that when he went to France and England, he discussed international situation with the Foreign Ministers and the Governments of these countries. I would like to know whether he consulted them on the contravention of Tashkent Agreement by Pakistan and manufacturing of atom bombs by China while discussing international situation and what was their reaction ?

श्री स्वर्ण सिंह : स्वभावतः ये दोनों विषय हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों पर पेरिस और लन्दन में बातचीत हुई।

Shri Vishwa Nath Pandey : What was their reaction ?

श्री स्वर्ण सिंह : बातचीत का ब्योरा देना बहुत कठिन है।

Shri Onkar Lal Berwa : I would like to know whether the Hon. Minister while he was in London, discussed the open supply of arms and aid by Britain to Pakistan and if so what has been the outcome of his talks ? Have they admitted or refuted it ?

Mr. Speaker : This has already been answered.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय ने फ्रांस के विदेश मंत्री से परमाणु परीक्षण रोक सन्धि तथा परमाणु शस्त्र रहित क्षेत्र के भविष्य के बारे में भी बातचीत की थी ? यदि हां, तो फ्रांस के विदेश मंत्री तथा फ्रांस सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही ?

श्री स्वर्ण सिंह : सभा निःसन्देह जानती है कि आंशिक परमाणु परीक्षण रोक संधि पर फ्रांस के हस्ताक्षर नहीं हैं। वे बराबर इस नीति को अपना रहे हैं और इसमें परिवर्तन नहीं किया है।

श्री दी० चं० शर्मा : मुझे बहुत खुशी है कि द्विपक्षीय बातचीत के लिए हमारे देश ने फ्रांस से करार कर लिया है और इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय मंत्री ने हाल ही में उस देश का दौरा किया। क्या उनके फ्रांस और ब्रिटेन के दौरे के दौरान उन्होंने वियतनाम के विषय पर चर्चा की थी जिससे कि सारे संसार के लोग क्षुब्ध हैं और यदि हां, तो वियतनाम के सवाल पर फ्रांस सरकार और ब्रिटेन सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री स्वर्ण सिंह : वियतनाम के विषय पर फ्रांस और ब्रिटेन दोनों देशों में बातचीत की गई थी और वियतनाम के बारे में हमारे और फ्रांस के विचार लगभग एक से हैं। कुछ समय से फ्रांस की यह राय थी कि शांति के लिए कदम उठाने का अभी उपयुक्त समय नहीं है। इस संबंध में ब्रिटेन का रवैया हमारे से नहीं मिलता, और मैंने विचारविनिमय किया परन्तु वियतनाम समस्या के बारे में भारत और ब्रिटेन की नीति में वही अन्तर रहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन सरकार ने अब पाकिस्तान के साथ हमारे संघर्ष के दौरान हमारी नीति को अच्छी तरह समझा है; मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने किन किन बातों के सम्बन्ध में यह परिवर्तन पाया है।

श्री स्वर्ण सिंह : उन्होंने उस समय विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जिनमें उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य भी शामिल थे। हमने कुछ बातों के सम्बन्ध में उनका रवैया किस प्रकार गलत था यह उन्हें बताया। कुछ मामलों में उन्होंने इस बात को माना कि जब उन्होंने कुछ वक्तव्य दिये तो उनके पास समूची जानकारी नहीं थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि किन विशिष्ट मामलों में उनके रवैये में परिवर्तन हुआ है। यह एक सामान्य उत्तर है जो हमेशा दिया गया है। उन्होंने मूल वक्तव्य में यह क्यों कहा ?

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या योरोपीय साझा बाजार के साथ भारत के सम्बन्धों के प्रश्न पर बातचीत की गई थी और यदि हां, तो उसके विशिष्ट पहलू क्या हैं और उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री स्वर्ण सिंह : इस पर भी चर्चा की गई थी क्योंकि हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ भी थे।

श्री भागवत झा आजाद : क्या माननीय मंत्री फ्रांस में अन्य योरोपीय देशों की तरह इस विद्यमान भावना का अनुमान लगा सके हैं कि राष्ट्रमण्डल और ब्रिटेन के साथ हमारे सम्बन्धों के कारण भारतीय नीति को अच्छी तरह नहीं समझा जा सकता ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरा विचार है कि इस बात के बावजूद कि हम राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं, अब इस बात को अधिक अच्छी तरह समझा जाता है कि हम चाहते हैं कि हम अन्य देशों के दृष्टिकोण को समझें और अपना दृष्टिकोण उन्हें समझायें ।

अफगानिस्तान के लिये आर्थिक सहायता कार्यक्रम

+

*570. **श्री म० ला० द्विवेदी :**	**श्री मधु लिमये :**
श्री सुबोध हंसदा :	**डा० राम मनोहर लोहिया**
श्री स० चं० सामन्त :	

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अफगानिस्तान के लिये पंचवर्षीय आर्थिक सहायता कार्यक्रम पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो करार को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तथा इस पर हस्ताक्षर हो जायेंगे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह). जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । बहरहाल, विदेश मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमंडल दोनों देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की दृष्टि से हाल ही में अफगानिस्तान गया था । शिष्टमंडल में शाही अफगान सरकार के साथ काबुल में 100 बिस्तर वाले बच्चों के अस्पताल का निर्माण करने की शर्तों को अंतिम रूप दिया ।

भारत और अफगानिस्तान के बीच सहयोग के अन्य मार्ग भी खोजे गये तथा जो विभिन्न अनुरोध प्राप्त हुए और सुझाव दिये गए, उनपर अभी विचार किया जा रहा है । इनमें कृषि के उपकरण और औजारों को सप्लाई करना, भारत से विशेषज्ञों की नियुक्ति, सर्वेक्षण करना, अफगान राष्ट्रिकों को भारत में प्रशिक्षण की सुविधाएं देना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्क और आदान-प्रदान बढ़ाना शामिल हैं ।

Shri M. L. Dwivedy : In view of the very friendly relations between India and Afghanistan what specific steps are being taken by Government of India for assisting Afghanistan in its various industrial and developmental programmes and plans and what amount is being sanctioned for that puprose ?

Shri Dinesh Singh : That is what I have just now submitted. The delegation that went there discussed these matters. We have not reached the stage when we can say as to the amount of assistance they require.

Shri M. L. Dwivedi : What is the composition of this delegation, what plans have been specifically discussed and by what time they will be finalised ?

Shri Dinesh Singh : As I stated it comprised of the Secretary of our Ministry, one representative each of the Ministries of Finance, Commerce, Health and Food and Agriculture. I cannot say now as to how long time it will take.

श्री स० चं० सामन्त : अफगानिस्तान के प्रधान मंत्री फरवरी 1965 में एक राजकीय यात्रा पर भारत आये थे । क्या उस समय इस आर्थिक सहायता पर बातचीत की गई थी और सहायता का कितना भाग ऋण के रूप में और कितना भाग अनुदान के रूप में दिया जाना था ?

श्री दिनेश सिंह : इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई कि ऋण या सहायता के रूप में अलग अलग कितनी राशि दी जायेगी ; हमने कुछ परियोजनाओं पर चर्चा की थी ।

Shri Rameshwaranand : What is the total economic aid so far given by India to Afghanistan; how many times the aid has been given and what was the attitude of Afghanistan Government at the time of Indo-Pakistan Confrontation ?

Shri Dinesh Singh : I have not stated any specific amount in the form of aid. As I submitted we look only to specific projects; we give aid for certain programmes, like I. T. E. C. programme under which we give technical assistance. Apart from these we give some aid for their plans and schemes. Regarding the total amount I cannot tell off-hand.

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या समस्या के प्रति मूल नीति के सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय किया गया है अर्थात्, क्या उस देश को, जोकि एक पिछड़ा देश है दी जाने वाली आर्थिक सहायता इस देश के सहयोग पर निर्भर करेगी या यह देश उनको विकास की कुछ तकनीकी जानकारी और मशीनें देगा ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया कि इसमें ये सब चीजें शामिल होंगी ; यहां पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण; वहां पर तकनीशनों का भेजना, यदि हम संयुक्त परियोजनाएं तैयार करें तो उनको वित्तीय सहायता देना ।

श्री शिंकरे : दो देशों के बीच आर्थिक सहायता दो प्रकार की हो सकती है : सरकार से सरकार के स्तर पर तथा निजी व्यक्ति से निजी व्यक्ति के स्तर पर । इस सम्बन्ध में जो कठिनाई अनुभव की जाती है वह अफगानिस्तान और भारत के बीच यात्रा और माल लाने ले जाने पर 'विसा' के प्रतिबन्ध की है । जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है, क्या सरकार इन विसा प्रतिबन्धों को तुरन्त समाप्त करने की आवश्यकता पर विचार करेगी अथवा कूपन या परिचय पत्र जैसे सरल तरीकों को लागू करेगी और आर्थिक सहायता को बढ़ायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : आर्थिक सहयोग 'विसा' के साथ आवश्यक रूप से नहीं जुड़ी हुई है । अलबत्ता, यदि कोई प्रतिबन्ध नहीं होते हैं तो इसमें आसानी होती है, परन्तु इसके कारण हमें किसी कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ है ।

श्री शिंकरे : आपको तो नहीं, परन्तु लोगों को कठिनाई है ।

विद्रोही नागाओं द्वारा मतदाताओं पर गोली चलाया जाना

+

*571 **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री म० ला० द्विवेदी :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :

श्रीमती सावित्री निगम :

श्री मौर्य :

श्री बागड़ी :

श्री स० मो० बनर्जी :

श्री कृष्णपाल सिंह :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

श्री सोनावने :

श्री रघुनाथ सिंह :

श्री विभूति मिश्र :

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

श्री तुला राम :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री रामहरख यादव :

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे हुए नागाओं ने नागालैंड में चार निर्वाचन-क्षेत्रों के लोगों को चेतावनी दी थी कि वे मई और जून के महीनों में नागालैंड विधान सभा के उप-चुनाव में अपना मत न डालें ;

(ख) क्या उन्होंने गावों के लोगों को धमकी भरे पत्र भेजे थे ;

(ग) क्या इसके बाद सशस्त्र विद्रोही नागाओं ने मतदान केन्द्र पर आक्रमण किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) सरकार को जो सूचना मिली है, उसके अनुसार छिपे नागाओं ने आमतौर पर गांव वालों को इस बात पर राजी करने की कोशिश की थी कि वे उप-चुनावों में हिस्सा न लें । कुल मिलाकर ऐसे 13 निर्वाचन क्षेत्र थे लेकिन 4 निर्वाचन क्षेत्रों में ही मतदान हुआ क्योंकि अन्य निर्वाचित क्षेत्रों के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे ।

(ख) इस तरह की कार्यवाई का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, हालांकि इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता ।

(ग) और (घ). चिचेमा में (जिला कोहिमा) छिपे नागाओं ने काफी फासले से गोलियां चलाईं । हमारे सुरक्षा सैनिकों ने जवाब में गोलियां चलाईं ; कोई हताहत नहीं हुआ । ऐसे किसी अन्य स्थान पर, जहां उप-चुनावों में मतदान हुआ हो, कोई और घटना होने की रिपोर्ट नहीं है । लगभग 50 प्रतिशत मतदाताओं ने चुनावों में भाग लिया ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is Government aware that 50 per cent of the voters could not come to polling booths because they were prevented from going there ?

Shri Dinesh Singh : It is difficult to say, because even here cent percent voters do not go. It is possible that pressure might have been put on some persons for preventing them from giving their votes. We made our best efforts to ensure that security arrangements existed for those who came to give their votes so that they might not feel any difficulty.

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether it has been settled in the talks held with them recently that the Naga rebels should not put obstacle in an important matter like election and whether they have consented to it that at a time when the talks between them and the Prime Minister are going on they would not obstruct in these matters ?

Shri Dinesh Singh : Nothing in this connection was raised here during the talks, but when these elections were being held there, an agreement had been reached between the underground Nagas and the District authorities and they stated that they will not obstruct.

Shri Raghunath Singh : May I know whether pressure of any kind was put upon the voters at the polling stations on behalf of these Naga rebels ?

Shri Dinesh Singh : No, Sir; we have no such information.

Shri M. L. Dwivedi : The Hon. Minister stated that security arrangements are made by the Government for the voters while they are going to the polling stations to cast their votes. May I know whether Government have thought of any security arrangement for the voters while they are going back from the polling stations ?

Shri Dinesh Singh : Security arrangements for them mean the security arrangements for the whole of Naga land.

Shri Bibhuti Mishra : Just now the Hon. Minister stated that in Chichema the underground Nagas opened fire. Now the Prime Minister is sitting and I want to know from her whether the question of firing at the time of voting also figured in her talks with the Naga leaders because such like practices go against the very basis of talks.

Shri Dinesh Singh : No, Sir; as I said just now that that thing did not figure in, but it was settled that they will not resort to it although at one place this thing happened.

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार को पता है कि चुनाव से पहले कुछ नागा विद्रोही एजेंट उस क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था ? क्या यह सच है ?

श्री दिनेश सिंह : वे प्रचार कर रहे थे, और मैं समझता हूं कि उन्होंने कुछ पत्र आदि भी लिखे थे।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तथाकथित युद्धविराम करार में यह शर्त है कि दोनों में से कोई भी पक्ष, न तो भारत सरकार ही और न नागा लोग ही कभी हथियारों का प्रयोग करेंगे और जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी माना है उन्होंने हथियारों का प्रयोग किया, क्या सरकार इसको युद्धविराम करार का स्पष्ट उल्लंघन नहीं समझती है ? यदि सरकार ऐसा समझती है तो प्रधान मंत्री द्वारा इस मामले को छिपे हुए नागाओं की जानकारी में क्यों नहीं लाया गया है जबकि वे उनसे हाल ही में दिल्ली में मिले थे ?

श्री दिनेश सिंह : अनेक चुनाव क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। पक्षों में यह करार हुआ था कि छिपे हुये नागा उनके काम में विघ्न नहीं डालेंगे। एक स्थान पर गोली चलाई गई। यह कहना बहुत कठिन है कि गोली किन लोगों ने चलाई, परन्तु गोली चलाई गई। यह निश्चय ही उल्लंघन है, परन्तु हमने समझा कि यह इतना बड़ा मामला नहीं है कि इसको लिया जाय, क्योंकि चुनावों पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार ने इसको करने का प्रयत्न किया या नहीं और उत्तर दिया गया हम इसको करने का प्रयत्न कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि यह एक बड़ा मामला नहीं है। मैं कहता हूं कि यह एक बड़ा मामला है क्योंकि यह पक्षों के बीच युद्धविराम करार का एक उल्लंघन है। यहां तक कि नये मुख्य मंत्री श्री अंगामी ने हाल ही में यह कहा है युद्धविराम करार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। परन्तु मेरी जानकारी यह है और स्वयं मंत्री महोदय ने उसकी संपुष्टी की है कि उन्होंने गोली चलाई और गोली चली।

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी हो सकता है परन्तु यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती सावित्री निगम : श्री सामन्त के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि नागा विद्रोही न केवल लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे थे अपितु उन्होंने मतदाताओं को पत्र भी लिखे हैं कि वे पत्र न लिखें। लोगों को पथभ्रष्ट करने वाले ऐसे कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर आ चुका है।

श्री दिनेश सिंह : मैंने उत्तर दिया कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चीनियों और पाकिस्तानियों की सहायता से नागा विद्रोही तेजी से सैनिक तैयारियां कर रहे हैं और उन्होंने मतदाताओं पर गोली चलाई, क्या सरकार समझती है कि नागा विद्रोहियों की एक बड़ी संख्या भारतीय संविधान के अन्तर्गत किसी समझौता वार्ता के लिये तैयार नहीं है? नागा विद्रोहियों की कार्यवाहियों को कुचलने के लिये सरकार क्या कड़े कदम उठाना चाहती है?

श्री दिनेश सिंह : जी नहीं, सरकार का यह अनुमान नहीं है कि बड़ी संख्या में लोग शांति पूर्ण हल नहीं चाहते।

Statement of U. S. Defence Secretary on Indo-Pak. Conflict

+

*572 **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement made by Mr. McNamara, U. S. Secretary of Defence in the Senate Foreign Relations' Committee that Indo-Pak conflict was basically a Hindu-Muslim conflict ;

(b) whether his attention has also been drawn to his statement that the conflict ended only as a result of pressure from U. S. A. ; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). जी हां।

(ग) हमें स्वभावतः श्री मैक्नमारा के बयान पर आश्चर्य हुआ और हमने इस मामले को वाशिंगटन-स्थित अमरीकी अधिकारियों और नई दिल्ली-स्थित अमरीकी राजदूत के साथ उठाया।

हमारा ख्याल है कि अमरीका के रक्षा मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचार उनके निजी विचार हैं, अमरीका की सरकार के विचार नहीं हैं।

Shri Sidheshwar Prasad : Have Government come to know whether the statement, which is likely to have an adverse effect on Indo-Pak. relations, was not based only on the information of U. S. Government but in fact C. I. A. had also drawn a plan for an attack on India and had instigated Pakistan to do the so? If it is a fact, what action has been taken by Government to draw the attention of U. S. Government to these facts and their reaction thereon?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस धारणा से सहमत नहीं हूं। हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि दोनों देशों के बीच इस दुर्भाग्यपूर्ण संघर्ष में किसी विदेशी ताकत का हाथ था।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार अमरीकी प्रतिरक्षा सचिव के इस विचार से सहमत है कि काश्मीर प्रश्न पर भारत का पाकिस्तान के साथ विवाद का एकमात्र आधार पाकिस्तान का चीन के साथ सम्बन्ध है; यदि हां, तो अमरीकी सरकार के दिमाग से यह विचार निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हम ऐसे विचार को स्वीकार नहीं करते। हमने अमरीकी सरकार से इस प्रश्न पर बातचीत की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरीकी सरकार के ऐसे विचार नहीं हैं।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने कहा कि ये विचार श्री मैक्नमारा के अपने थे न कि अमरीकी सरकार के। अमरीकी सरकार से पूछताछ करने पर ऐसा मालूम हुआ। क्या अमरीकी सरकार से कोई निश्चित रूप से पूछताछ की गई थी कि श्री मैक्नमारा के इस वक्तव्य पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सूचित की थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मुख्य कारण हिन्दू-मुसलमान संघर्ष के कारण होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या अमरीकी सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हमने उनके दबाव में नहीं अपितु स्वेच्छा से युद्ध बन्द किया था; और विश्व भर में जो हिन्दू-मुसलमान संघर्ष के बारे में यह दूषित प्रचार किया जा रहा है अमरीकी सरकार का विचार इससे बिलकुल विपरीत है ?

श्री स्वर्ण सिंह : अमरीकी सरकार भलीभांति यह जानती है कि आर्थिक सहायता के मामले में हम पर दबाव डालने का कोई प्रश्न नहीं था और न ही हमने कभी ऐसे दबाव की ओर ध्यान दिया है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कहने पर लड़ाई बन्द की और यह जो बात यहां कही गई उसके बारे में हमने उन्हें बहुत दृढ़ता से बता दिया है कि यह असत्य और निराधार है। हमने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यह हिन्दू-मुसलमान विवाद नहीं था और अमरीकी सरकार के प्रतिनिधियों ने भी यह माना है कि भारत धर्म-निरपेक्ष राज्य है और हिन्दू-मुसलमान संघर्ष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्री मैक्नमारा ने सीनेट की समिति के समक्ष प्रतिरक्षा सचिव के रूप में यह वक्तव्य दिया है। इसलिए अमरीकी सरकार को इस सभा से, इस देश से क्षमा मांगनी चाहिए। क्या इन्होंने इस बात का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। यह प्रश्न उठाये जाने पर क्या उन्होंने माफी मांगी है और क्या स्पष्टीकरण दिया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जब हमने इस प्रश्न को अमरीकी सरकार के साथ उठाया तो उन्होंने इस बात से सहमति व्यक्त की कि भारत पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उनकी सरकार के एक सदस्य ने ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जिसका हमने खण्डन किया। जब उनके एक अधिकारी ने भारतीय रवैये के बारे में अपना मत व्यक्त कर दिया, तो मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। हम उनसे यह आशा नहीं कर सकते कि वे औपचारिक रूप में इसका खंडन करेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या गंभीरतापूर्वक कोई अनुमान लगाया गया है कि इस वक्तव्य से कहां तक अमरीका के अधिकारी वर्ग में उच्च स्तर पर अनभिज्ञता प्रकट होती है तथा इसके लिए किस अंश तक अमरीका में स्थित हमारे दूतावास और मिशनों की जन-सम्पर्क और प्रचार के क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रयासों की तुलना में अकुशलता तथा निष्प्रभावता उत्तरदायी है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि इसका प्रचार कार्य से अधिक सम्बन्ध नहीं है, उनका एक मिशन यहां पर है और हमारा एक मिशन अमरीका में है। हम एक दूसरे से बराबर सम्पर्क बनाये हुए हैं और विचारों का आदान-प्रदान करते रहते हैं। मैंने इस मामले में स्वयं अमरीकी राजदूत से बातचीत की थी और उन्होंने मुझे बताया था कि यह अमरीकी सरकार का विचार नहीं है।

श्री रंगा : भारत में स्थित अमरीकी प्रचार कार्यालय निरन्तर श्री मैक्नमारा की प्रशंसा करते रहे हैं। "स्पैन" पत्रिका में हाल में उनकी जीवनी प्रकाशित हुई है जिसमें उनके कार्यों की सराहना की गई है। इसको देखते हुए क्या सरकार द्वारा उनके वक्तव्य को गंभीर बात नहीं समझना उचित है ? क्या सरकार ने अमरीका के राष्ट्रपति श्री जानसन को भारत सरकार के अत्यधिक रोष के सूचित करने अथवा उनसे यह कहलवाने के लिए कि अमरीका अपना दृष्टिकोण बदलेगा और भारत का इस प्रकार अपमान नहीं करेगा अपने राजदूत अथवा किसी अन्य के जरिए कोई विशेष कदम उठाए हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य और सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इसे गंभीर बात समझता हूं। इसी कारण से मैंने स्वयं अमरीकी राजदूत को बुलाया और उनसे स्पष्ट बातचीत की थी, मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जानसन का ध्यान इस ओर नहीं दिलाया गया, यह तो एक सुझाव है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या अमरीकी सरकार में श्री मैक्नमारा के विशेष स्थान को ध्यान में रखते हुए श्री मैक्नमारा को हिन्दू-मुसलमान संघर्ष के बारे में उनके विचारों के बारे में तथ्यों की जानकारी कराने के लिए सरकार ने कोई विशेष प्रयास किये हैं, दूसरी बात यह है कि क्या वास्तव में अमरीकी सरकार ने यह समझौता कराने में कोई दबाव डाला था और क्या इसी कारण से समझौता हुआ था ? सरकार को अमरीकी सरकार से स्पष्ट उत्तर लेना चाहिए।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस समय नहीं कह सकता कि यह मामला श्री मैक्नमारा के साथ उठाया गया था। जहां तक दबाव का प्रश्न है हम भली भांति जानते हैं और वे भी जानते हैं, यद्यपि उन्होंने कहा था, सच्चाई यह है कि आर्थिक दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं था।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : प्रतिरक्षा मंत्री जैसे उत्तरदायी मंत्री की टिप्पणी पर तीव्र रोष को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार अमरीकी सरकार से स्पष्ट घोषणा करने के लिए कहने का है कि यह अमरीकी सरकार का विचार नहीं है और केवल उनका जाती विचार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं भी इस रोष में भागी हूं। हम पहले ही इस बात को उठा चुके हैं।

Shri Yashpal Singh : Is the Hon. Minister aware that United States says everything that Pakistan wants it to say ? Can he quote any instance where United States gave a statement in our favour ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह एक सामान्य बात कही गई है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो कुछ कहलवाना चाहता है अमरीका वही कहता है।

श्री हेम बरुआ : हमारी ओर से 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण से अपने राज्यक्षेत्र की रक्षा करना राष्ट्रीय प्रयास था, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं के, जिनमें राष्ट्रपति अयूब और श्री भुट्टो भी थे, आक्रमण के दौरान तथा उससे पहले भी भारतीय हिन्दुओं के विरुद्ध वक्तव्यों को देखते हुए उनकी ओर से यह एक साम्प्रदायिक संघर्ष था, क्या सरकार ऐसा नहीं समझती ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह आक्रमण था और पाकिस्तानी नेताओं ने अपने लोगों को भड़काने के लिए साम्प्रदायिक उन्माद भी उत्पन्न किया था, हम इस प्रकार की जेहाद की भावना से पूर्णतः अवगत हैं, जो पाकिस्तानी नेताओं ने उस समय भड़काई थी। यह तो हमारी एकता और धर्म-निरपेक्षता थी जिससे हम इसका सामना कर सके।

पाकिस्तान द्वारा कसूर नाला चौड़ा किया जाना

+

*574. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान कसूर नाले को, जो भारत से पाकिस्तान में जाता है और पाकिस्तानी क्षेत्र में सीमा के साथ साथ बहता है, चौड़ा कर रहा है और इसके किनारों की ऊंचाई भी बढ़ा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) तथा (ख). सैनिक दृष्टिकोण से कसूर नाले की उपयोगिता बढ़ाने के लिए पाकिस्तान सुधार और निर्माण कार्य कर रहा है। सरकार को इस संवर्धन का ध्यान है।

Shri Vishwanath Pandey : Was any agreement made in regard to Kasur Nallah between Pakistan and India at the time of partition and if so, the precise nature thereof?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि ठीक-ठीक क्या समझौता हुआ था। स्वाभाविक है कि हमने सामरिक दृष्टि से नवीनतम बातों को ओर ध्यान दिया है और इसी आधार पर यह सूचना दी गई है। हमने कसूर नाले को चौड़ा करने की ओर ध्यान दिया है। हमने इस ओर भी निश्चित रूप से ध्यान दिया है कि नाले के साथ-साथ एक सड़क के निर्माण की भी संभावना है।

Shri Vishwanath Pandey : Kasur Nallah is of strategic importance both for India and Pakistan. May I know since how long Pakistan has been engaged in widening it ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : पिछले वर्ष युद्ध समाप्त होने के बाद इस नवीनतम बात की ओर हमने ध्यान दिया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that Pakistan has started construction of roads in that region and has made military preparations ? In view of all this what preparations have been made by India in that region to face the Pakistani threat?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं कह चुका हूं कि हमने इस पर ध्यान दिया है और हमने तैयारी भी की है।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं समझता हूं कि सिन्धु जलसंधि करते समय भारत और पाकिस्तान की सभी नदियों को ध्यान में रखा गया था और कसूर नाले के बारे में भी उसमें उल्लेख था और यदि हां, तो इसकी सिंचाई क्षमता और सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसमें क्या विशेष सुझाव दिये गये थे ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इस समय मैं यह जानकारी नहीं दे सकता कि उस संधि में सिंचाई सुविधाओं के बारे में क्या व्यवस्था थी। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसमें किसी नई बात होने पर निरीक्षण करने के बारे में उपबन्ध है और हमने सिंधु जल आयोग की ओर निरीक्षण करने की सुविधा मांगी है।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Is it a fact that our border right from Kasur Nallah in Punjab to Rajasthan was affected in the recent Indo-Pak. conflict. If so in veiw of this what preparations have been made to repel any attack in future?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह एक सामान्य प्रश्न है और मैं यह कह सकता हूं कि सेना के विशेषज्ञों ने दूसरी ओर होने वाली नवीन बातों की ओर ध्यान दिया है और कोई स्थाई व्यवस्था की आवश्यकता के बारे में हम विचार करेंगे। हमने इस प्रकार के कुछ निर्णय भी किये हैं, जिनका विवरण देना मैं लोक-हित में नहीं समझता।

Shri Gulshan : Is it not a fact that Pakistani Army has dug trenches in the Sulemanki Head works area also? If so, have Government taken note of this?

Shri Y. B. Chavan : Yes, Sir.

नागालैंड में स्थिति

*575. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड की स्थिति का पुनर्विलोकन करने तथा नागालैंड के प्रशासन को मजबूत बनाने के उपायों पर विशेष रूप से विचार करने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 19 मई, 1966 को एक सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में यदि कोई निर्णय किया गया था तो क्या; और

(ग) उसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) प्रधान मंत्री ने असम के गवर्नर और मुख्य मंत्री से और अपने कुछ साथियों से कुछ बातचीत की थी जिसके दौरान अन्य मामलों के साथ नागालैंड की स्थिति पर भी चर्चा हुई थी।

(ख) और (ग). बातचीत गोपनीय थी और उन्हें बताना या उसके बाद जो कार्रवाई की गई है, उसे बताना वांछनीय न होगा।

Dr L. M. Singhvi : May I know whether the Government was informed of the fact during the discussions that the rebel Nagas are obstructing public opinion in Nagaland by creating a sense of consternation under the shadow Michael Scott or Phizo? If so, what economic and other steps have been taken by the Government in this regard?

Shri Dinesh Singh : The difficulty is that if I give some details, points will be raised on them. I am helpless to disclose all that.

Dr. L. M. Singhvi: Has the present Chief Minister Shri Angami met the Prime Minister in connection with the decision of the conference and other related matters and apprised her of the main problems of Nagaland, and has he especially discussed the big programme of Economic Development?

Shri Dinesh Singh: Shri Angami is in Delhi. He has met the Prime Minister and has been discussing matters with us.

श्री हेम बरुआ : नागालैण्ड में हुए अन्तिम परिवर्तन के सन्दर्भ में जिसके अनुसार श्री शिलू आओ की जगह पर श्री अंगामी मुख्य मंत्री बने और श्री अंगामी फिजो के मित्र हैं, क्या सरकार समझती है कि इस परिवर्तन से, जहां तक भूमिगत नागाओं का सम्बन्ध है, शांति स्थापित हो सकेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मुख्य मंत्री के परिवर्तन के विषय में नागालैण्ड की विधान सभा को ही निर्णय करना होता है। मुख्यमंत्री बदल दिये गये हैं और मेरे विचार में इसका हमारे और भूमिगत नागाओं के सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

श्री हेम बरुआ : इस प्रकार का समाचार मिला है कि श्री फिजो तथा माइकेल स्कोट भी श्री अंगामी से सम्बन्ध बनाये हुए हैं। अतः मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि क्या उनके मुख्य मंत्री बनने से स्थिति कुछ सुधरेगी ?

अध्यक्ष महोदय : वहां की सभा ने मुख्य मंत्री को बदल दिया है। सरकार क्या कर सकती है। अगला प्रश्न।

चीन के विस्तारवाद को रोकने के बारे में अमरीकी प्रतिरक्षा सचिव का वक्तव्य

*576. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी समाचारपत्र संपादक संस्था की बैठक में अमरीकी प्रतिरक्षा सचिव (डिफेंस सेक्रेटरी) श्री राबर्ट मैक्नमारा द्वारा पढ़े गये भाषण में चीन के विस्तारवाद को रोकने संबंधी वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस वक्तव्य के कि "उन राष्ट्रों को, जो चीन के आर्थिक तथा राजनीतिक नियन्त्रण को उसकी अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर न फैलने देने में अपना सांझा हित समझते हैं, प्रतिरक्षा परिसीमा की रक्षा करने में अधिक सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए," परिणामों का अध्ययन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). जी हां।

(ग) भारत सरकार चीन के विस्तारवाद का पूरी तरह से विरोध करती है और वह

हमारी आजादी और एकता पर चीन के खतरे को रोकने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ है। बहरहाल, उन्हें भारत की गुटों से अलग रहने और सैनिक संधियां न करने की आधार भूत विदेश नीति की वैधता पर भरोसा है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के उन देशों में, जिन पर चीन की विस्तारवादी नीति का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, ऐसी भावना है, कि भारत चीन के विस्तारवाद के प्रश्न पर हिमालय के क्षेत्रों पर आक्रमण होने के सन्दर्भ में, विचार करता है? यदि हां, तो उन देशों में इस भावना का निराकरण करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री स्वर्ण सिंह : यह स्वाभाविक है तथा इसके लिए हमें कोई खेद प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा सम्बन्ध नेफा और लद्दाख में चीन के साथ संघर्ष से है। चीन की साधारण नीति के विषय में भी मैं कह चुका हूँ कि हम उसके विरुद्ध हैं। किन्तु इस भावावेश में हमें धमकी का सामना करने के लिए, तथा कथित रक्षा गुटों के विरोध करने की नीति को नहीं छोड़ना चाहिए।

श्री श्रीनारायण दास : क्या चीन के विस्तारवाद से प्रभावित होने वाले दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने इस क्षेत्र में चीन के विस्तारवाद के रोकने का प्रश्न उठाया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या रुख है।

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य जानते होंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया में कुछ देश रक्षा गुटों तथा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्थाओं से सम्बद्ध हैं और इसमें ही अपना सर्वोत्तम राष्ट्रीय हित अनुभव करते हैं। इसी प्रकार हमारा दृष्टिकोण है कि हमारी वर्तमान गुट-निरपेक्षता की नीति उपयुक्त है।

श्री जोकीम आल्वा : क्या हमने अमरीकी सरकार का ध्यान निरन्तर उस विनाशकारी नीति की ओर दिलाया है, जो डलेश की उस भारी प्रतिशोध नीति पर आधारित है जिसके अनुसार पाकिस्तान का पूर्ण रूप से शस्त्रीकरण किया गया है, चीन को हमारे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है और भारतीय उप महाद्वीप की शान्ति भंग हो गई है? क्या सरकार ने उनका ध्यान इस ओर दिलाया है कि पाकिस्तान को शस्त्र न देकर वे यहां तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में शान्ति स्थापित कर सकते हैं।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि वर्तमान प्रश्न के अन्तर्गत यह प्रश्न भी आता है कि नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री दी० चं० शर्मा।

श्री दी०चं० शर्मा : अमरीका के प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने प्रतिरक्षा परिसीमा की बात की है और इस प्रकार सभी राष्ट्रों को चीन को रोकने तथा प्रतिरक्षा परिसीमा को मजबूत बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने अमरीका के प्रतिरक्षा मंत्री या अमरीकी सरकार का

ध्यान इस ओर दिलाया है कि प्रतिरक्षा परिसीमा में केवल रूस ही नहीं आता है—क्योंकि रूस की चीन के साथ साझी प्रतिरक्षा परिसीमा है—या केवल भारत ही नहीं आता है अपितु पाकिस्तान भी आता है ? प्रतिरक्षा परिसीमा के उस भाग की उचित सुरक्षा के लिये, जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान आता है, अमरीकी सरकार क्या कुछ कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यदि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को ठीक समझ पाया तो मैं अमरीकी सरकार को यह राय देने में सक्षम नहीं हूं कि उसे पाकिस्तान की सुरक्षा के लिये क्या कुछ करना चाहिये........

श्री दी० चं० शर्मा : मुझे दु:ख है कि मेरा प्रश्न भलीभांति समझा नहीं गया । मेरा प्रश्न यह नहीं था कि अमरीका को पाकिस्तान की सुरक्षा के लिये क्या करना चाहिये । मेरा प्रश्न यह था कि चीन की प्रतिरक्षा परिसीमा के अन्तर्गत रूस की सीमा, भारत और चीन के बीच की सीमा तथा पाकिस्तान और चीन के बीच की सीमा आती है । क्या अमरीकी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि वह चीन की प्रतिरक्षा परिसीमा को रोकने की अपनी नीति का अनुसरण करते हुये पाकिस्तान को चीन से अपनी रक्षा के प्रति सावधान होने को कहेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह सही है कि एक समय अमरीका तथा पाकिस्तान सीटो (SEATO) और बगदाद जैसी सुरक्षा सन्धियों के सदस्य बने थे । तब अमरीका तथा पाकिस्तान में पारस्परिक सुरक्षा समझौता हुआ था और उसीके अन्तर्गत पाकिस्तान को अमरीका से भारी सैनिक सहायता मिली । पाकिस्तान ने अमरीका को धोखा दिया क्योंकि यह सहायता चीन के विरुद्ध दी गई थी । हम यह ठीक ही कहते आरहे थे कि पाकिस्तान यह सहायता भारत के विरुद्ध प्रयोग में लायेगा और यही अनेक बार हुआ ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह और स्पष्ट करें कि क्या मैक्नमारा या अमरीकी सरकार के किसी सदस्य को अधिकार है कि वह अमरीकी प्रतिरक्षा परिसीमा में आने वाले राष्ट्रों में भारत को भी शामिल करें जैसा कि मुख्य प्रश्न के संदर्भ में उद्धृत वक्तव्य से प्रकट होता है कि "श्री मैक्नमारा ने प्रतिरक्षा परिसीमा का हवाला दिया जिसकी सुरक्षा के लिये सभी राष्ट्रों को और अधिक सक्रिय होना है ।"

क्या भारत को अमरीकी प्रतिरक्षा परिसीमा में संदिग्ध सम्मान का भागी बनाये जाने की सम्भावना है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं है । हमको संदिग्ध सम्मान क्यों मिले ? हमारे विचार में श्री मैक्नमारा के वक्तव्य में भारत का जिक्र नहीं हुआ ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने वक्तव्य में भारत को अलग भी नहीं किया ।

श्री हरिविष्णु कामत : क्या सरकार का ध्यान जापान के प्रधान मंत्री श्री सातो और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री किसी द्वारा चीन के खतरे के विरुद्ध दी गई चेतावनी तथा एशिया के

प्रजातन्त्रों को इसके विरुद्ध सैनिक ही नहीं अपितु कोई और सामूहिक कार्यवाही करने की मांग की ओर गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार का एशिया तथा विश्व के दूसरे प्रजातांत्रिक देशों के साथ प्रजातंत्र की सुरक्षा के लिये एक अभियान में सम्मिलित होने का विचार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : हमारी विश्वजनीन प्रजातंत्र की सुरक्षा में सम्मिलित होने की कोई योजना नहीं है और मुझे ऐसे किसी विचार या सुझाव की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : जापान के प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा………

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया । अब हम अल्प सूचना प्रश्न लेंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

कोचीन पत्तन के गोदी श्रमिक

14. **श्री मणियंगाडन** : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोचीन पत्तन के गोदी श्रमिकों ने "धीरे काम करो" नीति अपना रखी है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे जहाजों के लिये, जिनमें काजू की गिरी तथा दूसरा सामान निर्यात किया जाता है, लांगलस्थान (बर्थ) प्राप्त करने और उनमें सामान लादने में भारी विलम्ब हो रहा है ;

(ख) क्या लांगलस्थान प्राप्त करने के लिये जहाजों को प्रतीक्षा करनी पड़ी है और यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हुए हैं ;

(ग) क्या किसी जहाज को कोचीन पत्तन में आये बिना ही आगे चले जाना पड़ा और यदि हां, तो कितने जहाजों ने ऐसा किया है; और

(घ) गोदी श्रमिकों की इस "धीरे काम करो" नीति को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । जुलाई, 1966 में ऐसे 62 मामले हुए ।

(ग) जी हां, तीन जहाज ।

(घ) कुछ मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मणियंगाडन : क्या श्रमिकों या उनके संगठनों के द्वारा कोई विशेष मांग रखी गई है ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री शाहनवाज खां : पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के प्रतिवेदन से हमें पता चला है कि झगड़े का वास्तविक कारण मजदूरों की कुछ टोलियों द्वारा 'अप्रकट धन' (Ghost money) की मांग थी, जो कि उनके द्वारा किये जाने वाले सामान्य काम के लिए एक अवैध परितोषण होगा। यही इस सारे झगड़े का कारण है।

श्री मणियंगाडन : श्रमिकों द्वारा 'धीरे काम करो' नीति बहुत पहिले अपना ली गई थी तथा गोदी श्रमिक बोर्ड के अध्यक्ष के पास बहुत सारे अभ्यावेदन भेजे गये। क्या उन्होंने इस प्रश्न का हल निकालने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री शाहनवाज खां : पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ने सभी सम्बन्धित दलों की एक बैठक बुलाई थी। सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 'श्रम-संघों' ने भी 'अप्रकट धन' के अनिष्ट के विरुद्ध संघर्ष करने में पूरा सहयोग दिया। कार्यवाही करने के परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है।

श्री वासुदेवन नायर : अभी हाल ही में पत्तन तथा गोदी श्रमिकों ने अखिल भारतीय हड़ताल करने की धमकी दी थी और मैं समझता हूँ कि इनके प्रतिनिधियों की कोई अखिल भारतीय स्तर की बैठक बुलाई गई थी तथा उसमें कुछ समझौता हुआ था। इस समझौते के बावजूद भी अन्तरिम सहायता के रूप में कोई सहायता नहीं दी गई, जिसके कारण कर्मचारियों में बड़ा क्षोभ एवं असन्तोष है। सरकार उन्हें सहायता देने के लिए क्या कुछ कर रही है ?

श्री शाहनवाज खां : यह एक अलग प्रश्न है ?

श्री वासुदेवन नायर : यह गोदी श्रमिकों से सम्बन्धित है।

श्री शाहनवाज खां : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि वेतन बोर्ड इस मामले पर विचार कर रहा है और इस समस्या से परिचित है।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार ने समस्या का समाधान करने की कार्यवाही का श्रीगणेश कर दिया है तथा कर्मचारियों की सही मांगों का पता लगा लिया है ? क्या कर्मचारियों ने ये मांगे बिना किसी आधार और उत्तेजना के एकाएक उठाई है ?

श्री शाहनवाज खां : यह मामला समझौता मशीनरी के हाथ में नहीं है क्योंकि किसी तरफ से भी ऐसी पहल नहीं की गई हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पाकिस्तान द्वारा खाली किये क्षेत्रों में सुरंगों का फटना

*577. **श्री मधु लिमये** : **श्री हुकम चन्द कछवाय** :
श्री किशन पटनायक : **श्री रामेश्वरानन्द** :
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री रघुनाथ सिंह** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताशकंद समझौते की शर्तों के अनुसार पाकिस्तान द्वारा खाली किये गये क्षेत्रों में

सुरंगों और बमों के फटने से लोगों की मृत्यु होने के बारे में क्या सरकार को अब तक कोई रिपोर्ट मिली है ;

(ख) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच यह करार हुआ था कि वे अपने-अपने क्षेत्रों को खाली करने से पहले वहां से सुरंगें हटायें अथवा एक दूसरे देश को यह बतायें कि किन-किन क्षेत्रों को छोड़ने से पहले वहां से सुरंगें तथा बम नहीं हटाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Transfer of Subject of Nagaland From External Affairs Ministry

*578. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Raghunath Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri H. C. Linga Reddy :
Shri P. R. Chakraverti :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the specific reasons for which the subject "Administration of Nagaland" could not be transferred so far from the Ministry of External Affairs to the Ministry of Home Affairs; and

(b) when the final decision will be taken in this regard ?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). As already stated in the Lok Sabha on 21st February, 1966, in answer to Unstarred Question No. 482, Government have accepted in principle that matters relating to Nagaland should more appropriately be dealt with by the Ministry of Home Affairs. However, in view of the present situation a change in the existing arrangement cannot be undertaken immediately.

ऐवरो–748 विमान

*579 **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐवरो-748 विमानों को वायु सेना के उपयोग के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय वायु सेना द्वारा विदेशी केडिटों को प्रशिक्षण

*580. **श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : श्री सुबोध हंसदा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना विदेशों के केडिटों को इस समय प्रशिक्षण दे रही है और अपने विमान चालक प्रशिक्षकों को विदेशों में केडिटों को प्रशिक्षण देने के लिये भेज रही है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों के केडिट प्रशिक्षण पा रहे हैं और किन किन देशों में भारतीय प्रशिक्षक भेजे गये हैं ; और

(ग) इस कार्य पर सम्बन्धित देशों की सरकारों तथा भारत ने अनुमानतः कितनी भारतीय मुद्रा तथा विदेशी मुद्रा व्यय की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) निम्न देशों के केडेट भारतीय वायु सेना संस्थानों में प्रशिक्षण पा रहे हैं :—

(1) इराक (3) घाना

(2) नाइजीरिया (4) यमन

भारतीय प्रशिक्षक यू० ए० आर० और इराक में भेजे गए हैं।

(ग) विदेशों में अपने प्रशिक्षकों को संबंधित देशों द्वारा उनकी मुद्रा में अदायगी की जाती है। विदेशी केडेटों के प्रशिक्षण के लिए संबंधित देशों द्वारा साधारणतः अदायगी की जाती है। इन संबंधों में भिन्न सरकारों द्वारा उठाया गया कुल खर्च का हमें ज्ञान नहीं है। तदपि, इस विषय में सरकार द्वारा किये गये खर्च की राशि लगभग 3.5 लाख रुपये होगी।

भारत को कल-पुर्जों (कम्पोनेंट्स) की सप्लाई पर प्रतिबन्ध

*581. **श्री व० कु० दास : श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सुबोध हंसदा : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों द्वारा कल-पुर्जों की सप्लाई पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण बंगलौर स्थित कारखाने में विमान तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का निर्माण अव्यवस्थित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कल-पुर्जों को देश में बनाने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ग) इन दोनों के निर्माण कार्य में कहां तक सुधार हुआ है और इन कल-पुर्जों के देश में ही बनाये जाने से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) यथा साध्य ऐसे संघटकों और भागों के लिए देशीय निर्माण की स्थापना करने के लिए निरन्तर यत्न किये जा रहे हैं।

(ग) यह संघटक और भाग विशिष्टं प्रकार के हैं। आवश्यकताएं ऐसी नहीं कि सभी हालतों में देशी निर्माण वचतपूर्वक सिद्ध हो। इन प्रयासों के फलस्वरूप उत्पादन में सुधार अथवा विदेशी मुद्रा में बचत का निर्धारण समय से कहीं पहले होगा।

प्रतिरक्षा व्यय पर अवमूल्यन का प्रभाव

*582. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री वासुदेवन नायर : **श्री शिवमूर्ति स्वामी** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों से प्रतिरक्षा सम्बन्धी सासान खरीदने की लागत रुपयों में अधिक हो जाने के कारण देश का कुल प्रतिरक्षा व्यय काफी बढ़ जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आयात किये जाने वाले सामान की जगह पर काम आ सकने वाले सामान का बड़े पैमाने पर देश में ही निर्माण करने का विचार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) विदेशों से क्रय कुल रक्षा खर्च का एक थोड़ा सा भाग है। फलतः विदेश से रक्षा क्रयों की रुपयों में लागत का कुल रक्षा खर्च पर बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ेगा।

(ख) शक्य आयात प्रतिबदल सरकार की नीति है। ऐसा केवल विदेशी मुद्रा के अंश के कारण ही नहीं है, बल्कि यथा-संभव अपनी रक्षा क्षमता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी। भारत में ही अपनी रक्षा आवश्यकताओं के उत्पादन की संस्थापना के लिए निरन्तर यत्न किया जा रहा है, परन्तु जरूरी तौर पर यह एक लम्बी प्रक्रिया है।

सर्वेक्षण कार्य के कारण किसानों को हुई क्षति के लिए प्रतिकर

*583. **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किये गये सर्वेक्षण कार्य के फलस्वरूप जिन जमीन के मालिकों की फसलों को नुकसान पहुंचता है, उन्हें सरकार प्रतिकर देती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार होने वाले खर्च को केन्द्रीय सरकार वहन करती है अथवा राज्य सरकार ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जब कभी आवश्यक होता है, राज्य सरकारें सीमांकन कार्य के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने पर किसानों को मुआविजा देती हैं।

आकाशवाणी का दैनिक मूल्य विवरण (बुलेटिन)

*584. **श्री गुलशन** : **श्री दशरथ देव** :
श्री नरसिम्हा रेड्डी : **श्री म० ना० स्वामी** :
श्री अ० क० गोपालन : **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1966 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आकाशवाणी से प्रसारित किये जाने वाले प्रतिदिन के बाजार भावों और वास्तविक बाजार भावों के बीच काफी अन्तर होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी के बाजार भाव बुलेटिन इस उद्देश्य से प्रसारित किये जाते हैं कि लोगों को जरूरी चीजों के बाजार भाव बराबर मालूम होते रहें, और कोई दुकानदार उनसे ज्यादा दाम न ऐंठ सके। जिन वस्तुओं की कीमत निर्माता या स्थानीय अधिकारियों द्वारा निश्चित की जाती है, आकाशवाणी उन्हीं का प्रचार करती है। अन्य वस्तुओं का वह भाव प्रसारित किया जाता है, जो सबसे कम हों, ताकि उपभोक्ता अधिक दाम न दें। इन बुलेटिनों का यह मतलब नहीं है कि, ये भाव स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वीकृत हैं।

रूस द्वारा पाकिस्तान की आर्थिक सहायता

*585. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने रूस से आर्थिक सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में रूस ने क्या उत्तर दिया है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी हां। सोवियत सरकार पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देती रही है।

(ग) सरकार का विचार है कि इस तरह की सहायता से सोवियत-भारत संबंधों की पूर्णता पर कोई असर नहीं पड़ता ।

भारतीय सेनाओं में मद्य-निषेध

*586. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्य-निषेध सम्बन्धी टेकचन्द समिति ने सैनिकों द्वारा शराब का उपभोग किये जाने के बारे में अपने प्रतिवेदन का एक और भाग हाल में पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में क्या क्या मुख्य बातें कही गई हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 1964 में और अगस्त, 1964 में दो भागों में दी है । रिपोर्ट के भाग 1 में कई सिफारिशें/टिप्पणिएं हैं जो सीधे रक्षा संगठन से संबंधित हैं । समिति ने कोई और रिपोर्ट नहीं दी है ।

(ख) और (ग). मद्य-निषेध सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन भाग I, जिसे अप्रैल 1964 में पेश किया गया था, की निम्नलिखित सिफारिशों का प्रतिरक्षा संगठन से सीधा सम्बन्ध है :

(एक) सैनिकों पर मदिरा के प्रभाव का विशेष अध्ययन किया जाना चाहिये, जिसमें वि शेषतया इसके नेत्र ज्योति, श्रवण शक्ति, सूंघने की शक्ति, विवेक, शीघ्र निर्णय, सहनशक्ति, अध्ययन सामर्थ्य तथा ध्यान लगाने आदि पर बुरे प्रभाव का अध्ययन होना चाहिये ।

(दो) किसी भी हालत में सैनिक को अवैध शराब आदि के पीने की अनुमति नहीं होनी चाहिये ।

(तीन) नौसेना अधिनियम की धारा 52 में प्रयुक्त "मदिरा पीने का दोषी" तथा वायु सेना अधिनियम 1950 तथा स्थल सेना अधिनियम (धारा 48) में प्रयुक्त "नशे की हालत में पाया गया" शब्दों के स्थान पर "मदिरा तथा औषध के प्रभाव में" शब्द लिखे जाने चाहिये ।

2. इन सिफारिशों पर तीनों सेनाओं के अध्यक्षों, सशस्त्र सेनाओं की चिकित्सक सेवाओं के महानिदेशक तथा उनके कानूनी सलाहकारों के परामर्श से विचार किया गया था । निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये हैं:—

(क) इस अभिप्राय का कोई संकेत नहीं मिला है कि सैनिकों के मदिरापान से उनके कर्त्तव्य पालन में कोई बुरा प्रभाव पड़ा हो । प्रभावशाली प्रचार तथा नियंत्रण के कारण सैनिकों द्वारा पी जाने वाली मदिरा की मात्रा में काफी सीमा तक कमी हुई है ।

(ख) सैनिकों को अवैध मदिरा पीने की अनुमति देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) वर्तमान नियम, विनियम तथा विधियां पर्याप्त हैं और इनका सन्तोषजनक ढंग से पालन किया गया है । इसलिये सेवा अधिनियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ।

मैसूर राज्य में योजनाएं

*587. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उनके मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिये मैसूर राज्य को कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) विभिन्न योजनाओं पर कितनी राशि खर्च की गई है और उनके नाम क्या हैं तथा उन पर कितना खर्च आने का अनुमान है और उन योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल ० टी०**-6838/66]

दिल्ली में मुख्य मंत्रियों की बैठक

*588. **श्री हेमराज :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री दलजीत सिंह : **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री गुलशन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों की हाल में दिल्ली में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर बातचीत हुई तथा क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) उन्हें कैसे कार्य रूप दिया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). इस जानकारी से सम्बद्ध एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**–6839/66]

पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों द्वारा भारतीय सर्वेक्षण दल के सदस्यों का गिरफ्तार किया जाना

*590. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने पाकिस्तान के साथ पूर्वी सीमा का सर्वेक्षण करने वाले सरकारी दल के एक सदस्य को गलत तरीके से गिरफ्तार किया था जब कि उसके पास यथोचित कागजात थे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त अधिकारी को तंग किये जाने के बारे में कोई विरोध प्रकट किया है और प्रतिकर की मांग की है ; और

(ग) पाकिस्तान सरकार ने क्या उसका उत्तर दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). स्थानीय पाकिस्तानी अधिकारियों से विरोध प्रकट किया गया था। यह सर्वेक्षण कर्मचारी घटना के आधे घंटे बाद ही रिहा कर दिया गया था।

मारिशस द्वारा स्वतन्त्रता की मांग

*591. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारिशस के प्रधान मंत्री ने मारिशस के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता के लिये हमारे प्रधान मंत्री तक पहुंच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या उत्तर दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि ग्रेट ब्रिटेन ने घोषणा की है कि मारिशस को 31 दिसम्बर 1966 तक स्वतंत्रता प्रदान कर दी जायगी ; और

(घ) क्या हमारे प्रधान मंत्री ने इस मामले में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री से अपनी राय व्यक्त की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). मारिशस के प्रधान मंत्री ने अपने देश की स्वाधीनता से संबद्ध संवैधानिक घटनाओं से हमें सूचित रखा है। हमने उन्हें यकीन दिलाया है कि भारत सरकार मारिशस के लोगों के स्वाधीनता संग्राम में पूरे दिल से उनके साथ है और वह मारिशस में एक व्यक्ति-एक वोट के सिद्धान्त पर आधारित बहुमत के शासन का पूर्ण रूप से समर्थन करती है। हमने यह विचार भी व्यक्त किया है कि भारत लोगों के हितों के विरुद्ध किसी सीमित मतदान प्रणाली को शुरू करने के विरुद्ध है और हम अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रमंडलीय मंचों पर इन विचारों को रखते रहेंगे।

(ग) सितम्बर 1965 में लंदन में आयोजित संविधान सम्मेलन में जिस प्रबंध पर सहमति हुई थी, वह यह था कि मारिशस में आम चुनाव किये जाएंगे और अगर नई प्रणाली के अंतर्गत सम्यक् रूप से चुनी हुई विधान सभा ने स्वाधीनता के पक्ष में प्रस्ताव पास किया तो वह उन्हें दे दी जाएगी लेकिन पहले छह महीनों की अवधि के लिए वहां आंतरिक स्व-शासन रहेगा। इस प्रक्रिया को 31 दिसम्बर 1966 तक पूरा कर लेने का इरादा था।

(घ) यह आवश्यक नहीं हुआ क्योंकि बैनबेल कमीशन रिपोर्ट की आपत्तिजनक सिफारिशों में पहले ही आमूल परिवर्तन कर दिया गया है जिससे मारिशस के प्रधान मंत्री और अन्य राजनीतिक दलों के नेता संतुष्ट हैं।

रेडियो काश्मीर

*592. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 7 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 386 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा श्रीनगर रेडियो स्टेशनों पर अनाउन्सर अब भी 'रेडियो काश्मीर' ही कहते हैं और न कि 'आल इण्डिया रेडियो' अथवा 'आकाशवाणी' जैसा कि भारत के सभी अन्य स्टेशनों पर कहा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता को कब दूर किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क). जी हां ।

(ख) सरकार यह जरूरी नहीं समझती कि फिलहाल श्रीनगर और जम्मू के रेडियो केन्द्रों का नाम बदला जाए । यदि भविष्य में नाम बदलना आवश्यक होगा तो इस पर विचार किया जा सकता है ।

Minorities in Pakistan

*593. **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Sonavane :
Shri Y. D. Singh :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that atrocities are being perpetrated on the minorities in Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that cases of murder, loot, abduction and rape of minorities are increasing day by day ;

(c) if so, the action taken by Government in the matter ; and

(d) the number of persons belonging to the minority community who came to India during the year 1966 ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Reports of the harassment of minorities in Pakistan and of their sense of insecurity and helplessness come to notice from time to time, but the Government of India have no evidence that the kind of atrocities specified in the question are being perpetrated or increasing.

(c) Individual cases of harassment are taken up with the Government of Pakistan under the Nehru-Liaquat Pact, under which the Pakistan Government had affirmed its obligations towards its minorities. Their responsibility for discharging these obligations have also been brought to the Pakistan Government's notice whenever occasion has demanded.

(d) The number of persons belonging to the minority community who migrated to India from East Pakistan from the 1st January to 23rd July, 1966, is 4523. In the same period 95 such persons came to India from West Pakistan.

तिब्बती शरणार्थियों के बारे में चीन द्वारा प्रसारण

*594. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री हेम बरुआ : **श्री काशी राम गुप्त :**
श्री हरि विष्णु कामत : **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री किशन पटनायक :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत में ल्हासा के चीनी रेडियो से नियमित रूप से ऐसे प्रसारण किये जा रहे हैं, जिनमें भारत में तिब्बती शरणार्थियों की दशा के बारे में गलत बयानी की जाती है ;

(ख) ऐसे प्रचार का खण्डन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या दलाई लामा ने सरकार से प्रार्थना की है कि ऐसे प्रचार का खण्डन करने के लिए उन्हें आकाशवाणी से समय-समय पर प्रसारण करने दिया जाए और क्या उन्हें इसकी अनुमति दे दी गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री दिनेश सिंह**) : (क) जी हां ।

(ख) आल इण्डिया रेडियो के तिब्बती भाषा के प्रसारणों में तिब्बती शरणार्थियों के लिए हमारे पुनर्वास कार्यक्रमों की और इन कार्यक्रमों पर अमल करने में की गई प्रगति की सूचना दी जाती रही है । अपनी मातृभूमि से निकाले हुए इस समुदाय के लोगों की समस्याओं पर जो ध्यान दिया जाता है और भारत में तिब्बती शरणार्थियों के साथ हमदर्दी और दोस्ती के साथ जो बर्ताव किया जाता है, उसकी सूचना भी इन प्रसारणों के जरिये भेजी जाती है ।

(ग) सरकार को इसके सम्बन्ध में कोई विशेष प्रार्थना नहीं मिली है लेकिन दलाई लामा के भाषण समुचित अवसरों पर आल इण्डिया रेडियो के तिब्बती कार्यक्रमों में प्रसारित किए जाते हैं ।

अणु बम का विस्फोट करने की भारत की कथित योजना के बारे में पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र संघ का विरोध पत्र

*595. **श्री स्वैल :**
श्री राम पुरे :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने निकट भविष्य में अणु बम का विस्फोट करने की भारत की कथित योजना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ को विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) भारत सरकार को सूचना मिली है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पास नोट भेजा है जिसमें यह झूठा आरोप लगाया गया है कि भारत निकट भविष्य में परमाणु विस्फोट करने की योजना बना रहा है ।

(ख) सरकार ने अपनी नीति को फिर दोहराया है कि परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाय और संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों तथा सभी संबद्ध अधिकारियों को सूचना दी है कि पाकिस्तान सरकार के नोट में लिखे कथित आरोप निराधार हैं ।

बिजली-शुल्क (डयूज) के भुगतान से छूट देने का अमरीकी दूतावास का अनुरोध

*596. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** **श्री बीरेन दत्त :**
श्री अ० क० गोपालन : **श्री दशरथ देव :**
श्री उमानाथ : **डा० सारादीश राय :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने नई दिल्ली नगरपालिका से अनुरोध किया है कि हमें बिजली के शुल्क के भुगतान से छूट दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). 1962 में दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ने 1 जुलाई 1959 से बिजली की दर एक यूनिट पर एक नया पैसा बढ़ा दी और नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी से कहा कि वह उपभोक्ताओं से लेकर देय राशि का भुगतान करे । दिल्ली में अमरीकी राजदूतावास सहित सभी विदेशी मिशनों पर इस वृद्धि का असर पड़ा । विदेशी मिशन अपनी सरकारी इमारतों के सम्बन्ध में बढ़ी हुई दरों पर अदायगी करने को तो तैयार हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों के निवास-स्थानों के बारे में कठिनाइयां उठ खड़ी हुई हैं जो अपना कार्यकाल पूरा करके भारत छोड़ कर चले गए हैं और जिनमें से कुछ नौकरी से रिटायर हो गए हैं या मर गए हैं । इस मामले पर बातचीत चल रही है ।

पाकिस्तान द्वारा एफ-86 सेबरजैट विमान खरीदे जाना

*597. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री हेम राज :**
श्री हेम बरुआ : **श्री राम पुरे :**
श्री स्वैल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीका द्वारा भारत और पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों के संभरण पर रोक लगाये जाने के बावजूद पाकिस्तान ने 50 अमरीकी एफ-86 सेबर जैट विमान खरीदे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका सरकार से पूछा है कि इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन कैसे हुआ है और इसके बारे में अमरीका ने क्या उत्तर दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार को मालूम हुआ है कि पाकिस्तान को ईरान के जरिए कुछ एफ-86 किस्म के हवाई जहाज मिले हैं जो पच्छिमी जर्मनी ने ईरान को उसके उपयोग के लिए बेचे थे। पच्छिमी जर्मनी की सरकार ने भी कुछ साल हुए, ये हवाई जहाज कनाडा से खरीदे थे। जहां पर वे अमरीका के लाइसेन्स के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं।

(ख) ये जो हवाई जहाज पाकिस्तान पहुँचे हैं, उनकी बिक्री में अमरीका की सरकार का कोई हाथ नहीं है। इन हवाई जहाजों की ईरान को वापसी के प्रश्न पर संबद्ध सरकारों से लिखा पढ़ी की जा रही है जिन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था कि ये हवाई जहाज किसी तीसरे देश को नहीं भेजे जाएंगे।

Detention of Shri Trilokya Nath Chakravarty By East Pakistan Government

*598. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya**
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Bade :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Trilokya Nath Chakravarty, a freedom fighter, known as 'Maharaj' in Bengal, is at present detained in Memonsingh Jail in East Pakistan ;

(b) whether it is also a fact that his condition is very critical at present ; and

(c) if so, the steps taken by Government so far to get him released ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the information available, Shri Trilokya Nath Chakravarty is ailing.

(c) Since Shri Chakravarty is apparently being detained on political grounds, the Government of India have not approached the Pakistan Government, but they hope that the latter will remain mindful of their obligations towards members of their Minority Community as well as of ordinary humanitarian obligations.

पाकिस्तान के साथ दूर संचार व्यवस्था का फिर से स्थापित किया जाना

2844. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 3मई 1966 की ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ फिर से दूर संचार व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस बीच नये प्रयत्न किए हैं ;

(ख) क्या पाकिस्तान सर्किट के कार्य में सुधार करने के लिए पुराने उपकरण बदलने के लिए राजी हो गया है ;

(ग) क्या पाकिस्तान ने भारत के 'संयुक्त परीक्षण' का सुझाव मान लिया है ताकि पूर्वी पाकिस्तान में मरम्मत का कार्य शीघ्र हो सके ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या पाकिस्तान द्वारा ताशकंद घोषणा के छठे खण्ड (क्लाज) को न मानने के बारे में रूस और अमरीका को बता दिया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान के सम्बद्ध अधिकारियों ने यह बताया है कि उनकी सरकार ने अभी तक इस विषय पर कोई निश्चित फैसला नहीं किया है ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) मित्र देशों की सरकारों को ताशकंद घोषणा से सम्बद्ध घटनाओं की सूचना दे दी जाती है, जिसमें उक्त घोषणा की विभिन्न व्यवस्थाओं पर अमल करने की दिशा में पाकिस्तान का नकारात्मक रवैया भी शामिल है ।

विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा पर व्यय

2845. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 में अन्य देशों के जो राज्याध्यक्ष, उप-प्रधान तथा शासन प्रमुख भारत में आये थे, उनके स्वागत समारोहों आदि के सम्बन्ध में कुल कितनी राशि खर्च की गई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : 1965-66 के दौरान विदेशों के राज्याध्यक्षों, उप-राष्ट्रपतियों और शासनाध्यक्षों की यात्राओं के सिलसिले में 3,94,033.00 रुपये खर्च किए गए ।

केरल में भूतपूर्व सैनिकों के लिये भूमि

2846. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भूतपूर्व सैनिकों तथा सैनिक कर्मचारियों को देने के लिए कितनी भूमि नियत की गई है ;

(ख) कितनी भूमि उनको अलाट की जा चुकी है ; और

(ग) वह भूमि उन्हें कब दी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) केरल भूमि अधिन्यास नियमों 1965 में ऐसा निर्धारित है कि प्रत्येक गांव में अधिन्यास के लिए प्राप्त भूमि, सेवा कर

रहे सैनिक सेविवर्ग और उन लोगों के आश्रितों के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर अधिन्यसा के लिए सुरक्षित रखी जायगी, जो सक्रिय सेवा में मारे जायं या निर्योग्य हो जाएं। चाहे किसी भी राज्य से सम्बन्ध रखते हों सैनिक सेविवर्ग किसी भी राज्य में भूमि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परन्तु भूमि अधिन्यास के मामले में अधिमान उन व्यक्तियों को दिया जायगा, जो केरल के हों।

(ख) तथा (ग). सूचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है, और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

आयातित अखबारी कागज पर अधिभार

2847. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या भारतीय पूर्वी समाचार पत्र संस्था ने देश में आयातित अखबारी कागज के मूल्यों में हुई वृद्धि तथा रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप 1 जुलाई, 1966 से विज्ञापन दरों पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। 1 अगस्त, 1966 से।

(ख) सरकार ने अपने विज्ञापनों पर भी अधिभार देना स्वीकार कर लिया है।

हैदराबाद के निकट भारतीय वायु सेना के जैट विमान की दुर्घटना

2848. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री बड़े :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, 1966 को भारतीय वायु सेना का एक वेमपायर जैट विमान हैदराबाद के निकट वावन्नपल्ली में गिर गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) दुर्घटना में जान और माल की कितनी हानि हुई ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) दुर्घटना मडफोर्ट, सिकन्दराबाद के निकट हुई ।

(ख) नाईजीरिया की वायु सेना का फ्लाईट केडेट के० तरफा अकेले प्रशिक्षण उड़ान पर था। विमान से रेडियाई सम्पर्क टूट गया था जब वह 18000 फुट की ऊंचाई पर हाकिमपेट हवाई अड्डे के ऊपर पूर्वी दिशा की ओर जा रहा था। तदनु विमान चालक ने विमान को त्याग दिया और सख्त घायल दशा में वह छाते द्वारा उतर आया। अपने घावों के कारण वह सैनिक हस्पताल में मर गया। विमान एक गैराबाद क्षेत्र में विध्वस्त हो गया। घटना की जांच करने के लिए एक कोर्ट आव इन्क्वायरी आदिष्ट की गई है। घटना के पूरे विस्तार कोर्ट आव इन्क्वायरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता चल पाएंगे।

(ग) विमान चालक फ्लाईट केडेट के० तरफा दुर्घटना के फलस्वरूप निधन को प्राप्त हुआ। उसके अतिरिक्त सात असैनिकों को मामूली चोटें आईं। विमान को ऐसी क्षति पहुंची कि उसकी मरम्मत आर्थिक स्थिति से बाहर थी। असैनिक संपत्ति (3 मकानों, एक चर्च के भवन और कुछ व्यक्तिगत सामान) को भी क्षति पहुंची थी।

आकाशवाणी केन्द्र मंगलौर

2849. **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मंगलौर में आकाशवाणी का एक केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक क्रियान्वित किये जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). प्रसारण के विकास की चौथी पंचवर्षी योजना में मंगलौर में एक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। योजना की अभी मंजूरी होनी है। अभी यह बताना संभव नहीं कि, प्रस्ताव कब तक अमल में आयेगा।

डा० जिवागो नामक फिल्म

2850. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्सर बोर्ड ने "डा० जिवागो" नामक फिल्म को प्रदर्शन की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो अनुमति देने में इतनी अधिक देरी करने के क्या कारण थे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड ने फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र देने का निश्चय कर लिया है। इस सम्बन्ध की कारवाई पूरी हो जाने पर प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।

(ख) तथा (ग). फिल्म की जांच पहले परीक्षा समिति ने की, इसके बाद समीक्षा समिति ने इसे देखा और अन्य बातों के साथ यह राय दी कि फिल्म को केन्द्रीय सरकार के सामने पेश किया जाय। बोर्ड के अध्यक्ष का पत्र मिलने पर, 1958 के सिनेमाटोग्राफ कानून के नियम 25 के उपनियम 12 के अन्तर्गत, फिल्म देखी गई और फिल्म को प्रमाण-पत्र देने के बारे में बोर्ड को मुनासिब निर्देश दे दिये गये हैं।

बर्लिन में अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह

2851. **श्री राम हरख यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्लिन में हाल में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में भारतीय चलचित्र भी दिखाये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कितनी सफलता मिली ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। जून-जुलाई, 1966 में बर्लिन में हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत ने कथा चित्र 'नायक' और वृत्त चित्र 'दैट डाल्टा दैट रिवर' दोनों को प्रतियोगिता के लिए और वृत्त-चित्र 'डांसेज आफ आसाम' दिखाने के लिये भेजा था। व्यापार मेले में कथा चित्र 'आरजू' दिखाया गया।

(ख) 'नायक' फिल्म के निर्देशक श्री सत्यचित राय को उनकी विशिष्ट फिल्म कला के सम्मान में एक विशेष पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार 'नायक' फिल्म में प्रदर्शित मानवता की ऊँची भावना ही के लिए नहीं, बल्कि श्री राय की संपूर्ण कृतियों की श्रेष्ठता के लिए भी दिया गया। इस प्रकार सम्मानित होने वाले श्री राय पहले व्यक्ति हैं। 'नायक' फिल्म को इंटरनेशनल प्राइज आफ क्रिटिक्स (अन्तर्राष्ट्रीय आलोचकगण का) पुरस्कार भी मिला। बताया जाता है कि व्यापारिक दृष्टि से 'आरजू' फिल्म को भी अच्छी सफलता मिली।

युद्ध-बन्दियों की अदला-बदली

2852. **श्री लखमू भवानी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक भारत और पाकिस्तान के सभी युद्ध-बन्दियों की अदला-बदली की जा चुकी है अथवा उनमें से कुछ की अदला-बदली अभी नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां। सभी युद्धबन्दियों की अदला-बदला की जा चुकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एक तिब्बती द्वारा सिक्किम में शरण मांगना

2853. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में एक तिब्बती ने सिक्किम में शरण मांगी थी ;

(ख) क्या सिक्किम के अधिकारियों ने शरण देने से इन्कार कर दिया था ;

(ग) क्या इस बारे में चीनियों द्वारा कोई दबाव डाला गया था ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि 26 व्यक्तियों ने, जो तिब्बत से सिक्किम में आये थे, पिछले तीन महीनों में शरण मांगी।

(ख) और (ग). जी नहीं। भारत सरकार सिक्किम की रक्षा और उसके वैदेशिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। चीनियों ने कोई दबाव नहीं डाला।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अमरीका और ब्रिटेन के समाचार अधिकरणों तथा टेलीविजन व्यवस्था द्वारा भारत विरोधी प्रचार

2854. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ब्रिटेन और अमरीका के समाचार अधिकरणों तथा टेलीविजन व्यवस्था द्वारा अफ्रीका तथा एशिया के देशों में किये जाने वाले भारत विरोधी प्रचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका खण्डन करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार यह जानती है कि कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों में काम करने वाली कुछ समाचार-एजेंसियों और टेलीविजन-व्यवस्थाओं द्वारा पक्षपातपूर्ण और गलत समाचार प्रचारित करने के कारण भारत की गलत तस्वीर पेश की जाती है।

(ख) संबद्ध देशों में हमारे मिशन बुलेटिन और पैम्फलैट जारी करके पत्रकारों को ब्रीफ

करके, उन्हें भारत आने का निमंत्रण देकर और अपने साधनों और सीमाओं में रहते हुए अन्य जो भी उपाय कर सकते हों वे करके, इस तरह की खबरों को ठीक करने का जब भी मौका मिलता है उसका लाभ उठाते हैं ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की दशा

2855. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व मंत्री, श्री ए० एन० लॉरेंस के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की दशा मिश्रित वंश की अगौर जातियों से अधिक खराब है ; और

(ख) वहां पर रहने वाले भारतीयों की दशा सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दक्षिण अफ्रीका की जातिभेद की नीतियों और रंगभेद पर घातक रूप से अमल करने के कारण भारतीय मूल के लोगों पर और अन्य प्रभावित लोगों पर जो बुरा असर पड़ा है, उसके प्रश्न को भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में और अन्यत्र बराबर उठाया है । तीसरे अधिवेशन से महासभा ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार से बार-बार यह कहा है कि वह चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धान्तों को तथा मानवाधिकारों की घोषणा को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर भारत और पाकिस्तान के साथ गोल मेज सम्मेलन में विचार-विमर्श करे । दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने इन अपीलों को बराबर अनदेखा किया है और दसवें अधिवेशन के बाद से इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र की बहस में भी भाग नहीं लिया है । सत्रहवें अधिवेशन (1962) से भारतीयों के प्रति व्यवहार के प्रश्न को रंगभेद के अधिक व्यापक प्रश्न से जोड़ दिया गया है क्योंकि उस देश में इन जाति भेद की नीतियों से सभी अश्वेतों के जीवन पर बराबर असर पड़ रहा है । हम समान विचार धारा वाले अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद की नीति के खिलाफ बराबर संघर्ष कर रहे हैं ।

चूंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं इसलिए भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार के साथ इस सवाल को सीधे उठाने की स्थिति में नहीं है ।

संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन

2856. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन निकट भविष्य में कब होने वाला है ; और

(ख) इस अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों का ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र महासचिव का 21 वां सत्र 20 सितम्बर 1966 को आरम्भ होना निश्चित हुआ है।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के बारे में अभी यह तय नहीं किया गया है कि उसमें कौन-कौन लोग होंगे।

समुद्री डीजल इंजन कारखाना

2858. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 4 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3203 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री डीजल इंजन कारखाने को स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). स्थान के तौर पर रांची के सम्बन्ध में सिफारिश विचाराधीन है। फैक्टरी गार्डन रीच वर्कशाप का हिस्सा होगी।

आकाशवाणी के केन्द्र निदेशकों का सम्मेलन

2859. **श्री राम हरख यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के केन्द्र निदेशकों का सम्मेलन हाल में दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी के कार्यक्रमों के स्तर को सुधारने के लिये क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6840/66]

(ग) सभी सिफारिशें आकाशवाणी के कार्यक्रमों को और अच्छा तथा लोगों पर और प्रभाव डालने वाला बनाने के बारे में हैं। सरकार ने उन पर अभी विस्तारपूर्वक विचार नहीं किया है, लेकिन उनमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

भारतीय समाचार-चित्र

2860. **श्री सेझियान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 10 जून, 1966 से आज तक सप्ताहवार प्रदर्शित किये गये भारतीय, समाचार-चित्रों में कौन-कौन सी घटनाएं और अन्य प्रमुख बातें शामिल की गईं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : जानकारी भारतीय समाचार-चित्र संख्या 922-931 की विषय-सूची में दी हुई है जो साथ में नत्थी है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-6841/66**]

केरल में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

2861. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री अ० व० राघवन :**
श्री उमानाथ : **श्री पोट्टेकाट्ट :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए केरल में कन्नानूर जिले में तालीपरम्वा नामक स्थान में एक लैण्ड कालोनी स्थापित करने के सम्बन्ध में केरल सेवा निधि समिति के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस बस्ती-योजना के लिए कितनी भूमि अर्जित करने का विचार है और उसके लिए कितनी राशि रखी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). सूचना केरल के राज्य, सैनिक, नौसैनिक, वायुसेना सैनिक बोर्ड के सचिव से मांगी गई है और जब प्राप्त हुई सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रधान मंत्री की यात्रा वाले विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

2862. **श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री सोनावने :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस विमान के दुर्घटना-ग्रस्त होने का क्या कारण था जिसमें 26 मई, 1966 को प्रधान मंत्री पूना से दिल्ली जा रही थीं ; और

(ख) क्या किन्हीं व्यक्तियों को चोटें आई थीं और यदि कोई क्षति हुई है तो कितनी क्षति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस):(क) तथा (ख). घटना 25-5-66 को हुई। लगभग 5 बजे सायं जन विमान पालम से लगभग 25 मील पटोदी के ऊपर था और धरातल से लगभग 6000 फुट की ऊंचाई पर उतरने के क्रम में था, विमान से कोई सौ गज की दूरी पर एक पक्षी दिखाई पड़ा। घटना के समय दृश्यता बहुत खराब थी। पक्षी से बचने के लिए विमान के कप्तान ने युक्ति से पेन्तरा बदला, जिससे उड़ान की ऊंचाई में लगभग 20 फुट की कमी आ गई। इसके फलस्वरूप कुछ यात्री अपने स्थान से ऊपर की ओर जैसे फेंक दिए गये। उनमें दो को मामूली चोटें आईं। घटना से पहले उड़ान हिचकोलों से युक्त थी, और विमान के कप्तान ने यात्रियों के लिए अपने आपको सीटों से लगी पेटियों से बांध लेने के संकेत का प्रदर्शन किया। जिन यात्रियों ने इस निर्देश का पालन किया उन्हें कोई चोटें नहीं आई थीं। विमान में प्रथमोपचार का सामान प्राप्य था, और घायलों का प्रथमोपचार किया गया था। कोई हानि नहीं हुई थी।

Telephones in Bhutan

2863. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to instal telephone connections between different cities in Bhutan at the instance of Bhutan Government ; and

(b) if so, the expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes.

(b) The expenditure to be incurred on the schemes so far sanctioned in Bhutan would be of the order of Rs. 130 lakhs.

Memorial to Late Prime Minister Lal Bahadur Shastri

2864. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Rishang Keishing :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Raghunath Singh :
Shrimati Ramdulari Sinha :
Shri Lakhmu Bhawani :

Will the **Prime Minister** be pleased to State :

(a) the steps taken by Government to raise a memorial befitting the dignity of the late Prime Minister Lal Bahadur Shastri ;

(b) whether Government have considered the question of setting up 'Vijay Bhawans' throughout the country ; and

(c) whether any such Central Vijay (victory) Museum depicting the spirit of victory right from the beginning till the Tashkent declaration will be set up ?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) A National Committee under the chairmanship of the President with about a hundred members, drawn from different walks of life, has been formed to formulate plans for

perpetuating the memory of the late Prime Minister, Shri Lal Bahadur Shastri, and also to mobilise necessary resources for the Lal Bahadur Shastri National Memorial Trust. To process certain preliminary steps in this direction, a Steering Committee with the Vice-President as Chairman has been functioning.

In addition, a Committee has been functioning under the Chairmanship of the Vice-President to supervise the lay-out and other plans for the development of the area where the late Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri was cremated.

(b) and (c). No such proposals are under consideration of Government.

Indian Films

2865. **Shri Sidheshwar Prasad:**
Shri Rishang Keishing:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Indian films are becoming inferior and stale, day by day;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the reasons for spending foreign exchange on the production of such films which have no international market?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). The film is at once a work of art, a vehicle of culture and medium of entertainment and is susceptible of evaluation by different standards from differing view points. In the absence of accepted norms and common yardsticks it is not possible to compare films in different languages and produced by different individuals from time to time. It is, however, universally recognised that Indian films have achieved a high technical standard. The aesthetic content of films is not uniform because of the difference in the qualifications and approach of the various participants in film-making and the very nature and circumstances of the film industry.

(c) Indian films are produced largely for the home market, though a considerable number are made for foreign markets also. The value of export of exposed cinematograph films in 1965-66 came to Rs. 163·94 lakhs as against import of raw films valued at Rs. 252·11 lakhs.

दक्षिण अफ्रीका में स्थिति

2866. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा बी० बी० सी० टेलीविजन पर उस इंटरव्यू की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश सदस्यों का विश्वास है कि दक्षिण अफ्रीका में वर्तमान स्थिति से विश्व शान्ति के लिये खतरा है और दक्षिण अफ्रीका जाति भेद नीति में परिवर्तन करवाने के लिये अगली कार्यवाही आर्थिक प्रतिबन्ध है।

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अधिकारी की घोषणा के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ; और

(ग) दक्षिण अफ्रीका द्वारा जाति भेद नीति कब तक समाप्त किये जाने की आशा है ;

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। सरकार ने इस इन्टरव्यू का लिप्यन्तर (ट्रांसक्रिप्ट) देख लिया है ।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के किसी अंग ने कोई खास कार्रवाई नहीं की है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने टेलिविजन पर इन्टरव्यू दी थी। बहरहाल, दक्षिण अफ्रीका सरकार की वर्ण भेद नीतियों के विषय में विशेष समिति के आकार में वृद्धि करने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि विशेष रूप से बड़े-बड़े देशों के सहयोग से उसकी सदस्यता को और अधिक व्यापक बनाकर उसकी प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सके ।

(ग) यह कहना मुश्किल है कि दक्षिण अफ्रीका अपनी 'वर्ण भेद' नीति को कब छोड़ेगा। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि यह बड़े-बड़े देशों की कुछ न कुछ आम राय पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि कौन-से तरीके अपनाए जाएं ।

Statements by Rev. Michael Scott

2867. **Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri D. C. Sharma :**
Shri Yashpal Singh : **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri P. C. Borooah : **Shri C. K. Bhattacharyya :**
Shri S. M. Banerjee : **Shri D. D. Puri :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rev. Michael Scott made several anti-Indian statements in England after his recent expulsion from India ;

(b) if so, broad details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Rev. Michael Scott has, in a statement published in the "Times of London" of 30th May, said that without mediation there can be no solution of the problem and he has also highlighted the alleged atrocities committed by the Indian Security Forces in Nagaland. At a press conference held in London on 19th July, Rev. Scott circulated a pamphlet which includes his oft repeated views such as, question of sovereignty, Mediation and a commission to investigate the historical background and alleged atrocities.

(c) The Indian High Commissioner in London has in a statement published in the "Times of London" of 1st June countered the charges of Rev. Michael Scott.

The press conference held by him did not have any adverse impact. Prof. J. H. Hutton who was present at the Conference and knows the Nagas countered the arguments of Rev. Scott and said "the underground Nagas should accept statehood which has greater internal autonomy than is enjoyed by any other State of India". We are taking necessary steps to counter this adverse propaganda.

कलाकारों के लिये न्यास

2868. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ऐसा न्यास स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है,

जिससे इस उद्योग का विकास करने में सहायता मिले तथा कलाकारों के लिये जब वे फिल्म व्यवसाय को छोड़ें, कुछ वार्षिकी की व्यवस्था की जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). फिल्म उद्योग ने ऐसा ट्रस्ट बनाने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, जिससे कलाकारों को, व्यवसाय से निवृत्त होने पर कुछ वृत्ति दी जाए और फिल्म उद्योग के विकास के लिए धन की व्यवस्था की जाए। इन प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

आर्मी इंजीनियरिंग कोर और मेडिकल कोर में अनिवार्य भर्ती

2869. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्मी इंजीनियरिंग कोर और मेडिकल कोर के लिये अनिवार्य भर्ती के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) तथा (ख). अनिवार्य सेवा देयता योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय राज्य सरकारों और राजकीय क्षेत्र के उपक्रमों में काम कर रहे असैनिक इंजीनियर अफसरों को भर्ती के संशोधित नियम के अधीन, अपनी सेवा के पहले 10 वर्षों के दौरान प्रशिक्षण अवधि सहित चार वर्षों की कम से कम अवधि के लिए रक्षा सेवाओं में अथवा भारत या विदेश में कहीं भी रक्षा प्रयास से संबंधित कार्य में सेवा करना होती है। योजना सेना में लागू है, जिसमें जुलाई 1965 से ऐसे इंजीनियर अफसरों को अल्पकालीन सेवा के लिए कमीशनें दी जाती हैं। ऐसी ही एक योजना असैनिक चिकित्सक अफसरों के लिए भी पुरःस्थापित की गई है, और अगर आवश्यक हुआ तो ऐसे अफसरों को कमीशनें दी जाएंगी, जो संशोधित नियमों के अन्तर्गत जब और जैसे प्राप्य होने पर भर्ती किए जाएंगे।

समाचार भारती

2870. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय राष्ट्र भाषा सम्मेलन ने सरकार से "समाचार भारती" नाम से एक ऐसा समाचार अभिकरण (न्यूज एजेन्सी) स्थापित करने का हाल में ही

अनुरोध किया है जो देश में समाचारों के वितरण के लिये देवनागरी अथवा अन्य भारतीय लिपि का प्रयोग करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा सम्मेलन के बारहवें अधिवेशन ने सरकार से कोई ऐसी औपचारिक प्रार्थना नहीं की, जिसमें "समाचार भारती" नामक, एक ऐसी समाचार एजेन्सी खोलने का अनुरोध किया गया हो जो देश में देवनागरी अथवा अन्य भारतीय लिपि में समाचार वितरण करे। इसके बारे में, सम्मेलन की सिफारिशें, जो अखबार में छपी हैं, सरकार ने देखी हैं। प्रेस परिषद ने यह सुझाव दिया था कि समाचार एजेन्सियां, राज्य द्वारा संचालित या नियन्त्रित नहीं होनी चाहिए। सरकार ने इस सुझाव को मान लिया था, और इस निर्णय को बदलने का वह कोई कारण नहीं देखती।

फिर भी, ज्ञात हो "समाचार भारती" नामक एक नई समाचार एजेन्सी स्थापित हो चुकी है जो भारतीय भाषाओं के पत्रों को हिन्दी तथा दूसरी भारतीय भाषाओं में समाचार देगी। सरकार ने इस समाचार एजेन्सी को 6 लाख रुपया ऋण देने का निश्चय किया है। ऋण की क्या शर्तें हों, इस पर सरकार विचार कर रही है। इस समाचार एजेन्सी के दो संवाददाताओं को भारत सरकार ने अस्थायी रूप से मान्यता दे दी है।

झंडा दिवस, 1965

2871. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 21 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 453 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में झण्डा दिवस को कुल कितनी राशि इकट्ठी हुई ; और

(ख) इससे पहले वर्ष की तुलना में कितनी राशि इकट्ठी हुई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) 2325067.78 रुपये।

(ख) पिछले वर्ष का इकत्रित चन्दा 2501907.91 रुपये था।

Research Work in Atomic Laboratories

2872. **Shrimati Savitri Nigam** : Will the **Prime Minister** be pleased to state the steps taken to propagate the results of researches made during 1965-66 in the atomic laboratories with reference to agriculture and biology ?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : Considerable work has been done by the Atomic Energy Establishment Trombay on the study of the biological effects of ionising radiations and the induction of mutations in plants of economic importance such as rice, groundnut, etc. Initially these high yielding strains need testing in localities where these varieties are popular.

Rice variety Ptb-10 is popular in Kerala where mutant seeds of this variety have been tried in three areas. Further large scale trials are planned by the Agricultural College, Vellayani.

The Geb-24 mutant (TR 1) has been tried in a number of rice growing areas. An extensive programme for testing this strain in Maharashtra State has been taken up. In addition, seeds were also supplied to the All India Rice Project Coordinator, Hyderabad, for trials in different parts of the country.

The mutants of Kolamba-42 are currently being tested both in Trombay and other places in Maharashtra State.

While yield trials are being conducted in Trombay, the seeds of groundnut mutant with bold seeds were also supplied to Oil Seeds Specialists, Maharashtra, Madras and others for simultaneous assessment of its potentialities.

An extension farm of about four acres has recently been opened at Mankhurd near Trombay for multiplication of the improved seeds to meet the growing demands for the mutants.

योजना का प्रचार

2873. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस के माध्यम से सरकार की नीतियों तथा कार्यों को प्रस्तुत करने तथा उनके निर्वाचन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या योजना प्रचार के लिये कोई प्रदर्शन किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सरकार की नीतियों और कार्यों के बारे में समाचार-पत्रों को पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जानकारी दी जाती है । यह जानकारी उन्हें प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, संवाद, पृष्ठभूमि, संदर्भ सामग्री तथा विशेष लेख आदि के रूप में दी जाती है । आवश्यकतानुसार इनके साथ चित्र और एवोनाइड ब्लाक भी दिए जाते हैं । भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों (हिन्दी और अन्य 11 भाषाओं के) को पत्र सूचना कार्यालय के मुख्यालय तथा 19 प्रादेशिक/शाखा कार्यालयों के भाषा विभागों द्वारा उनकी भाषा में सामग्री दी जाती हैं । पत्र सूचना कार्यालय का दिल्ली मुख्यालय टेलीप्रिंटर लाइनों द्वारा भारत भर में स्थित अपने प्रादेशिक/शाखा कार्यालयों से जुड़ा हुआ है । पत्र संवाददाताओं को मौखिक जानकारी देकर, संवाददाता सम्मेलन बुलाकर तथा पत्र-प्रतिनिधियों की विकास योजनाओं की यात्राएं आदि करा कर सरकार और समाचार-पत्रों के बीच सम्पर्क रखा जाता है । इसके अतिरिक्त स्वीकृत संवाददाताओं को यह सुविधा भी दी गई है कि वे विभिन्न विभागों से सम्बद्ध सूचना अधिकारियों से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी मांग सकें ।

(ख) जी, हां ।

Indian Rare Earths Limited

2874 **Shrimati Savitri Nigam :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the achievements of the Indian Rare Earths Limited during the last two years ;

(b) the amount spent on it ; and

(c) whether any new devices are being prepared to purify the radio-active air and atmosphere ?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The objects for which Indian Rare Earths Limited was established was to recover, separate, and process minerals of importance to the Atomic Energy programme of the country.

During the last two years, the production, sale, and export earnings of these plants were as under :—

Production	**Sale**	**Foreign Exchange Earning**
1964-65 Rs. 146·47 lakhs	Rs. 126·08 lakhs	Rs. 53·5 lakhs
1965-66 Rs. 177·88 lakhs	Rs. 148·95 lakhs	Rs. 60·77 lakhs

During 1964-65 and 1965-66, the Company made a profit of Rs. 9·19 lakhs and Rs. 5·63 lakhs respectively and declared a dividend of Rs. 7 lakhs each year.

(b) The paid-up capital of the Company is Rs. 1 crore. Recently the Company has taken a loan of Rs. 50 lakhs, from Government.

(c) No. The Company's activities are confined to the separation of the minerals present in the beach sands and the processing of Monazite to produce Rare Earths Chlorides and allied chemicals. However, all precautions are taken by the Company to avoid health hazards in handling them.

इसराइल के राष्ट्रपति के विरोध में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्यवाही

2875. **श्री हरि विष्णु कामत : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ : श्री नाथपाई :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री इसराइल के राष्ट्रपति के प्रति कथित अशिष्टता के बारे में 16 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5681 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्यार्थियों के विरुद्ध चलाये गये मुकदमों को वापिस लेने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): कलकत्ता में इसराइल के राष्ट्रपति के मार्ग में रुकने के दौरान जिन अरब विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया गया क्योंकि इन विद्यार्थियों के खिलाफ अदालत में मुकदमा नहीं बन सका ।

"इंडिया वीकली"

2876. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंदन स्थित भारतीय हाई कमीशन "इंडिया वीकली" नामक

एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकाशन पर हाई कमीशन कितना धन खर्च कर रहा है ;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या हाई कमीशन इस साप्ताहिक पत्रिका को कोई आर्थिक सहायता दे रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि दे रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चीन द्वारा भारत विरोधी प्रचार

2877. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन के जनवादी गणतंत्र द्वारा किये जा रहे भारत-विरोधी प्रचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका प्रतिकार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विदेश स्थित भारतीय मिशन और विदेश मंत्रालय भारत के विरुद्ध चीनी प्रचार पर निगाह रखता है और उसका विरोध करने के लिए हर अवसर का उपयोग किया जाता है। समाचार बुलेटिनों, पैम्फलैटों, ब्रोशरों, फिल्मों और व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा विभिन्न देशों में भारतीय दृष्टिकोण को प्रचारित किया जाता है। इसके अलावा, हमारे मिशन प्रमुख व्यक्तिगत रूप से हमारे दृष्टिकोण को उन देशों के विदेश कार्यालयों को हमारा दृष्टिकोण समझाते हैं, जिनमें वे भेजे गए हैं। भारतीय सद्भावना मिशनों ने भारतीय दृष्टिकोण को समझाने के लिए एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के कई देशों की यात्रा की है।

खेती सम्बन्धी ज्ञान का प्रसार

2878. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 28 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 811 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को खेती सम्बन्धी जानकारी देने के बारे में और कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) सस्ते रेडियो को खेती सम्बन्धी ज्ञान के प्रसार का सरल माध्यम बनाने में कितनी सफलता मिली है ;

(ग) क्या इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सस्ते रेडियो बनवाने का विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में आरम्भ की गई कार्यवाही कहां तक सफल रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) केन्द्रीय खाद्य और कृषि मंत्रालय और राज्यों के कृषि विभागों के, खेती कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग देने और उनसे प्रभावशाली सम्पर्क बनाए रखने के लिए आकाशवाणी के महानिदेशालय में और निम्नलिखित केन्द्रों में विशेष एकक खोले गए हैं:—

1. लखनऊ
2. पटना
3. विजयवाड़ा
4. पूना
5. तिरुचिरापल्ली
6. दिल्ली
7. जलन्धर
8. संभलपुर
9. रायपुर
10. त्रिचूर

इनका मुख्य उद्देश्य किसानों को आकाशवाणी द्वारा खेती की समस्याओं के उपाय बताना और अन्य उपयोगी जानकारी देना है।

इन प्रसारणों में ऐसे कार्यक्रमों को प्रमुखता दी जाती है, जो खेतों और गांवों में जाकर तैयार किए जाते हैं, जैसे किसानों और क्षेत्र कार्यकर्ताओं से बातचीत। प्रगतिशील किसानों को स्टूडियो में लाया जाता है और रेडियो से उनके साथ चर्चा और बातचीत प्रसारित की जाती है।

(ख) सहायता योजना के अन्तर्गत, राज्यों को दिए जाने वाले पंचायती रेडियो सेटों के अतिरिक्त, ऊपर (क) में उल्लिखित 10 खेत और गिरस्ती टुकड़ियों के आस पास के क्षेत्रों को सस्ते रेडियो सेट दिलाने का विचार है। उम्मीद है कि ये सस्ते रेडियो सेट किसानों की छोटी छोटी टोलियों को दिए जाएंगे और उनके जरिए किसान श्रोताओं को खती के नए तरीकों के बारे में बताया जाएगा और उन्हें अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) (1) सस्ते रेडियो सेटों का नक्शा और विवरण तैयार हो गया है।

(2) आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग ने, सस्ते रेडियो सेट का नमूना भी तैयार कर लिया है।

(3) छोटे उद्योगों की संस्थाओं के संघ ने, इस प्रकार के सस्ते रेडियो सेट बनाने का प्रस्ताव किया है।

पाकिस्तान-चीन सांठगांठ

2879. **श्री क० ना० तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री कृष्ण पाल सिंह :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन से मिलने वाले समाचारों के अनुसार चीन-पाकिस्तान के साथ सांठगांठ से आगामी सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में भारत पर एक नियमित आक्रमण अथवा गुरिल्ला युद्ध के रूप में हमला करने का विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार को अब तक प्राप्त अधिकृत जानकारी क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). यह कहना कठिन है कि कोई देश विशेष अकेले या किसी दूसरे के साथ मिल कर किसी समय पर आक्रमण करने वाला है । परन्तु तिब्बत में चीनियों की स्थिति शत्रुतापूर्ण है, और इससे भारत के लिए सैनिक संकट की संभावना है, चाहे चीन अकेले से, या उसके पाकिस्तान के साथ मिल करके ।

Rev. Michael Scott

2880 **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rev. Michael Scott wrote some letter to the Naga rebels before he left India ;

(b) if so, the nature of the adverse activities in which he indulged after his coming to India and till the time of his leaving this country ;

(c) whether Government have informed the Government of U.K. where the Rev. Scott is living about these activities ; and

(d) if so, the action taken by that Government ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) The Government have no such information.

(b) Rev. Michael Scott wrote to Secretary General of the United Nations and to some foreign Governments in an attempt to internationalise the Naga question. He communicated with the Government of Burma on behalf the underground Nagas, against the Burmese Government's action in arresting underground Nagas who had intruded into Burmese territory. He also tried to justify the collection of money by the underground from the people of Nagaland.

(c) and (d). Due to Rev. Michael Scott's prejudicial activities his presence in India was considered undesirable and he was expelled. The U.K. Government have been informed. We have not yet heard from them what action, if any, they have taken.

Military Doctors in Laos

2881. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian military doctors have given medical treatment to about 24 thousand persons in Laos so far ;

(b) if so, the number of Indian military doctors in Laos ;

(c) whether the expenditure in respect of the hospitals run by them is borne by Government ; and

(d) if so, the extent of expenditure incurred on such hospitals abroad so far ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) The Indian Medical Team in Laos treated nearly 1,64,000 out-patients and 800 indoor patients upto March, 1966.

(b) Six doctors (five from the Army and one from the Air Force) served upto 20th February, 1966. From 21st February, 1966 onwards, the number of doctors has been four (three from the Army and one from the Air Force).

(c) Yes, Sir.

(d) The total expenditure incurred so far is Rs. 6,00,140.

राष्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिकों के प्रत्यर्पण को रोकने के लिये ब्रिटेन का प्रस्ताव

2882. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन का विचार राजनैतिक अपराधों में अन्तर्ग्रस्त राष्ट्रमण्डलीय देशों के नागरिकों के प्रत्यर्पण पर रोक लगाने का है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार भारत में भी वैसा कानून बनाने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) 26 अप्रैल से 3 मई, 1966 तक लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडल के विधिमंत्रियों की बैठक में, एक परियोजना (स्कीम) बनाई गई थी, जिसमें ऐसे सिद्धान्त रखे गये थे जो राष्ट्रमंडल में ही राष्ट्रमंडल के नागरिकों के प्रत्यर्पण के बारे में कानून का आधार तैयार करें। उस परियोजना में यह प्रस्ताव रखा गया था कि यदि सक्षम न्यायिक अथवा कार्यकारी अधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपराध राजनैतिक अपराध की कोटि में आता है तो फरार अपराधी की वापसी कानून की परिधि से बाहर रहेगी। हमें अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम इस विषय में कोई कानून बना रहा है।

(ख) 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम (1962 की 34) में यह व्यवस्था है कि यदि

अपराध, जिसके बारे में समर्पण की मांग की गई है, राजनैतिक अपराध है, तो उसके फरार दोषी को विदेशी राज्य या राष्ट्र-मंडल के देश को समर्पित या वापस नहीं किया जाएगा। इसीलिए, सरकार का इस मामले में, कोई और कानून बनाने का इरादा नहीं है।

टेलीविजन का विस्तार

2883. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार भारत में टेलीविजन के प्रसार का कार्यक्रम क्या है ;

(ख) जून, 1966 तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस कार्यक्रम के आरम्भ किये जाने के पश्चात् उस पर कितना खर्च किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने और दिल्ली के टेलीविजन का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ख) अभी योजना मंजूर नहीं हुई है। तथापि प्रारम्भिक काम हाथ में ले लिया गया है।

(ग) जब से टेलीविजन शुरू हुआ है, तब से जून 1966 तक इस पर लगभग 66.96 लाख रुपए खर्च हुए हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये मकान

2884. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री स० चं० सामन्त :**

क्या **प्रति रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का विचार भूतपूर्व सैनिकों के लिये मकान बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और कब तक ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी हां।

(ख) नैरना गांव में। आशा है ब्लाक अक्तूबर 1967 में सम्पूर्ण हो जाएंगे।

Truck Accident in Delhi Cantonment

2885. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**　**Shri Sonavane :**
Shri Bhagwat Jha Azad :　**Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5017 on the 9th May, 1966 and state ;

(a) whether Government have since received the report of the Court of Enquiry instituted to go into the causes of the truck accident in Delhi Cantonment ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken by Government thereon?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise at this stage.

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा ट्रांसमिटिंग ट्यूबों का निर्माण

2886. **श्री व० कु० दास :**　**श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सुबोध हंसदा　**श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर, ट्रासमिटिंग ट्यूब बना रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो इन ट्यूबों को बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या ट्यूबें बनाने के लिये जापानी मशीनें खरीदने के लिये क्रयादेश दे दिया गया है ;

(घ) यदि हां तो इन मशीनों को कब तक स्थापित कर दिये जाने की सम्भावना है ; और

(ङ) उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) तथा (ख). लाइसेंस के अन्तर्गत ट्रांसमिटिंग ट्यूबों के निर्माण के लिए एक जापानी फर्म के साथ, भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड द्वारा एक करार तय पाया है ।

(ग), (घ) तथा (ङ). जी हां, ट्रांसमिटिंग ट्यूबों के उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनरी के लिए अब तक आर्डर भेजे जा चुके हैं । कुछ मदें पहुंच भी चुकी हैं और शेष के अन्त 1966 तक पहुंच जाने की आशा है । परीक्षण उत्पादन जनवरी 1967 तक शुरू हो जाने की आशा है, और नियमित उत्पादन जून 1967 तक ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों को पुरस्कार

2887. **श्री सुबोध हंसदा : भागवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965-66 में आकाशवाणी में नई विचार धारा को उद्दीप्त (स्टिम्यूलेट) करने के लिये उनके मंत्रालय के कुछ अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस नई विचारधारा की नई मुख्य बातें क्या हैं, जिसके लिये ये पुरस्कार दिये गये हैं; और

(ग) इस कार्य के लिये कितने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पुरस्कार मिले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठते।

अंतरिक्ष सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र समिति

2888. **डा० म० मो० दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष का शान्तिपूर्ण प्रयोगों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र समिति नामक कोई समिति है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के क्या कार्य हैं और इसके सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) क्या भारत भी इस समिति का सदस्य है ;

(घ) क्या भारत में राकेट छोड़ने के लिये थुम्बा रेन्ज का प्रबन्ध तथा व्यवस्था इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाती है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग). इसके कार्य हैं (क) जैसा समुचित हो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र की समीक्षा करना और बाह्य अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण उपयोग करने से संबद्ध ऐसे कार्यक्रमों पर अमल करने के व्यावहारिक और समुचित साधनों का अध्ययन करना, जो कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में उचित रूप से लिये जा सकते हों, इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये सम्मिलित हैं :

(1) अंतर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष के ढांचे के अंतर्गत किए जानेवाले बाह्य अंतरिक्ष के विषय में स्थायी आधार पर निरंतर अनुसंधान करते रहने में सहायता देना ;

(2) बाह्य अंतरिक्ष के अनुसंधान पर सूचना की परस्पर विनिमय और प्रसार का संगठन करना ;

(3) बाह्य अंतरिक्ष के अध्ययन के राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना, और उसकी प्राप्ति की दिशा में सभी संभव सहायता देना ;

(ख) बाह्य अंतरिक्ष का पता लगाने में उठ खड़ी होनेवाली कानूनी समस्याओं के प्रकार का अध्ययन करना ।

भारत समिति का सदस्य है । अन्य सदस्य इस प्रकार हैं : अल्बानिया, अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, बुल्गारिया, कनाडा, छाड, चैकोस्लोवाकिया, फ्रांस, हंगरी, ईरान, इटली, जापान, लबनान, मैक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, पोलैंड, रूमानिया, सियरा लियोन, सोवियत संघ, स्वीडन,संयुक्त अरब गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका ।

(घ) थुम्बा इक्वाटोरियल राकेट लाँचिंग स्टेशन भारत सरकार के अणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है । बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र समिति की सिफारिशों पर, संयुक्त राष्ट्र ने 1965 में इस स्टेशन को अपनी प्रायोजकता (स्पान्सरशिप) दी ।

Tours by Central Ministers

2889. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether any set principles and scheme has been formulated by Government for tours by Central Ministers to different parts of the country ;

(b) whether it is also a fact that after Independence, Central Ministers have been visiting only some particular places and neglecting other places ;

(c) if so, whether Government propose to formulate any policy regarding tours by Ministers ; and

(d) the outlines thereof?

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). No scheme or procedure to regulate the tours of Central Ministers has been formulated by Government. Tours to different parts of the country are undertaken by Ministers as and when necessary in connection with the discharge of their duties. The question of neglecting any place does not arise.

(c) At present there is no proposal to formulate any scheme in this regard.

(d) Does not arise.

Indians in Soviet Union

2890. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indians in the Soviet Union in 1965-66 ;

(b) the number of persons out of them who married the Russian ladies ;

(c) whether there are such persons among them who had married ladies of other countries prior to marrying Russian ladies ; and

(d) if the information asked for in parts (a) to (c) is not available, the reasons for not maintaining such a record by Government ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) 950 (including Indian nationals working at the Embassy in Moscow and the Consulate in Odessa and their families).

(b) 13.

(c) There is no such information with Government about all Indians in Foreign Countries.

(d) Does not arise.

भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में श्री भुट्टो का वक्तव्य

2891. **श्री० प्र चं० बरुआ :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "उर्दू डाइजेस्ट" में प्रकाशित पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री जेड० ए० भुट्टो के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध एक और निर्णयात्मक युद्ध करेगा ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा ताशकंद समझौते का पालन न करने के संदर्भ में सरकार की क्या प्रतिक्रया है ; और

(ग) उस वक्तव्य में भारत के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खंडन करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) "उर्दू डाइजेस्ट" (लाहौर) के जून महीने के अंक में श्री भुट्टो का यह कथन प्रकाशित हुआ है कि अगर भारत ने फिर चुनौती दी तो पाकिस्तान निर्णायक युद्ध करेगा ।

(ख) और (ग). 8-6-1966 को भारत सरकार ने नई दिल्ली-स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन से विरोध प्रकट किया । बहरहाल, पाकिस्तान हाई कमीशन ने अधिकृत रूप से सरकार को यह सूचना दी है कि प्रकाशित रिपोर्ट कथन का विकृत रूप है, इन्टरव्यू का मूलपाठ प्रकाशन से पहले अनुमोदन पाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था और उसे अधिकृत नहीं मानाजा सकता । इस "उर्दू डाइजेस्ट" की जो प्रति सुलभ थी, वह संसद की लाइब्रेरी में रख दी गई है ।

पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों की सम्पत्ति

2892. **श्री गुलशन :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में स्थित सिख गुरुद्वारों की सम्पत्ति का कुल मूल्य क्या है;

(ख) क्या हाल ही में सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो यदि कोई अभ्यावेदन आया है और कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्योरा क्या है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर ने यह दावा किया है कि 1947 में पाकिस्तान-स्थित गुरुद्वारों से संलग्न सम्पत्ति की कुल कीमत 16 करोड़, 18 लाख रुपये से कुछ ऊपर थी ।

(ख) शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के कार्यालय ने विभिन्न संसद सदस्यों को 20 अप्रैल, 1966 को अभिवेदन (रिप्रेजेंटेशन) की जो प्रतियां भेजी थीं वे सरकार को भी मिल गई हैं ।

(ग) इस अभिवेदन में यह कहा गया है कि :

पहले भारत सरकार वक्फ बोर्ड में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के प्रतिनिधित्व के प्रश्न को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाए जिससे कि पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों की आमदनी के उपयोग का प्रबंध किया जा सके और वह पाकिस्तान सरकार को इसके लिये राजी करे कि इन गुरुद्वारों की आमदनी पर नियंत्रण, प्रबंध और उसका उपयोग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंप दे; दूसरे, यदि ऐसा सम्भव नहीं है, तो पंजाब में मुसलमानों के धार्मिक स्थानों का प्रबंध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी को सौंप दे ।

पश्चिम पाकिस्तान के वक्फ बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व होने का प्रश्न और सिख गुरुद्वारों और उनकी सम्पत्ति से संबद्ध प्रश्न कई बार पाकिस्तान सरकार के साथ उठाए जा चुके हैं लेकिन उनका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है । पाकिस्तान में गुरुद्वारों की समुचित देख-भाल और प्रबंध के मामले पर भारत सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ बराबर लिखा-पढ़ी करती रहेगी ।

भारत में वक्फ की संपत्ति का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए होता है जिसके लिये उसके संस्थापक ने उसे समर्पित किया है । इनका प्रबंध वक्फ द्वारा नियुक्त अधिकारी को छोड़ कर किसी अधिकारी द्वारा नहीं कराया जा सकता और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी का यह सुझाव, कि पंजाब में वक्फ की सम्पत्ति का नियंत्रण उन्हें दे दिया जाए, 1954 के वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता ।

आकाशवाणी के जालन्धर केन्द्र का पंजाबी कार्यक्रम

2893. **श्री गुलशन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के जालंधर केन्द्र से अपेक्षित स्तर का पंजाबी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाता; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में सुधार करने तथा उसका स्तर निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

राज्यों के सूचना निदेशकों की बैठक

2894. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री दलजीत सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री हेमराज :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 और 7 जून, 1966 को उनकी अध्यक्षता में दिल्ली में राज्यों के सूचना निदेशकों की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर बातचीत हुई; और

(ग) राज्यों की सूचना सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) जी, हां। बैठक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक का उदघाटन सूचना और प्रसारण मंत्री ने किया।

(ख) जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई वे ये थे:— प्रचार कार्य में समन्वय, प्रचार कार्यकर्त्ताओं तथा साधनों का सबसे अच्छे ढंग से उपयोग तथा चौथी योजना के दौरान प्रचार के कार्यक्रम और नीति। परिवार नियंत्रण और खेती की पैदावार तथा निर्यात बढ़ाने आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा मिल कर प्रचार करने तथा रेडियो, फिल्म, अखबार, पुस्तक पुस्तिका, गीत नाटक और क्षेत्रीय प्रचार आदि विविध साधनों से समन्वित प्रचार करने पर भी विचार हुआ।

(ग) राज्य के सूचना निदेशकों की बैठक में इस प्रकार के किसी विषय पर चर्चा नहीं हुई।

आधुनिक हथियार

2895. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से निकलने वाले 'इन्डियन नेशन' में आधुनिक हथियारों के बारे में 6 जून, 1966 को प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आधुनिक हथियारों की कोई कमी है;

(ग) क्या ऐसे हथियारों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई है; और

(घ) देश की रक्षा के लिये आधुनिक हथियार प्राप्त करने में सरकार राष्ट्र से किस सहायता की आशा करती है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी हां।

(ख) हम रक्षा सेवाओं को आधुनिक मानकीकृत हथियारों से पुनः सज्जित कर रहे हैं, परन्तु आवश्यक आधुनिक हथियारों के परास और विभिन्नता का ध्यान रखते हुये हमें कुछ कमियों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें दूर करने में कुछ समय लगेगा।

(ग) तथा (घ). आवश्यक समय और राशियों में अन्य देशों से आधुनिक साफिस्टिकेटिड हथियार आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिये अपने हथियारों को अद्यतन आधुनिक बनाने के लिये हमें अपनी निपुणता और संसाधनों का उपयोग करना होगा। विशेष कर वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में/देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को अन्य देशों में हथियारों के निर्माण में तकनीकी विकास और इन्जीनियरी तकनीक के साथ साथ चलना होगा, और आधुनिक हथियारों के देशीय निर्माण की सुविधा के लिये मशीनी हथियारों के निर्माण को शीघ्रता से बढ़ावा देना होगा।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर

2896. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में भारतीय वायुसेना के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के पदों का स्थानान्तरण 1966 में कानपुर स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सभी कर्मचारियों के वेतन यथावत संरक्षित किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कितने कर्मचारियों के वेतन संरक्षित नहीं किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी हां। एच० ए० एल० कानपुर में काम कर रहे भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों को कम्पनी वेतन-मान में संपरिवर्तन की पेशकश की गई है। वह भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों द्वारा विचाराधीन है।

(ख) जी हां। भारतीय वायु सेना कर्मचारियों का जो संपरिवर्तन की तिथि, 1-6-1964 को वेतन था, उसे सुरक्षित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण-पूर्व एशिया सहयोग संघ

2897. **श्री मधु लिमये** : **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री किशन पटनायक : **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व एशिया सहयोग संघ में, जिसके सदस्य थाईलैंड, मलयेशिया, इण्डोनेशिया और फिलीपीन हैं, शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया था;

(ख) इस सहयोग संघ का कार्यक्षेत्र क्या होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी नहीं । सरकार को थाईलैंड, मलयेशिया, इन्डोनेशिया और फिलिपीन के संघ के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Explosion in Defence Project at Wadi

2898. **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one person was killed and seven persons were injured as a result of explosion in a defence project in Wadi near Nagpur on the 9th June, 1966;

(b) if so, the causes of the explosion; and

(c) whether some civilians were also among them?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) to (c). We have received information that an explosion took place in the early hours of 9-6-1966 in the labour camp of M/s Indus Engineering Company, who are the contractors engaged by the Government of Maharashtra for civil works of the Defence Project at Ambajhari near Nagpur. The labour camp is situated outside the jurisdiction of the defence project and the explosion is not connected with the Defence Project.

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड में कृषि के लिये विमानों का निर्माण

2899. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लिमिटेड, बंगलौर को कृषि मंत्रालय के लिए लगभग 200 विमान बनाने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो इन विमानों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक विमान की लागत क्या है और यह लागत उसी प्रकार के निर्यात किये जाने वाले विमानों की लागत की तुलना में कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट्स लि० बंगलौर ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा आवश्यक, हवाई फुहारने और फसलों पर पौडर

छिड़कने के लिए एक विमान का अभिकल्पन हस्तगत किया है। निर्माण किये जाने वाले विमानों की संख्या, विमान के अभिकल्पन में हुई सन्तोषजनक प्रगति के पश्चात् निर्धारित की जाएगी।

(ख) बिना तैयार की गई हवाई पट्टियों से, 1200 पौंड छिड़कने वाला द्रव्य वहन करने की क्षमता सहित इस दो सीटों वाले हल्के विमान की अभिकल्पना किये जाने का विचार है। परिभ्रमण गति कोई 80-90 मील प्रति घंटा होगी, और रेंज कोई 400 नाविक मील।

(ग) विमान की लागत का ठीक-ठीक अनुमान लगा पाना अभी समय से कहीं पहले होगा, परन्तु आरम्भिक संकेत ऐसे हैं, कि तुलनीय अभिनय के आयात विमानों की लागत से इसकी अनुकूल तुलना की जा सकेगी।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत रेडियो सेटों का आयात

2900. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसारण और सूचना के माध्यम सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष, श्री ए० के० चन्दा ने पी० एल० 480 आयातों के आधार पर लगभग 20 लाख सस्ते रेडियो सेटों का आयात करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) जी, हां।

(ख) सुझाव पर विचार किया गया था पर अच्छी तरह सोच विचार के बाद यह फैसला किया गया कि आयात करने के बजाय देश में रेडियो बनाने के उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। इस प्रश्न पर उद्योग तथा वित्त मंत्रालयों और योजना आयोग के साथ विचार किया जा रहा है।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर

2901. **श्री बूटा सिंह :**
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर ने निर्यात व्यापार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) तथा (ख). अपने उत्पादन के लिये निर्यात मार्केट के विकास के लिये भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की अभिरुचि है, परन्तु फिल्हाल

उनकी क्षमता रक्षा और अन्य सुरक्षा सेनाओं की आवश्यकताएं पूरी करने में प्रवृत्त है। संघटकों अर्थात् रेडियो रीसिविंग वेल्वों, ट्रांजिस्टरों/डायोडों, केपेसिटरों और क्रस्टलों की दशा में, उनका वर्तमान उत्पादन घरेलू मांग से भी कम है। संघटकों के निर्माण के लिए, क्षमता के प्रसारण सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अपने उत्पादनों के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में वी० ई० एल० उपयुक्त उपाय करते रहे हैं, उदाहरणतः विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेते, और जितना शीघ्र हो सके, निर्यात व्यापार शुरू करने के लिए, उन द्वारा निर्मित संघटकों और साजसामान का प्रचार करने के लिए, इस कार्यकलाप को बढ़ावा देने का उनका विचार है।

वामरौली में भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना

2902. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री किन्दर लाल : **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री बसुमतारी :**
श्री गुलशन : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 जून, 1966 को भारतीय वायुसेना विमानचालक प्रशिक्षण संस्थान के दो प्रशिक्षण विमान वामरौली में आकाश में ही टकरा गये थे;

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई; और

(ग) इसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी हां। दुर्घटना 17 जून, 1966 को हुई।

(ख) एक विमान जिसे एक फ्लाईट केडेट शिष्य अकेले चला रहा था, एक दूसरे विमान के प्रति अभिसरित हुआ और उससे टकरा गया जिसे उड़ान शिक्षक और उसका शिष्य चला रहे थे। दुर्घटना की जांच एक कोर्ट आव इन्क्वायरी ने की है, और टकराव की परिस्थितियों का तभी पता चल पाएगा, जब इसकी कार्यवाही सम्पूर्ण हुई।

(ग) उड़ान शिक्षक और दोनों शिष्य मर गये थे।

समुद्री डीजल इंजनों का निर्माण

2903. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री वसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में समुद्री

डीजल इंजन बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) स्थान के तौर पर रांची के सम्बन्ध में सिफारिश विचाराधीन है । फैक्टरी गार्डन रीच वर्कशाप का हिस्सा होगी ।

(ख) सरकार के विचाराधीन अब प्रस्ताव से अभिप्रेत है, भारी कास्टिग फोर्जिंग और भारी मशीनी मदों की एच० ई० सी० रांची से, और देश में अन्यत्र निर्माताओं द्वारा कुछ अन्य संघटकों की सप्लाई । शेष अन्यत्र न बनाए जाने वाले संघटकों का अन्तिम संयोजन, परीक्षण और निर्माण स्थापित की जाने वाली नई सुविधा होगी । अभिप्रेत उत्पादन कार्यक्रम है:–

इंजन की किस्म	प्रावस्था 1	प्रावस्था 2	प्रावस्था 3
के० जेड०	4	6	8
जी० वी०	30	45	60
आर० वी०	50	75	100

जापान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री का वक्तव्य

2904. **श्री हरि विष्णु कामत :** **श्री नाथपाई :**
श्री हेम बरुआ : **श्री अल्वारेस :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एशियाई संसदीय संघ की प्रारम्भिक सम्मेलन बैठक के उद्घाटन के समय जापान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री किशी के हाल के वक्तव्य की ओर, जो "टाइम्स आफ इंडिया", बम्बई संस्करण, 1 जून, 1966 में प्रकाशित हुआ है, दिलाया गया है जिसमें उन्होंने एशिया के राष्ट्रों को चीन के परमाणु हथियारों के नये खतरे के विरुद्ध एक हो जाने के लिये कहा है ;

(ख) क्या उस सम्मेलन में भारत भी प्रतिनिधि था;

(ग) यदि हां, तो भारतीय प्रतिनिधि ने क्या रुख अपनाया था; और

(घ) श्री किशी के इस आह्वान पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां । अपने भाषण में श्री किशी ने चीन से अणु अस्त्रों के नये खतरे का जिक्र किया और कहा कि "एशिया को इस राजनीतिक संकट से बचने का एकमात्र रास्ता यह है कि एशिया के लोग समान उद्देश्य को सामने रखकर एक हो जाएं और अपने देशों का पुनर्निर्माण करें जिससे कि वे कम्यूनिस्टों की किसी भी स्कीम की लपेट में न आ सकें और जल्दी ही किसी दिन गरीबी से छुटकारा पा सकें ।"

(ख) और (ग). जी नहीं ।

(घ) भारत सरकार का यह ख्याल है कि गरीबी को दूर करने के लिए एशिया की एकता और विकास ही एशिया के लोगों का समान उद्देश्य होना चाहिए । सरकार का ख्याल है कि सैनिक संगठनों और विशिष्ट विचारधारा वाले गुटों की अपेक्षा इस तरह की एकता और विकास चीनी विस्तारवाद के खतरे का सबसे अच्छा बचाव है ।

कानपुर में मिश्रित इस्पात कारखाना

2905. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 16 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1706 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में विशेष मिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में इस बीच अंतिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) तथा (ख). जैसा कि 16 मई, 1966 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1706 के उत्तर में बताया गया है, कानपुर में अलाय स्टील के उत्पादन के लिए सुविधाओं की गुंजाइश और पैटर्न का राजकीय और निजी क्षेत्रों में अन्य स्टील संयंत्रों के विकासाधीन उत्पादन क्षमताओं से संबंधित होना आवश्यक है । चूंकि उपरोक्त अभी निरीक्षणाधीन हैं, कानपुर में स्थापित की जाने वाली सुविधाओं की गुंजाइश और विस्तार को अंतिम रूप दे पाना अभी संभव नहीं हो पाया ।

तिब्बती औद्योगिक पुनर्वास संस्था

2906. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 11 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 3498 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती औद्योगिक पुनर्वास संस्था ने सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार इन योजनाओं को सहानुभूतिपूर्वक देखती है और उन पर तेजी से अमल कराने की दिशा में समुचित रीति से सहायता करेगी । यह एक प्राइवेट कम्पनी है, और सरकारी स्रोतों से किसी वित्तीय सहायता की उम्मीद नहीं की जा सकती ।

सेनाओं के लिये नये पदक

2907. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 16 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5659 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिकों के लिए नये पदक कायम करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) तथा (ख). प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

वाराणसी में मीडियम वेव ट्रांसमीटर

2908. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 18 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3841 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी में मीडियम वेव ट्रांसमीटर के माध्यम से और दूर के क्षेत्रों तक प्रसारण करने तथा लखनऊ में स्टूडियो सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने या विस्तार करने के प्रस्तावों पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख). प्रसारण के विकास की चौथी पंचवर्षीय योजना अभी मंजूर होनी है। तब तक वाराणसी तथा लखनऊ के बारे में और विवरण देना संभव न होगा।

अमरीका और रूस के लिए पारपत्र

2909. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 26 अप्रैल, 1966, से अब तक अमरीका और रूस के लिए कितने पारपत्र जारी किये गये हैं;

(ख) उक्त अवधि में कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उक्त अवधि में कितने आवेदनपत्र रद्द किये गये ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) 4888

(ख) 4892

(ग) 1

उपर्युक्त आंकड़े 26-4-66 से 31-7-66 तक के हैं ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना

2910. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 9 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4989 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाने के सुझावों पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) तथा (ख). संहत खण्डों में जहां भूमि प्राप्य है, कई सीमावर्ती क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये प्रस्ताव, राज्य सरकारों के सलाह मशविरे सहित केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं । तदपि, त्रिपुरा और उत्तर पूर्वी एजेंसी के लिए योजनाएं मंजूर की गई हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत बसने वालों को दी जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार हैं :—

(1) उनके वास्य स्थान से बस्ती तक के लिए उनके लिए और उनके कुटुम्बों के लिए निश्शुल्क परिवहन ।

(2) कृषि, मकान और किचन उद्यान के लिए मुफ्त भूमिदान ।

(3) आरंभिक प्रावस्था में मुफ्त वास्य स्थान ।

(4) उपनिवेश क्षेत्रों में मुफ्त बुनियादी सुविधाएं जैसे कि सड़कें, जलसंभरण, स्वास्थ्य रक्षा, चिकित्सालय, स्कूल इत्यादि ।

(5) भवन निर्माण, कुछ आरम्भिक वर्षों के लिए उनके और उनके कुटुम्बों के लिए भरण पोषण, तथा घरेलू आवश्यक सामान, कृषि संबंधी हथियारों, पशुओं, बीजों और खाद इत्यादि की अधि-प्राप्ति के लिए मुफ्त अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता ।

India's claim over Kailash and Mansarover

2911. **Shri Prakash Vir Shastri**. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Hari Vishnu Kamath : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Prime Minister had made a reference of India's claim over Kailash and Mansarover in her speech at Pithoragarh recently ;

(b) whether any communication has also been sent to the Government of China in this connection ;

(c) the total area in Kailash and Mansarover over which India wants to lay her claim ; and

(d) whether it is also a fact that even beyond Kailash and Mansarover, there are certain villages from where land revenue used to be collected by the Government of India ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) Prime Minister did not make this statement. The attention of the news agency, which circulated this particular report, was drawn to this inaccuracy even though a formal contradiction was not issued.

(b) Does not arise.

(c) India had traditionally enjoyed for centuries certain religious rights like pilgrimage to Kailash and Mansarover. The exercise of these rights remains suspended in view of the existing relations between India and China. This is, however, one of the issues to be settled with China, if and when negotiations between the two countries take place. There is no territorial dispute regarding these areas.

(d) Yes, Sir. In Minsar, an Indian enclave in Tibet, situated West of Kailash and north of Mansarover, the Government of Jammu and Kashmir has historically enjoyed certain sovereign rights, including those of collection of land revenue. These rights, which have not been exercised in recent years on account of Chinese occupation of this enclave, form a part of the larger question of India-China relations.

Accident to Military Lorry

2912. **Shri Bade** : **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Kashi Ram Gupta** :

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4322 on the 25th April, 1966 and state :

(a) whether Government have received the report regarding the accident to a military lorry that occurred on the 30th March, 1966 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when the report is likely to be submitted ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas) : (a) No, Sir. Final report of the Court of Inquiry is still awaited.

(b) Does not arise.

(c) The results of the Court of Inquiry are expected to be available shortly.

जम्मू तथा काश्मीर की हुनजा रियासत (प्रिंसिपैलिटी)

2913. **श्री गुलशन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य की हुनजा रियासत (प्रिंसिपैलिटी) के कुछ भाग पर चीनी सरकार ने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). सरकार ने इस संबंध में प्रेस रिपोर्ट देखी है। 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "करार" के अंतर्गत, पाकिस्तान ने पाकिस्तान के अधिकृत काश्मीर में भारत के 2050 वर्गमील प्रदेश को चीन को दे दिया। इस प्रदेश का कुछ भाग हुनजा सामन्ती देश का (जम्मू तथा काश्मीर राज्य का) है जो कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि चीनियों ने पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर में किसी और प्रदेश पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है।

छावनी अधिकारियों का तबादला

2914. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1958 के राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2 ने अपने पंचाट (पैरा 24) में यह सिफारिश की थी कि पर्यवेक्षी कर्मचारियों तथा अनुभागीय अधिकारियों का एक छावनी से दूसरी छावनी में तबादला किया जाना चाहिए तथा इस काम के लिये आवश्यक नियम बनाये जाने चाहिये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में अब तक कोई कायर्वाही नहीं की गई है यद्यपि लगभग 6 वर्ष बीत गये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस दिशा में कोई कार्यवाही करने का है और यदि हां, तो क्या और कब ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायालय ने अपने पंचाट के पैरा 34 में ऐसी टिप्पणी दी थी कि कार्यदक्षता के हित में यह वांछनीय होगा कि छावनी बोर्डों के पर्यवेक्षक कर्मचारीगण और अनुभागीय अध्यक्ष कम से कम किसी राज्य विशेष के अन्दर अन्दर और हो सके तो एक कमान के भी अन्दर अन्दर एक छावनी से दूसरी को स्थानान्तरणीय होने चाहिएं। न्यायालय ने और आगे सुझाव दिया था, कि ऐसे तबादले नियमों द्वारा निर्धारित वांछनीयता पर आधारित होने चाहिएं।

(ख) तथा (ग). छावनी बोर्ड कर्मचारीगण के तबादले संबंधी, छावनी निधि सेवकों के लिए 1937 के नियमों में ऐसे उपबंध प्राप्य करने के लिए, कार्यवाही हस्तगत है। प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में आपत्तिएं/सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, राजपत्र अधिसूचना, आशा है, शीघ्र प्रकाशित की जाएगी।

स्वैच्छिक सैन्य-सेवा

2915. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों तक स्वैच्छिक सैन्य-सेवा के लिये कम आयु वर्ग के युवकों के प्रेरण के प्रश्न पर विचार करने के हेतु भारत में कोई अध्ययन किये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार सैन्य-सेवा (एक्टिव सर्विस) के लिये कम आयु वर्ग के युवकों को नियुक्त करने के हेतु कोई परिवर्तन करने अथवा नई योजनाएं लागू करने का विचार कर रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण): (क) तथा (ख). सशस्त्र सेनाओं के लिए भर्ती सदा से स्वैच्छिक आधार पर रही है, और जवान सेना सुनिश्चित् करने के लिए अफसरों को छोड़कर सेविवर्ग की हालत में सक्रिय सेवा की अवधि कुछ वर्षों तक के लिए ही सीमित रही है। चीनी आक्रमण के पश्चात् अध्ययन किए गए थे। सेना में अवर श्रेणियों की भर्ती के लिए आयु सीमाएं 17 से 25 वर्ष से घटा कर 17 से 21 वर्ष कर दी गई थीं। जहां तक अफसरों का संबंध है भर्ती के लिए आयु सीमा पहले ही कम है, परन्तु सेना में अफसर श्रेणी के लिए 5 वर्ष की अल्प कालीन सेवा कमीशन के पश्चात् 10 वर्षों के लिए रिजर्व देयता पुरःस्थापित की गई है। अफसरों अथवा अवर श्रेणियों की भर्ती के लिए आयु सीमा में अधिक संशोधन अवेक्षित नहीं है।

प्रधान मंत्री को पादरी माइकल स्काट का पत्र

2916. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पादरी माइकल स्काट ने जो कि अब भंग किये गये नागालैंड शांति मिशन के सदस्य थे, हाल में प्रधान मंत्री को एक पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र में क्या लिखा है ; और

(ग) पत्र किस उद्देश्य से भेजा गया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). रेवरेन्ड माइकल स्काट ने भारत छोड़ने के बाद प्रधान मंत्री को दो पत्र लिखे हैं। 22-6-66 के पत्र में अपने कागजात और अन्य दस्तावेज वापस मंगाने का अनुरोध किया गया है जो कि उनके निष्कासन के समय उनसे छीने गए थे। 15 जुलाई, 1966 के दूसरे पत्र के साथ उनका ताजा पैम्फ्लैट—द नागाज़-इंडियाज़ प्राबलम आर द वर्ल्ड्स ?—भेजा गया है।

(ग) रेवरेन्ड माइकल स्काट के दस्तावेज वापस करने की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के एक पदाधिकारी द्वारा पिल्ले समिति को दिया गया ज्ञापन

2917 **श्री अ० क० गोपालन** : **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :
श्री दशरथ देव : **श्री म० ना० स्वामी** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने एन० आर० पिल्ले समिति को प्रस्तुत एक ज्ञापन में "हमारे देश और प्रशासन के व्यापक हितों से सम्बन्धित सिद्धान्तों का हनन" किये जाने के लिये एक वर्ग के पदाधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस ज्ञापन के परिणामों पर विचार किया है ; और

(ग) राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिये ऐसी कार्यवाहियों को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी हां । भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी ने श्री एन० आर० पिल्ले के नेतृत्व में गठित समिति को दिये गये ज्ञापन में जो विचार व्यक्त किये हैं वे पूर्ण रूप से व्यक्तिपरक हैं और इस अधिकारी की कुछ शिकायतों के कारण उत्पन्न हुए हैं जो कि सच या काल्पनिक हैं । लेकिन, चूंकि ज्ञापन अखबारों में प्रकाशित हो गया है, जोकि खेदजनक है, इसलिए यह कहना आवश्यक हो गया है कि भारतीय विदेश सेवा के एक वर्ग के खिलाफ इस तरह के अतिव्याप्त आरोप अनुचित हैं ।

निस्संदेह, सरकार इस बात के प्रति पूरी तरह सजग है कि विदेश सेवा को और सुदृढ़ करने के लिए तथा सुधारने के लिये इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है जिससे कि इस गतिशील और परिवर्तनशील संसार में भारत की आवश्यकताएं पूरी हो सकें । इसी काम के लिये बनाई गई भारतीय विदेश सेवा समिति सभी ज्ञापनों की, जिसमें यह ज्ञापन भी शामिल है, सावधानीपूर्वक जांच कर रही है । ज्यों ही इस समिति की सिफारिशें मिलेंगी सरकार उनपर विचार करेगी ।

हिन्द महासागर में चीन का खतरा

2918. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर में चीन से खतरा बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). हिन्द महासागर और अन्य प्रदेशों में चीनी संकट का सरकार द्वारा समय समय पर गुण-दोष विवेचन किया जाता है । नौसेना को शक्तिशाली बनाने के लिये उपयुक्त उपाय किये जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में सरकार की योजनाओं को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

अवमूल्यन सम्बन्धी प्रचार

2919. **श्री बूटा सिंह** :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जुलाई, 1966 के 'मार्च आफ दि नेशन' साप्ताहिक पत्रिका में छपी इस आशय की खबर की ओर दिलाया गया है कि उनके मंत्रालय ने अवमूल्यन की व्याख्या करने के लिये दिल्ली में वित्तीय सम्पादकों को आमंत्रित किया था परन्तु उनकी प्रचार सामग्री न देकर पर्याप्त मात्रा में शराब दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो जब तक वे राजधानी में रहे सरकार ने उनका किस प्रकार आवभगत किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) सम्पादकों और विभिन्न विभागों के मंत्रियों एवं सचिवों के बीच तीन दिन के विचार-विमर्श के दौरान, उनकी केवल इतनी ही खातिर की गई थी कि, उन्हें दोपहर या रात के भोजन, या स्वागत में निमंत्रित किया गया था। उनकी दिल्ली यात्रा या ठहरने पर सरकार द्वारा कुछ खर्च नहीं किया गया।

वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

2920 **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाने तथा उसे वहां पर अधिक प्रभावी बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में भारत से परामर्श किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) अब प्रश्न नहीं उठता।

सैनिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

2921. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1966 में पश्चिम बंगाल में वेरूवाड़ी के निकट एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न करने और तीन असैनिक व्यक्तियों को मार डालने के लिये जिम्मेवार ठहराये गये तीन सैनिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) चार अभ्युक्त सैनिक सेविवर्ग में से, तीन को जिन्हें दोषी पाया गया था, उपयुक्त दण्ड दिये गये हैं। चौथे को, जो दोषी नहीं पाया गया, विमुक्त कर दिया गया है।

जाली पासपोर्ट लेकर एक भारतीय द्वारा विमान की यात्रा

2922 **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 25 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4314 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर निवासी श्री रतन सिंह के पुत्र सरवण सिंह द्वारा 30 दिसम्बर,

1965 को देवेन्द्र कुमार सुपुत्र श्री मोहन लाल के झूठे नाम से जाली ब्रिटिश पासपोर्ट पर पालम से लन्दन जाने के मामले की जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) जाली पासपोर्ट जारी करने तथा उसे उस पासपोर्ट के साथ विमान यात्रा करने देने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का विवरण क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क), (ख) और (ग). इस मामले की अभी जांच-पड़ताल हो रही है और पूछताछ का कार्य पूरा करने में समय लगेगा क्योंकि इस तरह की पूछताछ विदेशों में पूरी करनी है जहां जाली पासपोर्ट जारी किये गये थे और छीन लिये गये थे ।

कच्छ विवाद सम्बन्धी न्यायाधिकरण

2923 **श्री राम हरख यादव :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ विवाद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की बैठक कब और कहां होगी ;

(ख) क्या विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों का एक दल इस न्यायाधिकरण के सामने भारत का प्रतिनिधित्व करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस दल के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल 15 मई, 1966 को जेनेवा में मामले की सुनवाई आरम्भ करेगी ।

(ख) और (ग). प्रतिनिधि मण्डल की रचना के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

Instructions to Employees of Indian Missions about use of Indian Language

2924. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 822 on the 28th March, 1966 and state whether Government propose to issue instructions to the Officers or employees posted to the Indian Missions abroad that while in foreign countries, they should talk amongst themselves in the Indian languages only?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : The language of conversation cannot be made the subject of Governmental instructions. In fact, Indian personnel abroad do use Indian languages when conversing amongst themselves whenever convenient.

Hindi Newspapers and Magazines for Indian Embassies

2925. **Shri Jagdev Singh Siddhanti :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1223 on the 28th February, 1966 and state the arrangements made or proposed to be made for supplying Hindi newspapers and magazines to those Indian Embassies which are not getting them?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : The Missions themselves generally decide as to what Newspapers/Periodicals they should have. The Missions have been asked by the Ministry to make arrangements to subscribe to Hindi newspapers/magazines for the benefit of the officials in Missions and of foreigners who know Hindi or are interested in learning Hindi. Out of 61 Missions who were not subscribing in February, 1966, to Hindi newspapers, 25 Missions have already arranged to receive these. A few Missions which receive pamphlets and magazines in Hindi anyway have expressed their inability to subscribe to Hindi newspapers, in some cases because there is no Hindi knowing personnel in the mission and in other cases because of lack of funds. Replies from other missions are awaited.

कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्था का विकास वर्कशाप

2926. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **प्रधान मंत्री** 1 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 863 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सरकार द्वारा स्थापित की गई पुनर्विलोकन समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन दिये जाने से पूर्व यह छंटनी किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को मिलने वाला संयुक्त राष्ट्र तकनीकी सहायता प्रशासन का अनुदान रोक लिया गया है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का विकास वर्कशाप बन्द हो गया है ; और

(ग) यह अनुदान किन कारणों से मंजूर नहीं की गई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) . भारत सरकार को संयुक्त राष्ट्र की तकनीकी सहायता के तौर पर सोवियत संघ से प्राप्त कुछ मशीनों की सहायता से मुख्य रूप से संगणक मशीनों तथा सम्बद्ध उपकरणों के वाणिज्यिक विनिर्माण के निमित्त संस्थान के प्रस्ताविक प्रायोजना से सम्बद्ध विकास कार्य के लिए भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के वर्कशाप को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलती रही है । फिर भी, जब प्रायोजना की रिपोर्ट की जांच करने पर ज्ञात हुआ कि प्रायोजना को चालू रखना लाभदायक नहीं है, तो सरकार ने प्रायोजना पर आगे खर्च न करने का निर्णय किया और वर्कशाप के लिये दिया जाने वाला अनुदान बन्द कर दिया । यह निर्णय समीक्षा समिति की नियुक्ति से बहुत पहले किया गया था और इसकी सूचना संस्थान को दे दी गई थी । जब यह स्पष्ट हो गया कि वाणिज्यिक उद्यम के तौर पर प्रायोजना सफल नहीं हो सकेगी तो वर्कशाप को बन्द करने के लिए समिति के कार्य को पूरा होने की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि इस विषय के निर्णय को स्थगित करने से अनावश्यक व्यय होने की सम्भावना थी ।

गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर में दंगा

2927 **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1966 में गन एण्ड शैल फैक्टरी, काशीपुर (पश्चिम बंगाल) के आस-पास के क्षेत्रों में दंगा हो गया था जिससे कारखाने के बहुत से कर्मचारियों को नुकसान पहुंचा ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारखाने के प्रबन्धकों ने विभागीय जांच कराई है, और यदि हां, तो जांच का निष्कर्ष क्या निकला है ;

(ग) क्या उन कर्मचारियों को, जिनके मकान जला दिये गये थे, कोई सहायता अथवा मुआवजा दिया गया ; और

(घ) क्या इन दंगों में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को कोई सहायता दी गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) घटनाओं की जांच करने के लिये जो कारखाने के इहाते में ही केवल हुई, एक फैक्ट फाइंडिंग बोर्ड नियुक्त किया गया है । बोर्ड की रिपोर्ट मंत्रालय में प्राप्त हो चुकी है और विचाराधीन है।

(ग) जी हां । उन समेत जिनके घर जला दिये गये थे, सम्बन्धित कर्मचारियों को सहायता के तौर पर अब तक 6919.75 रुपयों की अदायगी की जा चुकी है ।

(घ) 2300 रुपये की एक राशि जिसके विस्तार नीचे दिये गये हैं :

उस अकेले कर्मचारी की विधवा को दी गई है, जो अपने जीवन से हाथ धो बैठा :

(1) डी० जी० ओ० एफ० की सामान्य निधि से	1000 रुपये
(2) शाहानी स्मारक ट्रस्ट निधि से	1000 रुपये
(3) जी० एण्ड एस० एफ० श्रमिक कल्याण निधि से	300 रुपये

पूना के निकट भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटना

2928. **श्री दिगे :** **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री सोनावने :**
श्री बड़े : **श्री यु० द० सिंह :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 जुलाई, 1966 को पूना के निकट भारतीय वायु सेना के दो विमानों के आकाश में टकरा जाने से हुई दुर्घटना में कुछ अधिकारी मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) दो वायु सेना अफसर मारे गये थे ।

(ग) दुर्घटना अन्तरिक्ष में टक्कर के कारण हुई । दुर्घटना की जांच करने के लिये एक कोर्ट आव इन्क्वायरी के लिए आदेश दे दिया गया है । दुर्घटना का कारण कोर्ट आव इन्क्वायरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पता चल सकेगा ।

नेपाल में भारत सरकार के कर्मचारी

2929. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री दिगे :

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के बहुत से कर्मचारियों ने, जो प्रतिनियुक्ति पर नेपाल में सेवा कर रहे हैं या जिनकी सेवायें नेपाल सरकार को उधार दी गयी हैं, रुपये के अवमूल्यन के बाद अपने वेतन भत्तों आदि में हुई हानि की पूर्ति किये जाने के संबंध में उनकी मांग पर उनके अपने स्थायी विभागों द्वारा निर्णय किये जाने में विलम्ब किये जाने के विरोध में अपना वेतन लेने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां , तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) नेपाल में भारतीय राजदूतावास में और भारतीय सहायता मिशन में भारत सरकार के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, कुछ अन्य कर्मचारी भी नेपाल में कार्य कर रहे हैं और वे सीधे अपने-अपने विभागों के अधीन हैं । ये कर्मचारी डाक-तार विभाग के और सिविल विमानन मंत्रालय के हैं जो कि काठमांडू में ऋतु-विज्ञान यूनिट में और हवाई संचार केन्द्र में काम कर रहे हैं और अवमूल्यन हो जाने के बाद मुआवजे के विषय में उनके पास तक निदेश पहुंचने में देर हो गई थी । ऋतु- विज्ञान यूनिट के कर्मचारियों ने तब तक अपने वेतन नहीं लिए जब तक कि उन्हें निर्देश प्राप्त नहीं हो गए।

(ख) भारतीय राजदूतावास और भारतीय सहायता मिशन के उन अधिकारी कर्मचारियों के विषय में इस मंत्रालय ने तुरन्त आवश्यक कार्रवाई की जो इसके प्रशासनाधीन हैं और 8 जून, 1966 को समुचित निर्देश भेज दिए गए थे। जहां तक अन्य मंत्रालयों और विभागों के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों का सवाल है, इसी तरह के निर्देश उनसे भी जारी करवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई थी । बाद में इस मंत्रालय को बताया गया कि डाक और तार के कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश मिल गए हैं और काठमांडू-स्थित हमारे राजदूतावास ने हमें सूचित किया है कि उन्हें मुद्रा-विनिमय मुआवजा भत्ता दे दिया गया है । सिविल विमानन मंत्रालय ने भी ऋतु-विज्ञान यूनिट और हवाई संचार केंद्र के अपने कर्मचारियों को मुआवजा देने के बारे में समुचित निर्देश जारी कर दिए हैं ।

सी हाक विमान की दुर्घटना

2930. **श्री पन्ना लाल :**

श्री विश्वनाथ पांडेय :

श्री वृजबासी लाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई एन० एस० विक्रान्त का एक सी हाक विमान, जो मीनाम्बक्कम

हवाई अड्डे से उड़ा था, 20 जुलाई, 1966 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). दुर्घटना की जांच के लिए एक कोर्ट आव इन्क्वायरी बिठाई गई है।

छावनी बोर्डों में श्रम कल्याण अधिकारी

2931. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन तथा कितने छावनी बोर्डों में 500 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं ;

(ख) क्या इन सभी बोर्डों ने श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त किये हैं, जैसा कि कानून के अन्तर्गत अपेक्षित है ;

(ग) किन-किन छावनी बोर्डों ने श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त नहीं किये हैं ; और

(घ) सरकार ने इन अधिकारियों को नियुक्त करवाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) निम्न 10 छावनी बोर्डों ने 500 से अधिक कार्मिक काम पर लगा रखे हैं :—

आगरा, अम्बाला, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, महू, फिरोजपुर, जलंधर, पूना और सिकन्दराबाद।

(ख) कानूनन छावनी बोर्डों को श्रमिक कल्याण अफसर रखना आवश्यक नहीं है, अगर साधारणतः रखे गए कार्मिकों की संख्या 500 या अधिक न हो। ऐसा कोई छावनी बोर्ड नहीं है।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते।

छावनी बोर्डों में श्रम कल्याण अधिकारी

2932. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम विधियों और विनियमों के अन्तर्गत 500 से अधिक कर्मचारी रखने वाले छावनी बोर्डों को श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अम्बाला और मेरठ छावनी बोर्डों ने अपने व्यय पर श्रम अधिकारी नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया था और केन्द्रीय पुंज से श्रम कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति की जाने की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो इन दो छावनी बोर्डों में अभी तक श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) साधारणतः, 500 या अधिक कार्मिकों सहित फैक्ट्रिएं चलाने वाले छावनी बोर्डों को ऐसी फैक्ट्रियों में एक कल्याण अफसर नियुक्त करना होता है। परन्तु ऐसा कोई छावनी बोर्ड नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Congress President's Visit to Moscow

2933. **Shri Bade** : **Shri Sonavane** ;
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Y. D. Singh** :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange provided to the Congress President for visiting Moscow ;

(b) whether he has gone to Moscow on an official visit ; and

(c) if not, whether he has been invited by that Government ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) The Congress President was provided foreign exchange equivalent to a sum of Rs. 1,000/- for his visit to the Soviet Union and other East European countries

(b) The visit to the Soviet Union and other East European countries was not official but in his capacity as head of the Congress organisation.

(c) Yes, Sir. He was invited by the Government of the U.S.S.R. to visit the Soviet Union.

भारत कुवेत उपक्रम

2934. **श्री दिगे** : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और कुवेत की संयुक्त समिति ने भारत-कुवेत उपक्रम स्थापित करने की सम्भावनाओं पर बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 27 और 30 जून, 1966 के बीच नई दिल्ली में हुई पहली मीटिंग में सम्मिलित समिति ने भारत और कुवेत, दोनों देशों में मिले-जुले कामों की ओर संभावनाओं की जांच करने का निर्णय किया और इसका भी कि किन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग विकसित और सुदृढ़ किया जा सकता है। जिन उद्योगों में मिलजुलकर काम करना संभव है और जिनकी और जांच करना है, वे हैं—भारत में खाद का उत्पादन करना और कुवेत में एक लोहा तथा इस्पात संयंत्र, एक अलूमिनियम संयंत्र और एक सोपेट का संयंत्र लगाना।

वैमानिकों की भर्ती

2935. **श्री गुलशन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय भारतीय वायु सेना और अन्य विभागों में एयरमैन तकनीकी और गैर-तकनीकी श्रेणियों में नियुक्ति के मामले में हायर सेकेन्डरी, भाग एक को मैट्रिक के बराबर मानने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). यह प्रश्न कि आया उच्चतर माध्यमिक भाग 1 परीक्षा, भारत सरकार के अधीन रोजगार के उद्देश्य के लिए मेट्रिकूलेशन परीक्षा के समतुल्य मानी जाए, सरकार के विचाराधीन है ।

विदेश प्रचार विभाग

2936. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारत का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने में विदेश प्रचार विभाग के असफल रहने के बावजूद भी इस पर बहुत अधिक व्यय करके इसे कायम रखा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस विभाग को देशान्तर्गत प्रचार विभाग के साथ मिलाने की बार-बार की गई मांग को हर बार अस्वीकार कर दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार उस पक्ष को स्वीकार नहीं करती जिसके आधार पर यह प्रश्न तैयार किया गया है । इसके विपरीत, अपने सीमित साधनों से विदेश मंत्रालय का विदेश प्रचार प्रभाग अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभाता रहा है ।

(ख) सरकार का यह निश्चित मत है कि चूंकि विदेश प्रचार का कार्य करने से विशेष समस्याएं खड़ी होती हैं इसलिए विदेश प्रचार प्रभाग की एक पृथक एकांश के रूप में कार्य करना चाहिए । फिर भी, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एकांशों के साथ निकट संपर्क बनाये रखा जाता है ।

चलचित्र उद्योग

2937. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चलचित्र उद्योग विदेशी मुद्रा के मामले में घाटे का उद्योग है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पिछले वर्ष इस उद्योग को विदेशी मुद्रा की बहुत हानि उठानी पड़ी थी;

(ग) यदि हां, तो कितनी हानि हुई थी; और

(घ) चालू वर्ष में इस उद्योग के लिये कितनी विदेशी मुद्रा नियत की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). पिछले तीन साल में तैयार सिनेमा फिल्मों के निर्यात से हुई वास्तविक आय इस प्रकार है:—

1963-64	2,12,81,941/- रुपये
1964-65	1,98,68,960/- रुपये
1965-66	1,63,93,766/- रुपये

सिनेमा फिल्मों के निर्यात में कुछ कमी हुई है, सन् 1965-66 में निर्यात से आय पिछले साल से 34,75,194/- रुपये कम थी ।

(घ) चालू लाइसेंस अवधि में, फिल्म उद्योग को स्वतन्त्र सूत्रों और रुपया सूत्रों से लगभग 184 लाख रुपये की कच्ची सिनेमा फिल्में मिलनी हैं ।

New Methods of Publicity

2938. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any new methods of visual and advertisement publicity have been adopted ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b). A technique for pre-testing of display advertisements has been adopted in respect of the family planning campaign. In this method an advertisement is released to a few papers in a selected place and the reactions are gauged from the replies received through coupons. The number of replies elicited by two different advertisements will give an indication of the comparative effectiveness of the advertisements. This method also helps the Directorate to get addresses of interested persons for direct mailing of literature.

Indian Consulates Abroad

2939. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has recently increased the number of its Consulates abroad ; and

(b) if so, their number at present ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) There are at present 9 Consulates General, 8 Consulates and 1 Vice-Consulate.

सिक्किम के भाग पर चीन का दावा

2940. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनियों ने सिक्किम के कुछ भाग के बारे में दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई विरोध-पत्र भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) चीनी अधिकारियों ने अनेक अवसरों पर कहा है कि सिक्किम-तिब्बत सीमा "बाकायदा सीमांकित" की जा चुकी है और यह भी कि "न तो नक्शों में कोई अंतर है और न व्यवहार ही में कोई विवाद है ।" लेकिन, सिक्किम सीमा पर चीनी आक्रामक रुख बनाये हुये हैं ।

(ख) और (ग). सिक्किम सीमा पर चीनी सैनिकों की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ सरकार ने बार-बार विरोध प्रकट किया है ।

कानपुर में काम करने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियों का निलम्बन

2941. **श्री स० मो० बनर्जी** **श्री सोनावने :**
श्री बड़े : **श्री यु० द० सिंह :**
श्री हुकम चन्द कवछाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जुलाई, 1966 को अखिल भारतीय सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण कानपुर में कुछ प्रतिरक्षा कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या निलम्बन आदेश वापस ले लिये गये हैं; और

(ग) क्या उन दो प्रशिक्षुओं को, जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई थीं, फिर से रख लिया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि 12-7-66 को हुई हड़ताल में भाग लेने के कारण कानपुर के किसी अप्रेंटिस की सेवाएं समाप्त करने की कोई घटना नहीं हुई है । तदपि, 27-7-1966 को दो ट्रेड अप्रेंटिसों को हड़ताल से असंबंधित कारणोवश निलम्बित किया गया था । उन पर चार्ज-शीट लगाया गया है, उनके मामले जांच अधीन हैं ।

उड़ीसा के लिए रेडियो सेट

2942. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1966 तक उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रेडियो सेट दिये गये थे;

(ख) उस राज्य में इस समय वस्तुत: कितने रेडियो सेट चल रहे हैं; और

(ग) इस समय कितने रेडियो बेकार पड़े हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

प्रतिरक्षा उत्पादन

2943. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रतिरक्षा उत्पादन को सुव्यवस्थित करने के लिये कुछ कदम उठाये हैं ताकि प्रतिरक्षा उत्पादन को आपातकालीन स्तर पर प्राथमिकता दी जा सके; और

(ख) यदि हां, तो किये गये उपायों का ब्योरा क्या है और कितनी सफलता मिली ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). आपात स्थिति में उच्चतर रक्षा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किये गये हैं, उनमें से कुछ हैं:–

(1) क्रान्तिक रक्षा द्रव्य जैसे कि विशेष स्टील और सख्त अलुमीनियम अलायों का निर्माण स्थापित करने के लिये प्रत्याशित सप्लायरों के साथ तकनीकी विचार विमर्श किया गया है । विशेष स्टील के संबंध में उत्तरदायित्व विभिन्न उत्पादन यूनिटों को सौंपा गया है । सख्त अलुमीनियम अलायों के उत्पादन के संबंध में शैक्षिक आर्डर भेजे गये हैं ।

(2) आयात मदों की रक्षा आवश्यकताओं का आंकन किया गया है और रक्षा उत्पादन की सहायता के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना के पुनरनुस्थापन के लिए सिफारिश की गई हैं। प्रस्तावित किया गया है कि असैनिक क्षेत्र में कुछ औद्योगिक उपक्रम रक्षा आवश्यकताओं का उत्पादन करें, जो उनकी उत्पादन रेखा के अनुरूप हों ।

(3) रक्षा संभरण विभाग के अधीन तकनीक समितियों को अधिकार दिये गये हैं कि विशिष्ट आर्थिक सीमा तक वह विकास आर्डर भेज सकती हैं ।

(4) आयात रक्षा मदों में कुछ के देशीय निर्माण के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से संपर्क स्थापित किया गया है, और इन प्रयोगशालाओं को विशेष प्रायोजनाएं सौंपी गई हैं ।

इन उपायों के प्रभाव का परिशुद्ध आंकन, अभी समय से बहुत पहले की बात है। तदपि ऐसी आशा है कि रक्षा साजसामान के लिये विदेशी संसाधनों पर निर्भरता प्रगतिशीलता से कम होती जायेगी, और कई हालतों में तो निरसित भी हो जायेगी।

मैसूर में भारत अर्थ मूवर्स फैक्टरी

2944. **श्री हु० च० लिंग रेड्डी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य के कोलार जिले में भारत अर्थ मूवर्स फैक्टरी स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और प्रगति धीमी होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस उपक्रम में कितने लोगों को लगाये जाने की आशा है; और

(घ) इस कारखाने में कब से उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) कोलार में भारत अर्थ मूवर्स प्रायोजना के क्रालर ट्रैक्टर विभाग से संबंधित असैनिक निर्माण कार्य हस्तगत है और उन में संतोषजनक प्रगति हुई है।

(ख) अब तक क्रालर ट्रैक्टर प्रायोजना की पहली प्रावस्था के बृहत् निर्माण कार्यों पर वास्तविक उठा खर्च कोई 50 लाख रुपये है। आशा है कि लगभग 200 लाख खर्च के और खर्च पर सम्मिलित निर्माण कार्य 1966-67 वर्ष के दौरान में सम्पूर्ण हो जायेंगे।

(ग) हैवी अर्थ मूविंग साजसामान तथा क्रालर ट्रैक्टर के निर्माण के लिये संयुक्त प्रायोजना, कोलार कारखाने में स्थापित हो जाने से, आशा है लगभग 6000 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्राप्य करेगी।

(घ) कोलार में क्रालर ट्रैक्टरों के संयोजन की पहली प्रावस्था आशा है लगभग अक्तूबर, 1966 में शुरू हो जायेगी। प्रावस्थित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार क्रालर ट्रैक्टरों का नियमित उत्पादन 1968-69 में शायद, आरम्भ हो जायेगा। विदेशी मुद्रा के दृष्टिकोण से, प्रायोजना का अर्थ मूवर विभाग अभी विमुक्त नहीं किया गया।

Reference About Germany in Indo-Soviet Communique

2945. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Mohan Swarup :
Shri N. Dandeker :
Dr. M. S. Aney :
Shri Madhu Limaye.
Shri Solanki :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Kishen Pattnayak :
Shri Gauri Shankar Kakkar :
Shri Mate :
Shri Shree Narayan Das :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there was some reference about Germany in the joint communique issued after the recent visit of the Prime Minister to Moscow ;

(b) if so, whether there has been any change in Government's policy regarding Germany;

(c) whether Government have received any communication from West Germany conveying their reaction in this connection; and

(d) if so, the reply sent thereto?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) We have communicated our views to the Federal Republic of Germany that there has been no change in Government of India's policy regarding Germany.

Demonstration by Defence Employees

2946. **Shri Bade:** **Shri Yudhvir Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **Shri Omkar Singh:**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about ten thousand civilian employees of the Armed Forces Headquarters staged a demonstration in front of the residence of the Chief of Army Staff on the 22nd July, 1966;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) Between 1,000 to 1,500 civilian employees of the Armed Forces Headquarters staged a demonstration in front of the residence of the Chief of the Army Staff on the 22nd July, 1966.

(b) The demonstration was against a ten per cent cut, as an economy measure, in the sanctioned establishment of Army Headquarters, in so far as it affected civilian employees.

(c) The ten per cent cut does not involve the retrenchment of any civilian employee. It, however, implies reversion of a certain number of civilian employees officiating in higher grades to their substantive grades. It has been decided not to order these reversions, and to adopt compensatory measures such as keeping unfilled vacancies in the lowest grade, to achieve the same economy.

ओजर में मिग विमान कारखाना

2947. **श्री किशन पटनायक :** **श्री बड़े :**
श्री मधु लिमये : **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नासिक में ओजर स्थित मिग कारखाने के प्रबन्धकों और वहां के कर्मचारी संघ के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या प्रतिरक्षा विभाग इस विवाद में मध्यस्थता करने के लिए कोई प्रयत्न कर रहा है, ताकि इस महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा कारखाने के उत्पादन कार्यक्रम में कोई बाधा न उत्पन्न होने पाये?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) तथा (ख). जी नहीं। यह सच नहीं है कि भारी झगड़ा पैदा हो गया है। तथ्य यह है कि मिग कर्मचारी संघ ने वेतनमानों में संशोधन की मांग की है।

(ग) इंजीनियरी उद्योगों के औद्योगिक कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन का प्रश्न उजरत बोर्ड के विचाराधीन है। वेतनमानों में संशोधन सरकार द्वारा स्वीकृत की गई उजरत बोर्ड की शिफारिशों पर निर्भर होगा।

ओजर हाई स्कूल

2948. **श्री किशन पटनायक :** **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री मधु लिमये : **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र सरकार ओजर (नासिक) हाई स्कूल को तकनीकी आधार पर परिवर्तित करने तथा उसका 60 प्रतिशत व्यय वहन करने के लिए सहमत है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि यह स्कूल, जो मिग कारखाने के पुनर्वास कार्यक्रम के क्षेत्राधिकार में है, शेष 40 प्रतिशत व्यय वहन करने की स्थिति में नहीं है;

(ग) क्या सरकार से इस पुनर्वास योजना के अन्तर्गत यह 40 प्रतिशत अथवा इसका एक बड़ा भाग स्कूल को देने के लिए प्रार्थना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व न्यायालय के पाकिस्तानी न्यायाधीश के विरुद्ध प्रचार के बारे में पाकिस्तान का विरोध पत्र

2949. **श्री हेम बरुआ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग ने भारत सरकार को एक विरोध पत्र दिया है जिसमें आकाशवाणी तथा कुछ भारतीय समाचारपत्रों पर दक्षिण-पश्चिम

अफ्रीका के मामले में विश्व न्यायालय के निर्णय पर "अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तानी न्यायाधीश" के विरुद्ध द्वेषपूर्ण प्रचार करने का आरोप लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वास्तविक स्थित क्या है और पाकिस्तान ने किस आधार पर सरकार को यह शिकायत की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान हाई कमीशन की शिकायत का आधार यह था कि आल इन्डिया रेडियो की समाचार समीक्षा और भारतीय प्रेस ने इस विषय पर भारतीय समचार एजेंसी की खबर को प्रसारित और प्रकाशित करके सर जफरुल्ला खां की स्थिति को गलत ढंग से पेश किया था, जिसका संबंध दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में भाग न लेने से था ।

स्थिति यह है कि एक प्रेस इन्टरव्यू में, जो 3 अगस्त, 1966 को कराची में 'डान' में छपी थी, सर जफरुल्ला खां ने कहा था कि 'मुझे अयोग्य ठहराने के कोई कारण नहीं थे । न्यायालय के प्रधान का यह ख्याल था कि मेरा बैठना ठीक न होगा क्योंकि एक बार मुझे आवेदक राज्यों (लायबीरिया और इथोपिया) ने मुझे तदर्थ जज नामांकित किया था हालांकि मैं इस हैसियत से कभी नहीं बैठा । मैं उस विचार से बिलकुल सहमत नहीं था और मैंने प्रधान को अपने कारण बता दिये जो कि मैं अब भी समझता हूं कि वे ठीक थे । लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि अधिकांश जजों का बहुमत उनसे सहमति रखता था कि मुझे नहीं बैठना चाहिए । इसलिए मेरे पास कोई और चारा न था ।'

लेकिन 3 अगस्त 1966 के 'डान' में छपी प्रेस इन्टरव्यू में यह लिखा है कि सर जफरुल्ला खां को यह मालूम नहीं था कि प्रधान के विचारों का समर्थन करने वाले अधिकांश जज कौन-कौन से थे ।

यह विश्वस्त रूप से मालूम हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान ने एक और-जज को भी भाग न लेने की ऐसी ही सलाह दी थी । एक अन्य जज ने अपने सांविधिक अधिकारों का का उपयोग किया और इस पर जोर दिया कि उनके भाग न लेने का प्रश्न न्यायालय के औपचारिक निर्णय द्वारा तय किया जाना चाहिए । परिणाम यह हुआ कि इस दूसरे जज ने दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय में हिस्सा लिया ।

जाहिर है कि सर जफरुल्ला खां ने इसी तरह न्यायालय के औपचारिक निर्णय द्वारा भाग न लेने के मामले को तय कराने में अपने सांविधिक अधिकारों का उपयोग नहीं किया ।

Supply of Radio Sets in Border Areas of Rajasthan

2950. **Shri P. L. Barupal:**
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that his Ministry has made an announcement to the effect that

they would supply a radio set to each village in border areas through Village Panchayats; and

(b) if so, the number of villages in Ganganagar, Bikaner, Barmer and Jaisalmer Districts of Rajasthan State to whom the aforesaid radio sets would be supplied as a result of the announcement and when the sets are likely to be supplied?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) No, Sir. No announcement has been made to this effect, but our ultimate aim is to provide a radio set to each village in the country within the shortest possible period subject to the availability of funds, foreign exchange and the maintenance arrangements for these sets in the States.

(b) Does not arise.

Violation of Cease-Fire Line by Pakistan

2951. **Shri P. L. Barupal:**
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the borders of our country are being repeatedly violated by the Pakistani Forces even after cease-fire, which has caused great dismay among the people of our country; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan): (a) and (b). Despite the Cease-Fire and the Tashkent Declaration, there have been a number of cases of temporary intrusion and trespass from the Pakistan side on our borders and along the Cease-Fire Line. This has been a matter of natural concern to the Government and the people of India. While it may not be possible to seal completely the border or the Cease-Fire Line against such violations, Government are determined and have taken steps to ensure the territorial integrity of the country and to make it unprofitable for Pakistan to indulge in such ventures.

Agricultural Land for Ex-Servicemen in Rajasthan

2952. **Shri P. L. Barupal:**
Shri Dhuleshwar Meena

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of ex-servicemen provided with agricultural land in Rajasthan so far as a means of livelihood and the number of soldiers whose applications are still under consideration; and

(b) when the land is likely to be allotted to them?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) and (b). The information asked for is being collected from the Government of Rajasthan and will be laid on the Table of the House, when received.

New News Agency

2953. **Shri Ram Sewak Yadav:**
Shri Surendranath Dwivedy:
Shri Hem Barua:
Shri Hari Vishnu Kamath:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether the All-India Newspapers Editors Conference has strongly protested against the attempt being made by the Central and State Governments to undermine the freedom of press by providing enormous help in the form of capital and loan to a new news agency ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur) : (a) Presumably the question refers to the new news agency "Samachar Bharati" for which Government of India have agreed to give a loan of Rs. 5 lakhs. If so, Government have not received any representation from the All-India Newspaper Editors' Conference protesting against the proposed loan. Government of India have no information whether the A.I.N.E.C. has protested to the State Governments regarding any assistance they may be contemplating to give to this news agency. However, this is primarily a matter concerning the State Governments.

(b) Does not arise.

मैसूर में आकाशवाणी केन्द्र

2954. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में मैसूर, हुवली, धारबाड़ और गुलवर्गा में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के मामले में और क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन केन्द्रों पर कितना धन खर्च किया गया है; और

(ग) ये कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) आशा है गुलवर्गा का सहायक केन्द्र इसी वित्तीय वर्ष में चालू हो जायेगा। धारवाड़ में पहले ही एक केन्द्र है जिससे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हुबली में सुने जा सकते हैं। फिलहाल मैसूर में और कोई केन्द्र खोलने की योजना नहीं है।

(ख) तथा (ग). तीसरी योजना में धारवाड़ में मध्यम शक्ति का मीडिएम वेव ट्रांसमीटर लगाने तथा श्रवण केन्द्र बनाने पर लगभग 7,80,000/- रुपया खर्चा हुआ। गुलवर्गा में सहायक केन्द्र बनाने का अनुमानित खर्च 10,77,000/- रुपया है।

Money of Indians in Ceylon in Ceylon Banks

2955. **Shri Mohammed Koya :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the matter regarding allowing the Indians in Ceylon, whose money in Ceylon Banks has been frozen to bring back their money to India was taken up with the Ceylon Government recently ; and

(b) if so, their reaction thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The Government of India are not aware of any freezing of bank accounts in Ceylon of Indians

resident there. There are restrictions on operating bank accounts of those who are not resident in Ceylon. These restrictions apply to all non-Ceylonese nationals and are not discriminatory against Indians. As such no general representation has been made to the Government of Ceylon by the Government of India. Individual cases are, however, taken up on their merits with the authorities concerned by the Indian High Commission.

भारत द्वारा कथित परमाणु विस्फोट

2956. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के एक समाचार पत्र में इस आशय का एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि भारत 30 दिन के भीतर एक परमाणु विस्फोट करेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कनाडा सरकार को लिखा गया है और इसका परिणाम क्या रहा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कनाडा के समाचार-पत्र "द ग्लोब एंड मेल" में 29 जुलाई, 1966 को एक लेख छपा था। यह लेख पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा कनाडा के रावलपिंडी स्थित हाई कमीशन को दिये गये उस कथित वक्तव्य के बारे में था जिसमें भारत द्वारा परमाणु विस्फोट करने की योजना बनाने का आरोप लगाया गया था। इस लेख में यह कहा गया था कि "कनाडा को पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट दी है उसका एक रूप तो यह है कि उसका अनुमान है कि भारत 30 दिन के भीतर-भीतर परमाणु विस्फोट करेगा।"

(ख) इस मामले को खास तौर से कनाडा सरकार के साथ उठाने का प्रश्न इसलिए नहीं उठता क्योंकि कनाडा सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि उनके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि भारत, शांतिपूर्वक अथवा अन्यथा, परमाणु विस्फोट करने की योजना बना रहा है, और भारत द्वारा परमाणु विस्फोट करने की किसी भी खबर को काल्पनिक और अनुमानात्मक ही समझा जाना चाहिए।

कालपाक्कम में अणुशक्ति केन्द्र

2957. **डा० श्रीनिवासन :** **श्री म० प० स्वामी :**
श्री मलाईछामी : **श्री मुथिया :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालपाक्कम में अणुशक्ति केन्द्र स्थापित करने के बारे में ऋण लेने के लिये फ्रांस के साथ हो रही बातचीत पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं तथा उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) उससे कितनी विजली पैदा होने का अनुमान है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). मद्रास परमाणु विद्युत स्टेशन के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा ऋण के रूप में प्राप्त करने के लिये फ्रांस सरकार से समझौता सम्भव नहीं हो सका।

(ग) इस स्टेशन में 400 मैगावाट बिजली उत्पन्न की जायेगी।

Retrenchment of Emergency Commission Officers

2958. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shrimati Renu Chakravarty :
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some persons out of those recruited in the Emergency Commission are being retrenched ;

(b) whether it is also a fact that there are some persons amongst them who did very good work during the recent Indo-Pak. conflict ;

(c) if so, the extent of propriety in retrenching all of them in the present circumstances ; and

(d) the number of persons being retrenched category-wise ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Eligible Emergency Commissioned Officers have been permitted to apply for grant of Permanent Commission for which a maximum quota of 1/3rd of the total strength of ECOs has been fixed ; and they are being interviewed by the Services Selection Boards for the purpose. Those who are not granted Permanent Commissions on account of ineligibility or non-selection, will be released according to a phased programme during the period 1967-70.

As regards the Medical Branches and Remounts and Veterinary Corps, however, there is no programme for release of ECOs at present.

(b) and (c). It is difficult to say at this juncture whether the officers who have done well during recent Indo-Pak conflict will be amongst those who are going to be released till the final results of the interviews by the Services Selections Boards are available. Officers who have done good work have a good chance of being selected for grant of Permanent Regular Commission and retention in the Army.

The Emergency Commissions were granted during the period 1963-65 for the duration of the Emergency and for so long thereafter as their services may be required and it was made clear, **inter-alia**, that the Commission of an officer may be terminated at any time by the Government of India if his services are no longer required. It is not possible to keep all the Emergency Commissioned officers in service in the Army permanently. It is after careful consideration that the decision to release 2/3rds of the total number of emergency commissioned officers, according to a phased programme, was taken. The main reasons are :

(i) that the retention of all of them will create an imbalance in the age and service structure in the officers' cadre and lead to administrative problems ; and

(ii) that it is necessary to have, at all times, a certain proportion of young SSC Officers in the Army in junior ranks with a short period of active service and with a reserve liability for a further period whose recruitment from year to year in sufficient numbers will not be possible if all the Emergency Commissioned Officers are retained in service.

Such measures are being/will be taken as to rehabilitate as many released ECOs as possible in civil employment.

(d) The required information will be available only after the complete results of the interviews being held by the Service Selection Boards are known.

औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन

2959. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थापित करने की दिशा में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ?

(ख) क्या इस संगठन की प्रक्रिया तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अब तक किन मुख्य बातों के बारे में निर्णय किया गया है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 20 वें सत्र में, 20 दिसम्बर 1965 को प्रस्ताव 2089(× ×)के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र उद्योग विकास संगठन की स्थापना का निर्णय किया । उसी प्रस्ताव के द्वारा महासभा ने नये संगठन का आवश्यक कार्य संबंधी प्रक्रिया और प्रशासनिक प्रबंध की तैयारी के लिये एक तदर्थ समिति स्थापित की । तदर्थ समिति ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें उसकी सिफारिशें हैं । इन सिफारिशों पर महासभा के 21 वें सत्र में विचार किया जायेगा, जो 20 सितम्बर, 1966 को आरंभ होगा और आशा है कि तब ही आवश्यक प्रबंधो का निर्णय किया जायेगा ।

(ग) महासभा की स्वीकृत के लिये तदर्थ समिति द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के मसौदे की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6842/66**] । इसमें संगठन की प्रक्रिया और प्रशासनिक प्रबंधों के बारे में समिति की सिफारिशें हैं ।

पचमढ़ी में सैनिक स्कूल

2960. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में एक सैनिक स्कूल खोलने के मामले में अग्रेतर प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मध्य प्रदेश, रेवा में एक सैनिक स्कूल पहले से है, जिसमें इस समय 285 लड़के हैं, यद्यपि योजना में 525 के लिए प्रवेश की व्यवस्था है । नये वेंचर से पहले स्कूल को इसकी पूरी क्षमता के लिये और विकसित करना वांछनीय होगा ।

16 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5666 के उत्तर में शुद्धि

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): 16 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5666 के भाग (क) में निम्नलिखित सूचना मांगी गई थी :

"क्या सरकार सैनिक अधिकारियों से उनकी सेवाओं के संबंध में लिखित रूप से कोई करार कराती है"

उस समय मैंने निम्नलिखित उत्तर दिया था :

"जी, नहीं, केवल वायु सेना की गैर तकनीकी शाखाओं में कमीशन के लिये नियुक्त प्रत्याशियों को एक करार पर हस्ताक्षर करने होते हैं कि उन्हें कम से कम आठ वर्ष तक नौकरी करनी होगी, जिसमें प्रशिक्षण का समय भी सम्मिलित है..............."

उपरोक्त उत्तर देते समय गलती से उसमें यह और नहीं जोड़ा गया था कि रिमाऊंट और विटिनैरी कोरपस् में नियमित कमीशन स्वीकार करने से पहले अधिकारियों को एक करार पर हस्ताक्षर करने होते हैं कि वे नियमित कमीशन की प्राप्ति की तिथि से कम से कम पांच वर्ष तक सेवा में रहेंगे और ऐसा न करने पर उन्हें प्रशिक्षण की लागत वापस करनी होगी।

मैं इस अवसर पर अपना पहला उत्तर ठीक करता हूं।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कथित शिकायत

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर): मैं गृह कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"दिनांक 20 अगस्त, 1966 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री ने शिकायत की है, कि वह राज्य में अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है और महत्वपूर्ण मामलों में उनसे परामर्श नहीं लेती।"

गृह कार्य मंत्री (श्री नन्दा): मैं इस बारे में दोपहर के बाद तक अपना वक्तव्य दे सकूंगा।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद): यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, इसे कल ले लिया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आज के प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होते ही, हम मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये कहेंगे।

ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में (प्रश्न)
Re. CALLING ATTENTION NOTICES (Query)

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, I gave my notice on the subject of meeting of Shri Jai Prakash Narain with Sheikh Abdullah and it was disallowed; but you are allowing this for Shri Sadiq......

Mr. Speaker : There is great difference between the two. No notice at this time, we are to take up question of privilege by Shri Madhu Limaye.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : आप ध्यान दिलाने वाले मामलों को उचित महत्व नहीं दे रहे। हजारों शिक्षक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप इस नोटिस को अस्वीकार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस समय कोई नोटिस नहीं लिया जायगा। इस समय मैं किसी भी प्रकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे किसी प्रकार का परामर्श नहीं लेना है, मुझे केवल निर्णय करना है। इस समय विशेषाधिकार के मामले के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिया जायेगा।

शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
Re. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST THE MINISTER OF EDUCATION

Dr. Ram Manohar Lohia : My privilege motion is against the Minister of Education and that is regarding the area of the country. I have only to prove that he had given a wrong statement, but had deliberately tried to conceal the truth. In this way he has tried to mislead the House. According to the books of Government of India it is 85 lakhs acres and 5 crore acres according to the United Nations. The Minister of Education, making his statement in the House on the 17th May, 1966, stated that from 1961 onwards the area of India as shown in the U. N. year book is less than before. The reason is that U. N. have excluded from the figures supplied by us the area of Jammu and Kashmir. Before that on the 16th May, 1966, the Prime Minister have also made a statement on the same issue. The Minister of Education conveniently omitted the figures given by the Prime Minister relating to the year 1961. The Prime Minister in her statement admitted that the statistics sent to the U. N. O., in respect of 1961 are not complete. For it is a census year and all the figures relating to it have not become available by them. This fact is suppressed by the Education Minister. Secondly, the Education Minister has not toldus whether our Government have supplied the U. N. O. any statistics before 1961 about the area of India. I want to ask how these incomplete statistics have gone to U. N. ? And this is also a fact that our Honourable Education Minister tried to suppress these facts.

I would also like to draw your attention towards this fact also that he had not stated whether any statistics were supplied to U. N. O. earlier than 1961. This fact should have been placed before the House honestly. Now coming to the books of the Government of India, there are several discrepancies. In 'India 1953', the area of the country, including Sikkim is shown to be 69,640 Sq. Kilometres. In 1958 this figure was reduced. The Honourable Minister had explained about this discrepancy by saying that figures supplied in 1953 were based on tempo-

rary estimates and not on revised estimates. This statement is wrong because the Survey figures are never based on the rough estimates. It is really sad that it is through such wrong statistics that the country have lost much land and even more is going to be lost.

In the same way the figures regarding Kutch showed that till 1956 the area was 16724 Sq. Kilometres, but from 1957 to 1962, it has become only 8000 Square Kilometres. My contention is that the Government of Pakistan have, therefore, nothing more to do than to quote the statistics of the Government of India and then annex half of our area in Kutch. That is not all, there are other places also, like Longju, Barahoti etc. At these places we have lost hundreds of acres of land while the House have been kept in the dark about it.

In this way, I state that the House has been misled and facts have been deliberately concealed from the House.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : यह प्रथम बार है कि मुझे इस प्रकार के विशेषाधिकार के प्रश्न का सामना करना पड़ रहा हैं। इस सम्बन्ध में मैं कुछ विचार व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। मेरा निवेदन यह है कि यह विशेषाधिकार का अस्त्र संसद का एक बहुत बड़ा अस्त्र है। यह किसी दल का प्रश्न नहीं होता, इसमें तो सारे ही सदन को रुचि होती है। होना यह चाहिए कि कोई विशेष अवसर ही इसके लिए उपयुक्त समझा जाना चाहिए। हर बात पर इस प्रस्ताव को ले आना अच्छा नहीं कहा जा सकता। ब्रिटेन की लोक सभा में किसी बड़े विशेष औसर पर ही इसे लिया जाता है।

मेरा निवेदन यह है कि यदि कोई मंत्री सदन को गुमराह करता है, अथवा अन्धेरे में रखता है तो उसके विरुद्ध इस प्रकार का प्रस्ताव लाया ही जाना चाहिए। परन्तु मैं यह कहूंगा कि यदि कहीं कोई काम भूल से हो जाता है अथवा कोई वक्तव्य गलती से दे दिया जाता है, तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं लाया जाना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रियों को किन हालात में काम करना होता है। उन्हें बहुत से प्रश्नों का उत्तर देना होगा और बहुत से वक्तव्य प्रस्तुत करने होते हैं। यदि प्रत्येक छोटी मोटी भूल के लिए लोग इस तरह विशेषाधिकार के प्रश्न उत्पन्न करते रहे तो इससे सदन की गरिमा को बहुत हानि पहुंचेगी। इससे सभा की प्रतिष्ठा बढ़ नहीं सकती। इसी विषय पर जिसको इस विशेषाधिकार के प्रश्न से जोड़ा है, हम आगामी सप्ताह बड़े विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। यदि उस दिशा में किसी माननीय सदस्य को कोई असन्तोष है तो वह अपने विचार उस समय व्यक्त कर सकता है।

कहा गया है कि मंत्री महोदय ने गलत आंकड़े प्रस्तुत करके सदन को धोखा दिया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों में और हमारे आंकड़ों में काफी अन्तर है। वास्तविकता यह है कि 1961 और 1962 के आकड़ों में जो अन्तर है, उसके कारणों पर वक्तव्य में प्रकाश डाला गया है। बात यह थी कि जिस समय रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस समय बहुत से क्षेत्र ऐसे थे जिनके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए थे, इसलिए वे आंकड़े उसमें सम्मिलित नहीं किये गये थे। यह ठीक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आकड़े हमने ही दिये थे। वह चाहते थे कि उन्हें क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों प्रकार के आंकड़े दिये जायं। जनगणना 1961 में हुई थी और उन्हें हमने बता भी दिया था

कि जनगणना के आंकड़े अन्तिम नहीं हैं । यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि केवल उन्हीं क्षेत्रों के आंकड़े प्रस्तुत किये जायेंगे , जहां कि जनगणना का काम पूरा हो चुका है । हम यदि 1961 के आंकड़ों में वे आंकड़े जोड़ दें जो कि हमने उन्हें नहीं दिये थे तो यह आंकड़ा 3276000 हो जाता है, और यह तथ्य 1962 के हैं ।

हमने यह बात संयुक्त राष्ट्रसंघ पर स्पष्ट कर दी थी कि जो भी आंकड़े उन्हें भेजे जा रहे हैं, वे अस्थायी हैं, क्योंकि जनगणना का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है । यह सारा मामला है जिसके आधार पर डा० लोहिया ने मेरे विरुद्ध आरोप लगाये हैं । कच्छ के मामले में इस समय कुछ कहना और तथ्य प्रस्तुत करना देश के हित में नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : अभी हाल ही यह प्रवृत्ति कुछ बढ़ ही गई है कि अधिक से अधिक विशेषाधिकार के प्रश्न सदन में प्रस्तुत किये जायें । भविष्य में मैं इस मामले में सचेत रहूंगा और इस विषय में केवल उन्हीं प्रश्नों को प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा जिनमें कोई तथ्य पूर्ण सार होगा । शेष प्रश्नों को वैसे ही निपटा दिया जाया करेगा । इस मामले में विशेषाधिकार के भंग का कोई प्रश्न नहीं है । इस प्रकार का प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब कि जान बूझ कर मंत्री महोदय ने कोई गलत वक्तव्य दिया हो । कोई भूल से बात हो जाय तो उसके आधार पर विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 तथा खनिज परिरक्षण तथा विकास (पहला संशोधन) नियम, 1966

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 23 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2170 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) खनिज परिरक्षण तथा विकास (पहला संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 30 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1179 में प्रकाशित हुए थे

[**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०** 6836/66]

चलचित्र (सेंसर-व्यवस्था) छठा संशोधन नियम, 1966, आदि

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं श्री राजबहादुर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) चल-चित्र अधिनियम, 1952 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) चलचित्र (सेंसर-व्यवस्था) छठा संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 21 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 740 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जी० एस० आर० 1182 जो दिनांक 30 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) ऊपर की मद (1) की (एक) में बताई गई अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाला एक विवरण।

[**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०**-6837/66]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे रेलवे सम्पत्ति (अवैध कब्जा) विधेयक, 1966 की जिसे राज्य सभा ने 17 अगस्त, 1966 को हुई अपनी बैठक में पास किया है एक प्रति संलग्न करने का आदेश मिला है।"

रेलवे सम्पत्ति (अवैध कब्जा) विधेयक, 1966

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

RAILWAY PROPERTY (UNLAWFUL POSSESSION) BILL, 1966

As Passed by Rajya Sabha

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में रेलवे सम्पत्ति (अवैध कब्जा) विधेयक, 1966 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

नवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं विशेषाधिकार समिति का नवां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

दिल्ली बिक्री कर विधेयक
DELHI SALES-TAX BILL

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली में माल की बिक्री पर कर लगाने सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली में माल की बिक्री पर कर लगाने सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

Shri Yashpal Singh (Kairana) : This Bill violates the provisions of the constitution. Government cannot enhance the rate of tax by giving notice at its own sweet will. It is Parliament's authority and this should not be taken away from it.

This Bill also goes against the assurance given by the Home Minister to the businessmen of Delhi.

The existing tax of 5 per cent is already on the high side and Government is not empowered to increase it to seven per cent. I oppose the introduction of this Bill.

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद): विधेयक के साथ जो वित्तीय ज्ञापन संलग्न है वह प्रक्रिया नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है अथवा कम से कम उनके अनुरूप नहीं है । मैं आपका ध्यान नियम 69 की ओर आकृष्ट करता हूं । उसमें दिया हुआ है :

> "(1) जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खण्डों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्त्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।"

इसी कारण से जयन्ती विधेयक को स्थगित हुए अब तकरीबन एक सप्ताह हो गया है । यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतने भारी भरकम प्रशासन के बावजूद भी ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में ऐसी गलतियां पाई जाती हैं जिन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है ।

नियम 69 में दिया हुआ है : "खण्डों की ओर विशेष कर ध्यान दिलाया जायेगा······"

वित्तीय ज्ञापन बहुत ही छोटा है और उसमें केवल 10 के करीब ही पंक्तियां हैं परन्तु ज्ञापन में किसी भी खण्ड का उल्लेख नहीं किया गया है । इस विधेयक में दो खण्ड हैं जिनका इस ज्ञापन में उल्लेख होना चाहिये था । वे खण्ड हैं खण्ड 9 तथा खण्ड 12 । इस तरह की असावधानी के लिये मंत्रियों को कोई सबक सिखाया जाना चाहिये । इस विधेयक को तब तक के लिये स्थगित रखा जाना चाहिये जब तक सरकार सही ज्ञापन पेश नहीं करती है ।

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): जहां तक श्री यशपाल सिंह द्वारा उठाई गई आपत्तियों का सम्बन्ध है वे विधेयक के उपबन्धों के बारे में हैं और उन पर विधेयक पर बहस के समय विचार किया जा सकता है। श्री कामत द्वारा उठाई गई आपत्तियों को मैं ठीक तरह नहीं समझ पाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनकी आपत्ति यह है कि नियम 69 के अनुसार धन विधेयक के साथ एक वित्तीय ज्ञापन लगा होना चाहिए और उस ज्ञापन में व्यय वाले खण्डों की ओर विशेष कर ध्यान आकृष्ट किया जाना चाहिए। इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : नये अधिनियम में जो नई बात जोड़ी जा रही है वह एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना है। वित्तीय ज्ञापन में इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख है परन्तु उन खंडों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरा सभा से निवेदन है कि वह इस अनियमितता के लिये मुझे क्षमा कर दे और इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दे दे।

अध्यक्ष महोदय : वित्तीय ज्ञापन में सम्बन्धित खंडों का उल्लेख नहीं है। मेरी कठिनाई यह है कि इस उपबन्ध के बारे में स्वविवेक का प्रयोग करने की भी गुंजाइश नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय पहले यह कमी पूरी करें और कल इस विधेयक को पेश करें।

लोक लेखा समिति के पचपनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re. FIFTY-FIFTH REPORT OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी द्वारा अपना प्रस्ताव पेश किये जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर सभा में बहस नहीं हुई है। मैंने तथा पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने यह निर्णय दिया हुआ है कि इन प्रतिवेदनों पर सभा में बहस नहीं की जानीं चाहिये क्योंकि उनमें बहुत सी बातें होती हैं परन्तु किसी विशेष बात के बारे में जहां समिति और मंत्री की राय में अन्तर हो अवश्य ही चर्चा की जा सकती है। सभा को ऐसा करने का अधिकार है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस विशेष विषय तक ही अपने विचार सीमित रखें और 55वें प्रतिवेदन में दिये हुए विषय पर ही बोलें। 55वें प्रतिवेदन में जहां कहीं भी 50वें प्रतिवेदन की ओर निर्देश किया गया हो उसके बारे में उल्लेख किया जा सकता है। अन्य बातों की ओर नहीं।

Shri Madhu Limaye: What is this? Kindly explain to us.

अध्यक्ष महोदय : लोक लेखा समिति भी इस सभा का एक छोटा रूप है और इसके निर्णयों को स्वीकार किया जाना चाहिये। वहां पर सभी दल मिल जुल कर काम करते हैं और कोई विमति टिप्पण संलग्न नहीं किया जाता है और न ही ऐसा करने की अनुमति है। कांग्रेस तथा विरोधी दलों दोनों की ओर से स्थानापन्न प्रस्ताव दिये गये हैं। बेहतर यही होगा कि इन्हें प्रस्तुत न किया

जाये । क्योंकि भिन्न भिन्न मत व्यक्त किये जायेंगे और समिति के प्रतिवेदन की आलोचना की जायेगी । इसलिये सभी पक्षों को समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करके ही अपने विचार व्यक्त करने चाहियें । इन स्थानापन्न प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति देकर हम एक अनुचित उदाहरण स्थापित करेंगे ।

इसलिये बेहतर यही होगा कि सत्तारूढ़ तथा विरोधी दल मेरी बात मान लें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमें ऐसा कोई स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करना चाहिये जिसमें लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की आलोचना की हुई हो । हमारे स्थानापन्न प्रस्तावों में केवल यह सिफारिश की गई है कि सरकार एक आयोग नियुक्त करे । यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह अपने कर्तव्य का पालन न करना ही होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस स्थानापन्न प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । यदि यह मान भी लिया जाये कि इससे इस समय कोई हानि नहीं होगी तो भी ऐसा उदाहरण भविष्य के लिये हानिकारक सिद्ध होगा । हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करनी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : If in view of the observations made by the Public Accounts Committee after further consideration, and the opinion expressed by you on our privilege motion, the Prime Minister is prepared to announce that there has been a breach of privilege and that the Minister concerned would be asked to submit his resignation. I am prepared to accept your advice so far as the present motion is concerned. We want a reply to this.

Mr Speaker : No, it is not necessary.

श्री कृ० चं० पन्त (नैनीताल) : एक स्थानापन्न प्रस्ताव मेरे नाम से है । मेरा इरादा आपकी कठिनाइयों में वृद्धि करने का नहीं है । इस बात पर लगभग सभी सहमत हैं कि लोक लेखा समिति की प्रतिष्ठा को कायम रखा जाना चाहिए । यदि आप नहीं चाहते तो मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापिस ले लेता हूँ । तथापि मैं आशा करता हूँ कि सभी अन्य स्थानापन्न प्रस्ताव वापस ले लिये जायेंगे । इसमें दलगत राजनीति का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या हम यह समझें कि वह जवाब तैयार करके लाये थे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : इस प्रस्ताव को दलगत आधार पर नहीं लिया जाना चाहिए और न ही दलबन्दी की भावना से इस पर विचार होना चाहिए । लोक लेखा समिति की प्रतिष्ठा को कायम रखना दोनों पक्षों के लिए जरूरी है । यह ऐसा मामला है जहां सभी पक्षों को कदम मिला कर चलना होगा । हमें इस दिशा में कठिनाइयाँ पैदा नहीं करनी चाहिए । मेरा इतना निवेदन जरूर है क्योंकि लोक लेखा समिति में विरोधी दल के लोग भी शामिल हैं अतः हमें इस समिति के निर्णयों को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए । इसे सबसे उच्च स्तर पर रखा जाना चाहिए ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता, मध्य): ऐसी कोई बात नहीं है जिसका माननीय सदस्यों को भय है । हम तो लोक लेखा समिति की कार्यवाही की सराहना कर रहे हैं । परन्तु

यह बात स्पष्ट है कि चाहे हम कभी उसकी बात को अस्वीकार न करें, परन्तु उसकी रिपोर्ट पर चर्चा करने का हमारा हक़ कायम है, इसे संसद से छीना नहीं जा सकता। आज तो जो कुछ लोक लेखा समिति ने कहा है, उस पर तो आम जनता में भी चर्चा हो रही है। मेरा निवेदन है कि इस चर्चा के दौरान यदि कोई माननीय सदस्य पदासीन दल के विरुद्ध कुछ कह देता है तो यह कोई ऐसी बात नहीं जिस पर नाराज हुआ जाये। इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लोक लेखा समिति का अनादर नहीं समझा जाना चाहिए। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन खुले आम एक सार्वजनिक दस्तावेज है और अखबारों में इस पर सम्पादकीय लिखे जा रहे हैं। और यहाँ पर उस पर चर्चा भी हो रही है। फिर यह सब शोर लोक लेखा समिति के नाम पर क्यों हो रहा है।

श्री खाडिलकर : आज पहली बार स्वतन्त्रता के बाद लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं और भाषणों की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री अ० चं० गुह : पाँच स्थानापन्न प्रस्ताव हैं, यदि आप उन्हें प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे तो सदन में उन पर मतदान हो सकेगा।

डा० मा० श्री० अणे : इस बारे में आपको सदन का रुख देखना चाहिए कि इन प्रस्तावों पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं।

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : ब्रिटिश हाऊस आफ कामंज में जब भी कभी लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा होती है, स्थानापन्न प्रस्तावों पर चर्चा नहीं होती। यदि अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में आप कोई निर्णय नहीं दे सकते तो इस मामले को सदन पर छोड़ दिया जाय। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की ऐसी गलत परम्पराओं का निर्माण हो जिसका प्रभाव लोक तंत्र के भविष्य पर बुरा रहे।

श्री हरिविष्णु कामत : आज जो भी निर्णय लिया जायेगा वह परम्परा नहीं बनेगा। हर मामले पर जब भी वह सदन के समक्ष आयेगा, उसके गुण और दोषों को देखकर ही उसका निर्णय होगा। हमने स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए समिति के कार्य की प्रशंसा भी की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को सदन पर छोड़ता हूँ। श्री द्विवेदी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्र पाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि लोक लेखा समिति के 50वें प्रतिवेदन के पैरा 4.128 के विषय में खाद्य, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री द्वारा18 मई, 1966 को लोक सभा में दिये गये वक्तव्य के बारे में लोक लेखा समिति के 55वें प्रतिवेदन पर, जो 5 अगस्त 1966को सभा में प्रस्तुत किया गया था, विचार किया जाये।"

इस बारे में 1944 को केन्द्रीय विधान सभा ने लोक लेखा समिति के बारे में संशोधन

किया था । और इस संदर्भ में यदि सारे मामले का अध्ययन किया जाय तो पता चलता है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार ऊपर के स्तर पर पहुँच गया है । और आज इस पर जो चर्चा हो रही है, इसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि संसद के अधिकारों को निर्धारित किया जाय । जब से प्रतिवेदन आते रहे हैं जिसमें सरकार की मनमानियों और अनियमितताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया गया है । कई बार सरकार ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया । मेरा निवेदन यह है कि लोक लेखा समिति एक छोटे स्तर पर संसद ही होती है । और उसके जो भी निर्णय हों, सरकार को उसकी ओर ध्यान देना ही होता है । उसके निर्णयों को स्वीकार न करने का अर्थ संसद के निर्णयों को ठुकराने वाली बात है । देखने में आया है कि सरकार ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास करती है, जिनके विरुद्ध आरोप हैं । और दुर्भाग्य से जिस मामले पर अब चर्चा हो रही है वह तो सबको मात देने वाला है । यह बड़े खेद की बात है कि कुछ बेईमान राजनीतिक नेताओं के संरक्षण के कारण न केवल अमीं चन्द प्यारे लाल फर्म ने ही बहुत धन तथा सम्पत्ति इकट्ठी कर ली है, प्रत्युत इस तरह करने से सरकार का करोड़ों रुपया भी नष्ट हुआ है । यह जनता के धन की बड़ी खुलेआम लूट है ।

इस संदर्भ में एक मामला बड़ा स्पष्ट है । इसका सम्बन्ध एक मंत्री विशेष से है । उन्होंने अपने बचाव में जो कुछ कहना था, वह उन्होंने लोक लेखा समिति के समक्ष कह दिया है । यह भी तथ्य है कि लोक लेखा समिति को भी उनकी बात को सुनने के लिए असामान्य कदम उठाना पड़ा । सुनने के बाद समिति ने उनके तर्क को माना नहीं है । न ही समिति ने अपनी सिफारिश में कोई तबदीली की है । लोक लेखा समिति का निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अतः इसका कोई कारण नहीं कि उसे किसी और निकाय को सौंपा जाय । उसके निर्णय को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।

समिति की सिफारिश को स्वीकार करके मंत्री महोदय को गद्दी छोड़ देनी चाहिए । ऐसे हालात में यदि कोई आत्म सम्मान वाला मंत्री होता तो अब तक कभी का त्यागपत्र दे देता । परन्तु वर्तमान दशा में तो मंत्री महोदय ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी और अविवेक दिखाया है । उन्होंने मामले को टालने, लोगों को गुमराह करने और भ्रम में डालने का प्रयास किया है । यह तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है कि मंत्री महोदय की भावना बुरी नहीं थी । केवल निर्णय की अथवा अन्दाजे की भूल हो गई है । यदि यह मान भी लिया जाय कि यह केवल अन्दाजे की गलती थी, फिर भी भूल के महत्व और उसके परिणामों से इन्कार नहीं किया जा सकता । और लोकतंत्रीय आदर्शों का ध्यान रखते हुए मंत्री महोदय को तुरन्त त्याग पत्र दे देना चाहिए । ऊँची परम्पराओं की दृष्टि से उन्हें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी मान लेनी चाहिए थी ।

इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने यह तर्क भी दिया है कि उन्होंने आदेश में संशोधन करने में केवल अपने मंत्रिपद के विवेक का प्रयोग किया है । मेरा निवेदन है कि इस प्रकार आदेश में संशोधन करना प्रत्येक न्यायप्रिय व्यक्ति को ठीक और उचित ही प्रतीत होगा । परन्तु आज तो स्थिति यह निर्माण हुई है कि बड़ी भारी भूल हुई है और मंत्री महोदय ने अपने विवेक का प्रयोग बड़े गलत ढंग से किया है, अतः मंत्री महोदय को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार

नहीं है। मेरा इस बारे में आग्रह है कि हमें अपने देश में कुछ अच्छे दृष्टान्त स्थापित करने चाहिए जैसे कि इग्लैंड में है।

अपनी गवाही में मंत्री महोदय ने कहा है कि जब उन्होंने आदेश पास किया तो वह सम्बद्ध फर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। एक वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने 1962 में आदेश पास किये तो वह फर्म के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्हें इस फर्म के बारे में बहुत सी बातों का पता था, और इस सदन में भी उस फर्म के बारे में कई बार आलोचना हो चुकी है। लोक लेखा समिति के 11वें और 24वें प्रतिवेदनों में फर्म के विरुद्ध कड़ी आलोचना की गई थी। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि गवाही के समय जब मंत्री महोदय से यह पूछा गया कि जब श्री जीत पाल उनसे मिले तो क्या कोई और व्यक्ति भी वहाँ विद्यमान था, तो उनका यह उत्तर था कि यह बात उन्हें याद नहीं। जब यह पूछा गया कि क्या यह आपकी उनसे प्रथम भेंट थी ? तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा, हाँ मेरा ख्याल ऐसा ही है। इससे स्पष्ट होता है कि मंत्री महोदय तथ्यों को छिपा रहे हैं। तथ्य की बात यह है कि श्री जीत पाल की उनसे यह प्रथम भेंट नहीं थी। वह उससे इससे पूर्व भी तीन चार बार मिल चुके थे। यह बात श्री जीत पाल द्वारा जो पत्र 27 जनवरी 1963 को मंत्री महोदय को लिखा था, उससे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है।

इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने अपनी गवाही में यह भी कहा है कि जो कोई उनसे मिलने आता था, वह उसे मिलने की अनुमति दे देते थे। यह बात भी गलत है। अन्य लोगों के मामले में उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल जीत पाल को मिलने की अमुमति दी और रात ही रात में वह आदेश बदल गया। स्थिति ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति के मन में सन्देह पैदा हो सकता है। यह बात भी है कि मंत्री महोदय ने इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि 28 जून 1963 तक लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक ने उनके आदेश का पालन नहीं किया था। और इसके लिए उन्हें बार बार पत्र लिखे गये थे। इससे भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मामला सन्देह से रहित नहीं है। यह भी प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि उनके मन में सन्देह उत्पन्न हुआ था तो अपने आदेश में संशोधन करने से पूर्व उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की। और जो दो इस्पात नियन्त्रक फर्म के साथ मिले हुए थे उन्हें क्यों पदच्युत नहीं किया गया था। यह भी एक तथ्य है जिसे मैं बताना चाहता हूं कि मंत्रालय में मैसर्ज अमीनचन्द प्यारे लाल के बारे में एक फाइल खोली हुई है। इतना होते हुए भी मंत्री ने अपने आदेश को बदला और उसके लिए यह तर्क प्रस्तुत किया कि वह लोहा तथा इस्पात व्यापार में अनुशासन स्थापित करना चाहते थे।

इस बारे में मैं श्री चागला के शब्दों का उल्लेख करना चाहता हूं कि इसके पीछे अवश्य कोई प्रेरणा शक्ति का हाथ रहा होगा। यही कारण था कि तुरन्त 48 घंटे के भीतर आदेश बदल दिया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह यह स्पष्ट करें कि क्या उस आदेश को पारित करते हुए उनकी उस फर्म के बारे में अपने मंत्रालय के भूत पूर्व मंत्री से कोई बातचीत हुई थी। क्या इन्हीं दिनों सरदार स्वर्ण सिंह के साथ भी उनकी टेलीफोन पर कोई बात हुई थी, क्योंकि उस समय वह उनके उत्तराधिकारी बन रहे थे ? और क्या यह भेट उनके द्वारा ही कराई गई थी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। उन्हें श्री स्वर्ण सिंह को इस मामले में नहीं लपेटना चाहिए।

श्री सुब्रह्मण्यम ने अपने वक्तव्य में बताया है कि यह सब कुछ 1957-60 के बीच हुआ है जब कि उन्होंने अप्रैल 1962 में पद सम्भाला था। क्या यह सच नहीं है कि अमीन चन्द प्यारेलाल तथा राम किशन कुलवन्त राय फर्मों को दो लाइसैंस दिये जाने के पश्चात् उनसे सम्बन्धित फाइल लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा मंत्रालय को भेजी गई थी जब कि आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है। उस पर मंत्री महोदय के प्राइवेट सेक्रेटरी ने लिखा था कि मंत्री महोदय ने फाइल देख ली है, धन्यवाद। क्या इन सब चीजों को देखते हुए मंत्री महोदय ने कुछ कार्यवाही की।

मैं पूछना चाहता हूं कि 28 जून से लेकर 23 जुलाई तक उनको उच्च स्तर से कोई पत्र प्राप्त हुआ था। क्या यह सच नहीं है कि 29-3-63 को मैसर्ज अमीन चन्द प्यारेलाल तथा सम्बन्धित उद्योगों को लाइसैंस दिये जाने के सम्बन्ध में उन्होंने एक अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या एन-ई.इन्ड 7 (24)/60 जारी किया था। इस फर्म का तथा इस विशेष मामले का दास आयोग के प्रतिवेदन में भी मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है।

यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ उच्चस्तरीय प्रभाव के पड़ने के कारण ही मंत्री महोदय ने अपने निर्णय में परिवर्तन किया था।

मंत्री महोदय ने एक तर्क यह भी दिया है कि वह चाहते थे कि कुछ उद्योग विकास करें और इसी कारण उन्होंने अपने आदेश में कुछ ढील दी है। इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यद्यपि आदेश 28 जून को पास किये गये थे परन्तु उनको 31 जुलाई तक जारी नहीं किया गया था और मंत्री महोदय ने यह जानने का प्रयत्न भी नहीं किया कि उनके आदेशों को कार्यान्वित कर दिया गया है अथवा नहीं।

जहां तक मंत्री महोदय का सम्बन्ध है लोक लेखा समिति ने जो सिफारिशें तथा निर्णय किये हैं वे अन्तिम और अपरिवर्तनीय हैं। यदि सभा संसदीय लोकतन्त्र की परम्पराओं को बनाये रखना चाहती है तो उसे इन सिफारिशों तथा निर्णयों को स्वीकार करना चाहिये कि ये अन्तिम हैं। मंत्री महोदय को त्याग पत्र दे देना चाहिये। अन्य सभी सम्बन्धित मामलों की पूरी तरह जांच होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक लेखा समिति के 50वें प्रतिवेदन के पैरा 4.128 के विषय में खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री द्वारा 18 मई, 1966 को लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के बारे में लोक लेखा समिति के 55वें प्रतिवेदन पर, जो 5 अगस्त, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था विचार किया जाये।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : सदस्यों को स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये ।

श्री त्यागी (देहरादून) : स्थानापन्न प्रस्तावों के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 1933 में केन्द्रीय सभा के अध्यक्ष ने यह निर्णय किया था कि जब लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के बारे में विचार किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये तो उस पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता । यदि इस सभा में इस प्रश्न पर मत लिये गये तो इससे समिति के सदस्यों के लिये परेशानी होगी क्योंकि हो सकता है कि दल के अनुशासन के अन्तर्गत दूसरी ओर मत देना पड़े । इसलिये स्थानापन्न प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मेरा निवेदन है कि स्थानापन्न प्रस्ताव रखे जाने के प्रश्न के बारे में विरोधी दलों को पुनः विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिये । मेरा विचार है कि इस समय सभा में स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने चाहिये ।

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : आपके कहने के अनुसार चर्चा केवल लोक लेखा समिति के 55वें प्रतिवेदन के बारे में ही हो सकती है । परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री कामत लोक लेखा समिति के 50वें प्रतिवेदन से उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के सम्बन्ध में वक्तव्य के लिये कह रहे हैं । ऐसा करना चर्चा के निर्धारित सीमाक्षेत्र से बाहर जाना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा का सीमाक्षेत्र सीमित है इसलिये स्थानापन्न प्रस्तावों को केवल प्रस्तुत करने से कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री दाजी (इंदौर) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री हरिविष्णु कामत : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री कृ० चं० पंत (नैनीताल) : मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री पंत के स्थानापन्न प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें लोक लेखा समिति के 50वें प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The substitute motion of Shri K. C. Pant cannot be moved as it makes a reference to the 50th Report of the P.A.C.

अध्यक्ष महोदय : इन आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् ही कोई निर्णय किया जायेगा ।

श्री दाजी : श्री सुब्रह्मण्यम अपर्याप्त कारणों से तथा असद्भावपूर्ण कारणों से कार्य करने

के लिए दोषी हैं। उन्होंने स्वयं विवेक का गलत प्रयोग किया है। उन्होंने असावधानी से कार्य किया है तथा इससे पता लगता है कि उनमें एक अच्छा निर्णय लेने की क्षमता का अभाव है। वह लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में जानबूझकर किये गये विलम्ब के लिये भी दोषी हैं जोकि कर्मचारियों की कर्तव्य-विमुखता में मौन सम्मति के समान है। वह गोलमोल बातें करने तथा लोक लेखा समिति के कृत्यों को निष्फल करने के प्रयत्न करने के लिए भी दोषी हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इन सौदों में श्री सुब्रह्मण्यम ने 16 नवम्बर 1962 को स्वयं पहला आदेश पास किया था। अपने टिप्पण में श्री सुब्रह्मण्यम ने लिखा है कि इन फर्मों ने सरकार को धोखा देने का यत्न किया है इसलिए इनको कालीसूची में रखा जाना चाहिये।

इस फर्म के बारे में स्पष्ट शब्दों में यह आदेश दिये गये थे कि इस फर्म तथा इसकी सहयोगी फर्मों के साथ 2 वर्षों के लिये सभी कार्य बन्द कर दिया जाये। यह सामान्य आदेश सरकार के अन्य विभागों तथा सरकारी संस्थाओं के लिये भी था। यह आदेश "काली सूची संहिता" के अन्तर्गत जारी किया गया था। इस बारे में लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक के कार्यालय ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे और उनके उत्तर मंत्रालय ने दिये परन्तु इसी बीच में कम्पनी की ओर से एक व्यक्ति श्री जीतपाल मंत्री महोदय से मिले और निलम्बन सम्बन्धी आदेश में परिवर्तन करके उस कम्पनी को पहले की सी स्थिति में कर दिया गया। यह बात बहुत आश्चर्यजनक है।

लोक लेखा समिति ने अपने परिशिष्ट में कम्पनी के उन अपराधों की सूची दी है जोकि 1954 में 'काली सूची' में आने के बाद कम्पनी करती रही है। जब इस पर से 'काली सूची' के अधीन प्रतिबन्ध हटा तो फिर इस कम्पनी ने सरकार को धोखा देना आरंभ कर दिया और इस प्रकार लाखों रुपया कमाया। इस बारे में लोक लेखा समिति की चौतीसवां प्रतिवेदन उल्लेखनीय है। यह कम्पनी अनियमितताओं द्वारा सरकार को धोखा देती रही है। इसमें लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक के कार्यालय तथा इस्पात मंत्रालय के भ्रष्ट अधिकारियों का भी हाथ है। इस कम्पनी के लिये पक्षपात किया जाता रहा है। वित्त मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय के अनुदेशों की उपेक्षा की जाती रही है। पिछले 6 वर्षों की अवधि में इस कम्पनी को 29 करोड़ रुपये के बराबर के लाइसेंस दिये गये थे। इन 6 वर्षों में इस कम्पनी के आयात-निर्यात का व्यापार 60 प्रतिशत बढ़ गया। माननीय मंत्री ने निर्णय किया कि केवल लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक को ही नहीं बल्कि सभी सरकारी विभागों को इस कम्पनी के साथ सौदे बंद कर देने चाहिये।

परन्तु इसके बाद क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आता। इस बारे में लोक लेखा समिति ने कहा है कि समझ में नहीं आता मंत्री महोदय ने अपना पहले का आदेश क्यों बदला।

मैं चाहता हूं कि सभा तथा सरकार यह देखे कि क्या श्री सुब्रह्मण्यम ने जो कुछ किया है वह सद्भावपूर्ण था अथवा नहीं। मंत्रालय के सचिव द्वारा काली सूची को सीमित करने के

सुझाव को पहले रद्द करने के बाद फिर उस आदेश को बदलने के औचित्य को बताने का दायित्व भी श्री सुब्रह्मण्यम पर ही है।

उस आदेश को बदलने के मंत्री महोदय ने दो कारण बताये हैं। एक तो परिवहन मंत्रालय से सलाह किया जाना तथा दूसरा उस कम्पनी के श्री जीतपाल की ओर से मंत्री महोदय से मिलकर क्षमा याचना करना। अपने 18 मई के वक्तव्य में मंत्री महोदय ने परिवहन मंत्रालय की सलाह का सहारा लिया था परन्तु बाद में उन्होंने श्री जीतपाल की क्षमा को भी नये आदेश का कारण बताया है। उसके बाद श्री जीतपाल ने पत्र लिखा और मंत्री महोदय ने फर्म के विरुद्ध अपना पहला आदेश बदल दिया। परिवहन मंत्रालय से भी किसी प्रकार से लिखित रूप से सलाह मश्विरा नहीं किया गया। हो सकता है कि टेलीफोन पर किसी उच्च अधिकारी ने उस मंत्रालय के अधिकारी से बात कर ली हो। परन्तु ऐसे मामलों में यह पर्याप्त नहीं है। फिर वह मंत्रालय केवल इस कम्पनी की केवल एक फर्म के बारे में अपनी राय दे सकता है। वह सभी फर्मों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इसीलिये लोक लेखा समिति ने कहा है कि सभी फर्मों के बारे में आदेश बदलना बहुत आश्चर्यजनक बात है। एपीजे कम्पनी केवल नौवहन कम्पनी ही नहीं बल्कि आयात करने वाली कम्पनी भी है। और एस० पी० ई० इसके विरुद्ध जांच कर रही है। इसके विरुद्ध धोखे के आरोप हैं। ऐसी कम्पनी को क्षमा करना कैसे उचित हो सकता है?

मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों के कारण इस कम्पनी के प्रति यह सहानुभूति दिखाई गई थी और आदेश बदला गया था। यह क्षमा याचना का मंत्रालय के नाम पर एक कलंक है। समिति के समक्ष पहले साक्ष्य में मंत्रालय के सचिव ने इस पत्र का उल्लेख क्यों नहीं किया था। 18 मई को मंत्री महोदय ने भी इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा था। जब मंत्री महोदय से समिति की बैठक में पूछा गया कि क्या श्री जीतपाल से उनकी भेंट के समय कोई और भी वहां पर उपस्थित था तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे याद नहीं। फिर जब समिति ने उनसे पूछा कि उन्होंने श्री जीतपाल से यह क्यों नहीं पूछा कि उनको गोपनीय आदेशों का पता कैसे चल गया। यह वही फर्म है जिसने सरकार को लाखों रुपया का धोखा दिया था। ऐसी कम्पनी की क्षमा याचना स्वीकार ही नहीं की जानी चाहिये थी। इस कम्पनी के विरुद्ध तस्करी तथा धोखे के आरोप थे।

मेरा अनुरोध है कि श्री सुब्रह्मण्यम जिन्होंने यह गड़बड़ की है एक बड़े दोषी हैं। इस कम्पनी ने सरकार के अन्य विभागों को धोखा दिया है। मंत्री महोदय ने बहुत लापरवाही बरती है, जब उन्होंने अपने आदेश को बदला है।

श्री कृ० चं० पन्त (नैनीताल): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पंत 50वें प्रतिवेदन तथा उसके संशोधन पर नहीं बोलेंगे, परन्तु मुख्य प्रस्ताव पर भाषण देंगे।

श्री कृ० चं० पंत (नैनीताल) : मैं आपके विनिर्णय का आदर करता हूं तथा मैं अपनी बात को 55वें प्रतिवेदन तथा मुख्य प्रस्ताव तक सीमित रखूंगा।

जांच समिति का हवाला प्रत्याशी नहीं है। यह पहले स्पष्ट कर दिया गया है कि एक उच्चस्तरीय जांच समिति स्थापित करने का सरकार का इरादा है। एक प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया है कि यह जांच मामले के सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

लोक लेखा समिति ने कुछ विभागों द्वारा किये गये अनुचित कार्यों को प्रकाश में लाकर एक बहुत ही लाभप्रद जन सेवा की है। समिति ने यह भी सुझाया है कि पूरे मामले में उच्चस्तरीय जांच की जानी चाहिए क्योंकि उसके लिए काफी सामग्री उपलब्ध है। यदि वहां पर कुछ गलतियां हैं तो उनके लिए कौन जिम्मेदार है, यह निश्चय करना चाहिए और अपराधी को दंडित किया जाना चाहिये।

सरकार ने लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर एक उच्चस्तरीय जांच कराने का उचित कदम उठाया है। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी मामलों पर एक एक करके विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इन मामलों के विषय में कोई पूर्व निर्णय लेना या उन पर विचार-प्रक्रिया को किसी प्रकार प्रभावित करना उचित नहीं है। जांच-समिति के निष्कर्षों पर विचार करना अधिक लाभदायक और सार्थक होगा।

लोक लेखा समिति में सभी दलों के सदस्य होते हैं और संसद के सभी मतों के प्रतीक होते हैं। अत: समिति की सिफारिशों पर भली-भांति विचार किया जाना चाहिये और उनका पूर्ण सम्मान किया जाना चाहिए। संसदीय लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्परा के अनुसार सरकार को लोक लेखा समिति की सभी सिफारिशों को सामान्य रूप से मान लेना चाहिए। पारिभाषिक रूप में यह कहा जा सकता है कि उक्त सिफारिशें लोक लेखा समिति द्वारा दी गयी सिफारिशें होती हैं। वे सभा के निर्देश नहीं हैं अत: वे कार्यपालिका पर स्वत: बाध्यकारी नहीं कहे जा सकते। सिद्धान्त रूप में यह एक महत्वपूर्ण अन्तर है। दूसरे शब्दों में सरकार को भेजी गई सिफारिशों की क्रियान्विति पर अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा ही दिया जायगा।

अब प्रश्न उठता है कि सरकार और लोक लेखा समिति के बीच भेदभाव को कैसे दूर किया जायगा। मौजूदा परम्परा यह है कि इन समितियों के प्रतिवेदनों पर अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद के दौरान आलोचना की जाती है; उन पर सभा में कभी चर्चा नहीं की जाती। लोक लेखा समिति एक विशेषज्ञ का कार्य करती है और कोई राजनैतिक निकाय नहीं है। इसमें राजनीतिज्ञों का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए स्वाधीनता से अब तक यह प्रथा रही है कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा नहीं की जाती थी क्योंकि इस प्रकार की चर्चा के दौरान अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। श्री मावलंकर ने इस प्रथा का सदैव सम्मान किया था और उन्होंने यह भी कहा था कि यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये जिसमें अनिवार्य दलगत नीतियों पर चर्चा के समय लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर आलोचनात्मक टिप्पणियां देना आवश्यक हो जाये, तो यह अच्छा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय ने आज इसके लिए अपवाद कर दिया है परन्तु आशा है कि यही एकमात्र अपवाद रहेगा।

एक और गम्भीर मामला यह है कि मंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर क्या कार्यवाही की जाये। इसके लिए आवश्यक है कि एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थिर की जाये। अपराधी को दंड देना जितना आवश्यक है, निर्दोष व्यक्ति की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। बेईमानी और ऐसी गलती में, जो ईमानदारी से कार्य करते समय हो जाये, भेद किया जाना चाहिए अन्यथा प्रशासकीय सेवा का प्रत्येक कर्मचारी अपना उत्तरदायित्व दूसरे के ऊपर टालने का प्रयास करेगा और उसके लिए सब ओर से आधार ढूंढ़ने का प्रयास करेगा। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि कुछ निर्णय अवश्य ही गलत होंगे। हर जगह गलतियों के लिए गुंजाइश होती है। विचारणीय प्रश्न तो यह है कि उक्त गलती नेक नियत से हुई है अथवा बदनियत से। सम्मानित सदन पर अपराधी को दंडित करने की जितनी जिम्मेदारी है, निर्दोष की रक्षा करने की भी उतनी जिम्मेदारी है। सनथानम समिति ने मंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया है। इस समिति द्वारा बताये गये सिद्धान्तों का इस सदन ने काफी समर्थन किया है। इसमें मंत्रियों और अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं का सुझाव दिया गया है। एक सिविल कर्मचारी आचरण नियमों के अधीन संरक्षण की मांग कर सकता है और जब तक दोषी नहीं ठहराया जाता अपने पद पर काम जारी रख सकता है किन्तु एक मंत्री पर दोषारोपण होने पर काम नहीं कर सकता। जहां तक मंत्री द्वारा पद-त्याग करने का सम्बन्ध है, यह निर्णय प्रधान मंत्री ही कर सकता है। हमें इसके बारे में निश्चित रहना चाहिये कि किसी भी देश का प्रधान मंत्री या लोकतंत्रीय पद्धति के अधीन कोई भी प्रधान मंत्री ऐसे मंत्री को अपने अधीन रखने के लिए तैयार न होगा जो जनता का विश्वास खो चुका है।

श्री सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध एक औपचारिक जांच कराई जाये या नहीं, इस बात पर मैं अपना दृष्टिकोण बताना चाहता हूं। शायद वे अधिक दिलचस्पी के लिये दोषी ठहराये जा सकते हैं किन्तु उन पर किसी ने भी बेईमानी और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। सनथानम समिति ने सुझाव दिया है कि ऐसे आरोपों को प्रधान मंत्री के पास लिखित रूप में भेजा जाये। लोक लेखा समिति के निष्कर्षों के आधार पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनके कार्य असद्भावपूर्ण हैं। जीतपाल द्वारा मंत्री महोदय को लिखा गया पत्र केवल इस धारणा की पुष्टि करता है। श्री सुब्रह्मण्यम 20 वर्ष से मंत्री के पद पर काम कर रहे हैं और उन्होंने जनता की काफी सेवा की है।

सबसे अधिक आरोप इस आधार पर लगाया गया है कि उसने स्वविवेक का दुरुपयोग किया। किन्तु इसी आधार पर उनके सम्बन्ध में औपचारिक जांच कराया जाना न्यायोचित नहीं है। जो कुछ मैंने कहा है, उसके आधार पर मेरा विचार है कि श्री सुब्रह्मण्यम के आचरण की जांच के लिए कोई अलग औपचारिक जांच कराने के लिए कोई मामला तैयार नहीं किया गया है और न ही लोक लेखा समिति ने उनके आचरण के सम्बन्ध में औपचारिक जांच कराये जाने के विषय में कोई सुझाव दिया है।

कुछ असाधारण बातों ने इस विशेष मामले को जटिल बना दिया है। एक तो यह कि

लोक लेखा समिति ने उनके विरुद्ध आलोचना की है। दूसरे, अध्यक्ष महोदय के अभिकथन हैं, जो उन्होंने मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर निर्णय देते समय किये थे; और अन्त में इस लेन देन में फर्म की बदनामी है जिस पर लोक लेखा समिति ने आलोचना की है। इन कारणों से और जन-जीवन की प्रथाओं को देखते हुए यह उपयुक्त होगा कि प्रधान मंत्री उक्त मंत्री के कार्यों के औचित्य पर किसी भूतपूर्व न्यायाधीश से अनौपचारिक रूप से मत ले लें। इस प्रकार कार्य करने से ही पूर्ण न्याय किया जा सकता है।

न्याय के अन्तर्गत यह भी अपेक्षित है कि उस फर्म के विरुद्ध भी उचित कार्यवाही की जाये जो इस सारे झगड़े की जड़ है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी इस फर्म की कटु आलोचना की है। सरकार को उस फर्म के विरुद्ध कुछ कठोर कदम शीघ्र उठाने चाहिए।

जहां तक लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन और उनकी सिफारिशों पर सरकार के फैसले का सम्बन्ध है, हम कांग्रेस दल के सदस्य लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों का पूरा समर्थन करते हैं। आखिरकार, संसद ने यह प्रथा कायम रखी है कि उन पर आक्रमण न किया जाए जो अपने आपकी रक्षा नहीं कर सकते। इन प्रथाओं का उपचार करने के लिए सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न निकाय को अवश्य सावधान रहना चाहिए। किन्तु सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए यदि व्यक्तिगत अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें की जाती हैं तो उन पर उचित कार्यवाही की जाये।

संसद की एक और प्रथा यह है कि पूर्व सूचना के बिना सदस्य एक दूसरे के विरुद्ध आरोप न लायें। इसके कई उदाहरण मिले हैं और इससे जन जीवन को हानि पहुंची है। हाल ही में श्री मधु लिमये अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध प्रस्ताव लाये थे। यह प्रस्ताव प्रारम्भिक पुष्टि के बिना ही सभा में लाया गया था। सदन में मामला लाने से पहले उसकी पुष्टि कराना वांछनीय था। एक बार श्री मनी राम बागड़ी ने प्रो० हुमायूं कबीर के विरुद्ध आरोप लगाया था कि उसने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में सेवा सुविधाओं का अनुचित प्रयोग किया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सदस्य महोदय आरोप लगाने से पहले विशेष दस्तावेज के विषय को अवश्य जान लें।

श्री रंगा (चित्तूर) : पिछले वर्षों में जब श्री सुब्रह्मण्यम ने आदेश दिया, उनको बदला और उसके पश्चात् लोक लेखा समिति के सामने जब उनकी गवाही ली गई तो उस समय मंत्रिमंडल कहां थी ? उस समय उसके मंत्रिमंडल के साथ क्या सम्बन्ध थे। हमें बताया गया था कि परिवहन मंत्रालय के कहने पर उन्होंने दोषी फर्म को दण्ड देने में कुछ कमी कर दी थी तो क्या परिवहन मंत्रालय और उसके मंत्रालय में इस बात के अभिलेख मौजूद नहीं हैं ? जब श्री चि० सुब्रह्मण्यम और उसके सचिव में इस बात पर गहरा मतभेद था कि दंड की अवधि दो वर्ष तक सीमित रखी जाये, तो मंत्री महोदय ने इस मामले को मंत्रिमंडल, प्रधान मंत्री और मंत्रिमंडल सचिवालय के सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया ? यह जानकर आश्चर्य होता है कि इस सम्बन्ध

में मंत्रिमंडल को कभी कुछ बताया ही नहीं गया। यह भी प्रश्न किया जा सकता है कि मंत्रिमंडल ने इतने लम्बे समय तक इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया ? यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा देश का सत्ताधारी दल इस मामले की इस दृष्टिकोण से जाँच करें।

यह भी पूछा जा सकता है कि श्री सुब्रह्मण्यम ने लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की और सब बातों को ज्यों का त्यों क्यों मान लिया ? उनको इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि जीतपाल उनसे उस समय मिलने आया जबकि तत्सम्बन्धी कागजात उनके पास पहुंचे थे ? कदाचित यह सब उन्होंने उचित समझते हुये ही किया क्योंकि वह इन अनुचित प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों के काफी अभ्यस्त हो गये हैं। वस्तुतः, सामान्य रूप से सरकार की सम्पूर्ण व्यवस्था और विशेषकर परमिट, नियंत्रण और लाइसेंस सम्बन्धी व्यवस्था में तो इतना गोलमाल और अनियमितताएं हैं कि श्री सुब्रह्मण्यम को इस कार्य में कोई बात आपत्तिजनक अथवा गलत नहीं लगती।

[**श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए**
Shri Sham Lal Saraf in the Chair]

मंत्री के रूप में श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा पिछले 12 या 13 वर्षों में की गई आदर्श जन जीवन की याद दिलाई गई है। इससे मैं सहमत हूं। कोई भी यह नहीं कहता कि श्री सुब्रह्मण्यम को कोई धन सम्बन्धी लोभ था किन्तु वह राजनीतिक प्रभाव के वशवर्ती हैं और यहीं उनकी कमजोरी ज्ञात हुई है। लोग जानते हैं कि उन्होंने मद्रास में शिक्षा के बारे में कितने जल्दी अपने विचार बदल लिये थे। यह भी सच है कि उन्होंने सहयोगी खेती के बारे में अपने विचार बदल दिये थे। जब वह राजा जी के नेतृत्व में थे तो उन्होंने नियंत्रणों के बारे में अपने विचार बदल दिये थे। मौजूदा प्रधान मंत्रियों के नेतृत्व में उन्होंने यह कमजोरी दिखलाई है। जब सिद्धांतों और नीतियों पर मेरा कांग्रेस दल से मतभेद हो गया तो मैंने वह दल छोड़ दिया, किन्तु मंत्री महोदय ऐसा कभी नहीं कर सकते। श्री जवाहर लाल नेहरू भी ऐसा न कर सके। हाल के प्रधान मंत्री भविष्य में क्या करेंगे, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। किन्तु मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि जनता उनके वक्तव्य के बारे में उनकी कार्यवाही की देखभाल कर रही है। उन्होंने कहा था कि देश दल से अधिक महत्वपूर्ण है और इसलिए दल के हितों की अपेक्षा देश के हितों का पहले ध्यान रखना चाहिए। इसका केवल भविष्य ही फैसला करेगा।

यह पता लगाने के लिए कि उक्त फर्म कितनी प्रभावशाली है, उसके सम्बन्ध में विस्तृत ब्योरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि पिछले सात वर्षों से अधिक समय से मंत्रिमंडल और शेष मंत्रियों को इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया गया और केवल सम्बन्धित मन्त्रीगण ही उक्त फर्म के साथ रंगरलियाँ मनाते रहे। इसी कारण से मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि श्री सुब्रह्मण्यम को क्षमा किया जाये।

प्रश्न यह है कि क्या अकेले श्री चि० सुब्रह्मण्यम ही वास्तव में इसके लिए जिम्मेदार हैं अथवा

उन्हें केन्द्रीय तथा राज्य के कुछ मन्त्रियों, एक-दो राजनीतिज्ञों तथा इस फर्म द्वारा ज़बरदस्ती बलि का बकरा बनाया जा रहा था। इस तर्क पर उन्हें या पूरे मन्त्रिमण्डल को क्षमा नहीं किया जा सकता कि श्री सुब्रह्मण्यम को बलात बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मन्त्री लोग कर्त्तव्य परायणता के लिए दोषी हैं।

अपनी किस्म का केवल यही एक उदाहरण नहीं है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें फर्मों ने इस प्रकार के लाभ उठाने के लिए सम्बन्धित लोहा तथा इस्पात नियंत्रक तथा दूसरे नियन्त्रकों से सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैं और सम्बन्धित अधिकारी परमिट, लाइसेंस और कोटों के माध्यम से उन्हें लाभ उठाने का निरन्तर मौका दे रहे हैं। क्या सरकार इस योग्य नहीं है कि वह चुनाव के समय विभिन्न फर्मों से उन्हें मिलने वाले धन पर निगरानी रख सके? इन फर्मों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में उनके अपने गुट एक-दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वस्तुतः सभा को सदैव अंधकार में रखा जाता है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य सत्यनिष्ठा की शपथ को नहीं निभा पा रहे हैं जो उन्होंने अपने पद संभालते समय ली थी। यही कारण है कि मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि जब कभी किसी मंत्री के विरुद्ध करनी हो, हमें पहले प्रधान मंत्री के पास जाना चाहिए। एक माननीय सदस्य का कहना है कि हमें ऐसे मामलों को किसी बाहरी निकाय को नहीं सौंपना चाहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाये। मैं समझता हूं कि इस समस्या का समाधान केवल तभी हो सकता है जब कि मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे। यदि वास्तव में मंत्रिगण कर्त्तव्यपरायणता के उच्च आदर्श का आदर करना चाहते हैं तो उन्हें अपना पद त्याग देना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यही पर्याप्त नहीं है कि मंत्री लोग अपना पद त्याग करें, अपितु उन्हें इस नियंत्रण व्यवस्था को ही समाप्त कर देना चाहिए। जितनी नियंत्रण और लाइसेंस व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार को उसे इस मंत्रालय से हटाकर एक अर्ध न्यायिक, पूर्णतः गैर राजनैतिक तथा स्वतंत्र आयोग को सौंप देना चाहिए। इससे इस व्यवस्था में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो सकेगी और कार्य सुचारु रूप से चलता रहेगा। जब तक नियंत्रण व्यवस्था जारी रहेगी, निष्पक्ष रूप से कार्य संचालन नहीं हो सकता है। मंत्रियों के सचिव नियंत्रक मंत्रियों को अंधकार में रख कर हेर फेर करते रहते हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम ने समिति के सामने कहा था कि वह अपने सचिवों पर नियंत्रण रखने के लिए सबल हैं। किन्तु उनके सबल होने पर भी उनके सचिवों ने उन्हें आज इस स्थित में लाकर खड़ा कर दिया है। मन्त्रिगण अपने आपको शक्तिशाली समझते हैं। परन्तु वास्तविकता यह है कि वे अपनी सत्ता को बनाये रखने के लिए अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते। यही कारण है कि ये सचिव और नियंत्रक मंत्रियों के प्रस्तावों के बारे में टाल मटोल करने की धृष्टता करते हैं।

आज देश में राष्ट्रीय जागृति की आवश्यकता है। किन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं। ऐसी बात नहीं है कि केवल श्री सुब्रह्मण्यम ही अपनी कमजोरियों और अयोग्यता के कारण असफल हैं किन्तु इस प्रकार की घटनाओं के लिये सारा मंत्रिमंडल उत्तरदायी है और निन्दनीय है।

श्री हेडा (निजामाबाद): सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर विचार करते समय हमें कुछ आवश्यक तथा इस प्रस्ताव से सम्बन्ध रखने वाली बातों की ओर ध्यान देना चाहिये । पहली बात मैं वर्तमान इस्पात मंत्री के उस वक्तव्य के बारे में कहना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि जहां तक लोक लेखा समिति के पचासवें प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, समिति के सुझाव के अनुसार इस बारे में जांच की जायेगी । मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी हाल ही में अपना एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उसने सुझाव दिया है कि उसी समूह के तीन सौदों के बारे में जांच की जाए । इन मामलों के बारे में जांच करने का सरकार आश्वासन दे चुकी है क्योंकि ये सब मामले एक दूसरे से सम्बन्धित हैं अतः एक के बारे में जांच पड़ताल आरंभ करने पर स्वतः ही अन्य मामलों के बारे में जांच पड़ताल हो जायेगी । तीसरी आवश्यक बात यह है कि सभा के नेता महोदय जांच समिति के बारे में एक वक्तव्य देने वाले हैं । चूंकि इन समितियों की नियुक्ति की जा रही है, अतः इस अवसर पर इस मामले पर वाद-विवाद से पूरी तरह प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है । यदि वाद-विवाद नितान्त आवश्यक समझा जाये तो वह उपरोक्त समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही होना चाहिए । इस बात से कि लोक लेखा समिति इस मामले में सद्भाव अथवा असद्भाव के सम्बन्ध में अपनी पूरी राय नहीं दे सकी, यह पता चलता है कि इस मामले पर विचार करने के लिए समिति के पास ब्योरा नहीं था । अतः इस दृष्टिकोण से भी प्रस्तावित समिति को इस बात की जांच करनी चाहिए और उस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद, यदि आवश्यक समझा जाये, तो हम सभा में इस मामले पर विचार कर सकते हैं । इस मामले पर इस समय चर्चा करना समय से पूर्व होगा और उसका कोई उचित परिणाम नहीं निकलेगा ।

मैं पिछले अनुभवों के आधार पर दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि मद्रास सरकार का आचरण और प्रतिष्ठा सब राज्यों से ऊंची रही है । वहां के किसी मंत्री पर किसी प्रकार आरोप लगाये जाने के बारे में समाचार नहीं मिला है । यह परम्परा श्री राजगोपालाचार्य के समय से चली आ रही है । श्री सुब्रह्मण्यम मद्रास राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य रह चुके हैं । अतः मैं समझता हूं कि उनके आचरण पर किसी प्रकार का सन्देह करना उचित नहीं है ।

हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा कार्यभार संभाले जाने के तुरन्त बाद ही इस मामले को निर्णय करने के लिए लिया गया है । इसमें बहुत पहले टिप्पणियां लिखी गई थीं जिनमें दो प्रकार के दण्डों की व्यवस्था की गई थी—एक अधिक कठोर दण्ड की और दूसरी कम कठोर दण्ड की ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री सुब्रह्मण्यम के लिये यह प्रशंसा की बात है कि उन्होंने सुझाये गये दो प्रकार के दण्डों में से वह दण्ड दिया जो अधिक कठोर था ।

अब प्रश्न यह उठता है कि श्री सुब्रह्मण्यम ने अपने इस निर्णय को किस आधार पर बदला ? मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि वे सभी तथ्य हमारे सामने नहीं हैं जिनके आधार पर यह निर्णय किया जा सके कि जो निर्णय श्री सुब्रह्मण्यम ने समय-समय पर किये वे उचित हैं अथवा नहीं। यह अच्छा होता यदि लोक लेखा समिति ने कुछ अधिक समय लिया होता और वह अधिक तथ्यों को प्रकाश में लाती। भविष्य में यदि लोक लेखा समिति अथवा अन्य समितियों के समक्ष कोई ऐसा मामला आये जिसका सम्बन्ध किसी मंत्री से हो, तो उस मंत्री को, चाहे उसके पास उस समय कोई विभाग हो, सूचना दी जानी चाहिए और उसे स्थिति स्पष्ट करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए।

यह बात भी अत्यन्त आवश्यक है कि इन समितियों के समक्ष जिन अधिकारियों को साक्ष्य देने के लिये बुलाया जाता है, उन्हें पूरी तरह तैयारी के साथ तथा तथ्यों की जानकारी के साथ समिति के समक्ष जाना चाहिए। मैं सभा के नेता तथा प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था कायम की जानी चाहिए जिससे पूरे तथ्य प्रकाश में आ सकें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : First I would like to say, that the House should thank the Public Accounts Committee and its Chairman for the splendid work they have done in their 55th report and expresses its approval of the report.

I would like to ask Shri C. Subramaniam, the then Steel Minister, through you, as to whether he can categorically state that the late Sardar Pratap Singh Kairon and Sardar Swaran Singh were not present at his meeting with Jit Paul on 20th July, 1963 ; is he in a position to say that none beside himself and Jit Paul were present at that time and were the implications of "the kind assurance of support in the industrial undertakings" of the Amin Chand Pyarelal Group of firms, an assurance which the Hon. Minister has not so far denied having given in that fateful meeting.

I would also like to know from the then Transport Minister whether any reference was made by the Steel Ministry to the Transport Ministry placing all the facts and background material about Amin Chand Pyarelal's activity before the Transport Ministry and whether it was on the basis of this material that the Ministry sent its report or was it a casual conversation with the Secretary of the Transport Ministry. If there was no such report but only a word from the Secretary, Ministry of Transport (Additional Secretary), did it represent the considered views of his Ministry in regard to the Appejay Shipping Line and its associate firms ; whether the Minister had received earlier complaints about the foreign exchange caused by the purchase of second-hand ships by this shipping line, their bad maintenance and their disposal as scrat at a fantastically low price and if so what action have government taken against the Company.

The whole matter has to be discussed in the background of the fact of the incalculable harm which the tringle consisting of dishonest businessmen and capitalists, the corrupt bureaucrats and the Government, is causing to the country.

Shri Tyagi (Dehra Dun) : I rise on a point of order. No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the Hon. Member is in a position to place printed materials on the Table of the House in support of such allegations.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री त्यागी, इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Shri Madhu Limaye: The Amin Chand Payrelal Group of firms has been shown favours by the Government in the matter of steel barter. In one year their import quota of steel was raised from 9 per cent. to 59 per cent. and their export from 12 per cent. to 60 per cent. Today the rules are violated and the control orders are misused by the Government officials and no proper action is taken against the officers reponsible for it.

In the Statement which Shri Subramaniam had given on the 18th May, he had, for the first time, mentioned about his interview with Jit Paul and the letter, Jit Paul had written to him. But while referring to that letter, the Minister had deliberately concealed the first two pargraphs thereof, wherein there is the mention of "kind assurance of support". Had he placed those paragraphs before the House, the House would have understood that the letter is not an expression of regret but of thank for the kindness shown.

The Minister has said that the list of new undertakings mentioned in the letter is not important. But in fact it is a very important thing. One of the industries mentioned is Kashmir Ceramics. Even though the Kashmir Government's share is to the extent of 39 per cent., there is, out of eight directors, only one director who represents the Government. In the very first meeting of the Board, there was a difference of opinion on the accounts. Then after some time the Government served a notice on the Kashmir Ceramics but after that no action was taken on that notice. Then again, it was claimed by the firm that production would start in two months' time but nothing happened. All the material that had been allowed to be imported was sold in the black market. Was it in that kind of activity that Shri Subramaniam had assured of his support to the firm?

As regards the revision of his orders, the Minister has stated that he has no knowledge about the past record of the firm. Answering a question, he told the Public Accounts Committee that "After all the Minister is to be guided by the office". It is not enough for a Minister to say so, he should have used his discretion. And when the office suggested to him that no ordinary order should be issued in that case, why was he then not guided by the office?

It is true that Shri Subramaniam is not the architect of the conspiracy that is there for a long time. But he did join that conspiracy later and it was because of that he changed his order and tried to hide facts from the Public Accounts Committee.

The Amin Chand Pyarelal Group of firms have indulged in a number of malpractices. One of the cases against is that in the matter of imports, they had managed to obtain forged Cross Border Certificates. Another case relates to the inquiry by the Central Bureau of Investigation into cheating of Calcutta Port Commissioners. Then again, the firm of Amin Chand Pyarelal imported 7900 tons of steel on behalf of the Hindustan and got it rejected by the Government. In fact, this is their technique they first import things, then by bribing the officer, get them rejected and they make money by selling those things in the open market.

Shri Subramaniam has abused the sacred provision of rule 357 and has made a wrong statement in the House. The traditions of the Parliamentary democracy demands that the Prime Minister or the Leader of the House should have brought a motion against the Minister, as was done in the Profumo case in Britain, instead of giving the opposition an opportunity to bring it.

श्री खाडिलकर (खेड़) : गत एक सप्ताह की इस सभा की कार्यवाही देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि विरोधी दल के लोग सरकार की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

हम लोक लेखा समिति के 55वें प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक अमींचन्द प्यारेलाल फर्म के कार्यों का सम्बन्ध है, उनके पक्ष में कोई भी नहीं कहेगा, किन्तु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या मंत्री के कामों के प्रति न्यायिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये ; मैं समझता हूं कि ऐसा दृष्टिकोण अपनाना सर्वथा अनुचित है क्योंकि उसे शीघ्रता से कार्य करना पड़ता है तथा जल्दी निर्णय लेने पड़ते हैं। इसमें समय का काफी तकाजा होता है। जीतपाल के पत्र से जाहिर है कि मंत्री महोदय ने इस फर्म के प्रति कठोर रवैया अपनाया था और उसके प्रतिनिधि श्री जीतपाल की भर्त्सना की थी। वास्तव में मंत्री जी ने इस फर्म के विरुद्ध एक आदेश भी दिया था। किन्तु बाद में उन्हें जब कुछ औचित्य दिखाई दिया तो उन्होंने वह आदेश बदल दिया। अतः इस सम्बन्ध में इसके पीछे कोई प्रयोजन बताना उचित नहीं है।

जहां तक लोक लेखा समिति के 55वें प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय जरूरत न होने के बावजूद भी स्वेच्छा से इस समिति के समक्ष पेश हुए, लोक लेखा समिति के विचाराधीन 55वें प्रतिवेदन में, सिवाय एक या दो टिप्पणियों के जो बहुत सम्मान सूचक नहीं हैं, मंत्री महोदय के आचार के विरुद्ध कोई बात नहीं है। विचाराधीन प्रतिवेदन पर निष्पक्ष रूप से विचार करने पर साफ जाहिर होता है कि इस प्रतिवेदन में श्री सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध वे आरोप नहीं लगाये गये हैं जो विरोधीपक्ष ने लगाये हैं। लोक लेखा समिति ने कहा है कि इस मामले में और आगे जांच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लोक लेखा समिति के भूत-पूर्व सदस्य तथा अध्यक्ष होने की हैसियत से मैं यह कह सकता हूं कि इस समिति की 90 प्रतिशत सिफारिशों पर सरकार ने कार्यवाही की है और उन्हें क्रियान्वित किया है। ऐसे आरोपों का लगाया जाना उचित नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे आरोपों का लगाना चुनावों के समय कुछ प्रचारात्मक महत्व अवश्य रखता है। विरोधी सदस्य इस पार्टी के सामान्य सम्मान को थोड़ा-बहुत धक्का जरूर पहुँचा सकते हैं किन्तु संसद तथा लोक लेखा समिति की प्रतिष्ठा, सम्मान अथवा गरिमा उससे कहीं अधिक है। इसलिए उनसे मेरी यह अपील है कि वे इस तरह का मार्ग न अपनाएं अन्यथा देश में प्रजातंत्रीय प्रणाली सुरक्षित नहीं रह पायेगी।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं श्री खाडिलकर की इस बात से सहमत नहीं हूं कि चुनावों में फायदा उठाने के लिए विरोधी सदस्यों ने यह वातावरण तैयार किया है। वास्तविकता तो यह है कि देश के हित को ध्यान में रखकर यह प्रश्न उठाया गया है कि कुछ फर्मों को इस प्रकार की लूट-खसोट करने का मौका न दिया जाये। मैं इस सारी घटना का स्वागत करता हूं जिससे अनेक बातें सामने आयीं जोकि अन्यथा हमारी जानकारी में नहीं आतीं। इस सम्बन्ध में श्री सुब्रह्मण्यम का लोक लेखा समिति के समक्ष पेश होना, स्पष्टीकरण देना तथा फिर इस सभा में भिन्न-भिन्न वक्तव्य देने के कारण देश में उनके प्रति सन्देह और भी बढ़ गया। इन लेन-देन के मामलों के सम्बन्ध में श्री सुब्रह्मण्यम पर किसी ने भी आरोप नहीं लगाया है क्योंकि अमींचन्द

प्यारेलाल तथा अन्य सम्बन्धित फर्मों के साथ लेन-देन श्री सुब्रह्मण्यम के कार्यकाल में नहीं हुआ वरन् उनसे पूर्व मंत्री श्री स्वर्णसिंह के कार्यकाल में हुआ जिनके लिये श्री स्वर्णसिंह तथा उनके मंत्रालय के कुछ उच्च अधिकारी जिम्मेदार हैं। श्री सुब्रह्मण्यम ने जब नवम्बर 1962 में मंत्रालय का भार संभाला तभी उन्होंने इसके परिणामस्वरूप होने वाले सब दुष्प्रभावों के बारे में अनुभव किया और सरकार को भारी नुकसान हो जाने के कारण उन्होंने इन सब फर्मों के नाम कालीसूची में दर्ज कर लेने के लिए आदेश दे दिया। किन्तु बाद में उन्होंने ये आदेश वापस क्यों ले लिए। यही तो इस समस्या का निचोड़ है। इन आदेशों में परिवर्तन करने के लिए उन्होंने जो कारण बताये वे पर्याप्त तथा सन्तोषजनक नहीं हैं। यह जानते हुए भी कि इस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार चल रहा था, और जैसा कि इस बारे में उनके मंत्रालय से प्रगट हो गया था, तो ऐसी स्थिति में उन्हें सन्देह हो जाना चाहिये था कि वे लोग उस विशेष तारीख को उनसे मिलने क्यों आ रहे हैं, जब सारी बात खुल गई थी, तो उन्हें इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये थी। बजाय जांच करने के उन्होंने इस फर्म के प्रतिनिधि श्री जीतपाल को 20 जुलाई को मिलने की अनुमति दी और 23 जुलाई को अर्थात् उससे मिलने के तीन दिन बाद पहले वाले आदेशों में परिवर्तन कर दिया। इसलिए जनता का उनके आचार के विषय में सन्देह करना उचित तथा न्यायसंगत है। लोक लेखा समिति ने उचित आधार पर यह सन्देह उठाया है जिसका समर्थन सभी विरोधी सदस्यों तथा जनता ने किया है। अतएव मेरी सर्वप्रथम मांग यह है कि श्री सुब्रह्मण्यम को तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिये और समुचित जांच करने के लिये रास्ता साफ कर देना चाहिये। उनसे पूर्व मंत्री श्री स्वर्ण सिंह को भी, जिनके कार्यकाल में यह समूचे लेन देन को अन्तिम रूप दिया गया और जिसके परिणामस्वरूप सरकार को भारी हानि उठानी पड़ी, ऐसा ही करना चाहिये क्योंकि उनका आचार भी समान रूप से सन्देहास्पद है। ऐसा करना केवल उनके ही नहीं अपितु राष्ट्र के हित में भी है।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

लोक लेखा समिति ने सराहनीय कार्य किया है। हमें इस समिति पर गौरव है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि सारी सचाई सामने कैसे आयेगी और न्याय कैसे होगा। इस समूचे मामले में जांच पूरी तरह की जानी चाहिये क्योंकि इस फर्म तथा उससे सम्बन्धित फर्मों के जिनके नाम 1954 में तथा इसके बाद कई बार काली सूची में दर्ज किये जा चुके हैं, काले इतिहास के बारे में सरकार को भली भांति जानकारी है। इसलिए यह प्रश्न सरकार पर न तो दोषारोपण करने का है और न ही आगामी चुनावों का फायदा उठाने का, यह तो राष्ट्रीय हित की दृष्टि से एक गंभीर, विचारणीय तथा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिये इस समूचे मामले की जांच पूरी तरह करना आवश्यक है और जैसा कि लोक लेखा समिति ने सुझाव दिया है कि यह जांच नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिनिधियों तथा अन्य जरूरी अधिकारियों की सहायता से उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिये।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : लोक लेखा समिति ने लोक हित में सराहनीय कार्य किया है। मैंने विचाराधीन प्रतिवेदन तथा उससे सम्बन्धित सभी पत्रों का अध्ययन किया है। इस समिति ने मानक संहिता पर ध्यान नहीं दिया है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यह उल्लेख किया गया है कि इस्पात नियंत्रक ने इस संहिता के उप-खण्ड (5) की ओर ध्यान दिलाया है। यह संहिता एक अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इस बात की जांच की जानी जरूरी थी कि क्या कालीसूची में नाम दर्ज करने के लिये श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा दिया गया तथाकथित आदेश इस संहिता के अनुसार इस्पात मंत्री की शक्तियों का उल्लंघन था अथवा नहीं। इस संहिता के सम्बन्ध में मुझे जो थोड़ी-बहुत जानकारी है उसके अनुसार मन्त्री महोदय द्वारा कालीसूची में दर्ज करने के लिये जुलाई में दिया गया आदेश मन्त्री की शक्तियों का उल्लंघन था। वह गृह-कार्य मन्त्रालय तथा प्रशासनिक मन्त्रालय की सहमति के बिना ऐसा आदेश नहीं दे सकते थे।

मंत्री महोदय के विरुद्ध दुराशय सम्बन्धी कोई मामला नहीं है। किसी भी सदस्य ने श्री सुब्रह्मण्यम पर किसी भी प्रकार के बुरे आचार का आरोप नहीं लगाया है। अधिक से अधिक यही आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सचिव अथवा अपने से पूर्व मंत्री के प्रभाव में आकर यह कार्य किया। किन्तु सचिव ने कहा है कि उन्होंने मंत्री को प्रभावित नहीं किया और मंत्री महोदय ने भी वक्तव्य दिया है कि उन्होंने मंत्री के निर्देशन में आदेश नहीं दिया है। श्री सुब्रह्मण्यम के विरुद्ध एक बात जरूर है कि वह स्वेच्छा से समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिये गये। परन्तु क्योंकि समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि इन भूलों की जांच की जानी चाहिये और यह कार्य सतर्कता आयोग को सौंपा जा सकता है जिसका सभापति उच्च न्यायालय का एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश हो। किन्तु यह मामला जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच कराने का नहीं है।

किसी बाहर की एजेंसी से भी परामर्श नहीं किया जा सकता। जब श्री चागला, श्री चौधरी और श्री पाठक जैसे विख्यात विधिवेत्ता मंत्रिमंडल में हैं तो बाहर से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधान मंत्री को इस मामले में निर्णय करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिये।

संविधान के उपबन्धों के अनुसार, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करते हैं। इस स्थिति में, राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करते हुये प्रधान मंत्री इस मामले में स्वाधीन हैं और सभा को उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिये।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : यह कहना ठीक नहीं है कि लोक लेखा समिति ने श्री सुब्रह्मण्यम की निन्दा नहीं की है। मंत्री महोदय ने अमीनचन्द प्यारेलाल की फर्म को न ही कोई दण्ड दिया और न ही उससे कोई मुआवजा लिया। समिति ने स्पष्ट भाषा में कहा है कि ऐसा करके मंत्री महोदय ने एक तरह से उस फर्म को दोषमुक्त ही कर दिया है। उनके विरुद्ध यही मुख्य आरोप है।

परन्तु मैं नहीं चाहता कि इसके लिये श्री सुब्रह्मण्यम को बलि का बकरा बनाया जाये। वे परिस्थितियों का शिकार हुए हैं। इसके लिये वर्तमान पद्धति—भ्रष्ट राजनीतिज्ञों, भ्रष्ट मंत्रियों, भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट विभागों और व्यापारिक फर्मों के बीच सांठगांठ की पद्धति—जिम्मेदार है।

50वें प्रतिवेदन को पढ़ने से पता चलेगा कि केवल लोहा और इस्पात विभाग की ही निन्दा नहीं की गई है अपितु वाणिज्य विभाग की भी निन्दा की गई है। 50वें प्रतिवेदन में कहीं पर उल्लेख है कि इस फर्म-समूह ने—केवल यह फर्म-समूह ही नहीं अपितु वहां पर अन्य फर्मों का भी उल्लेख है—लोहा और इस्पात विभाग की परवाह नहीं की। 55वें प्रतिवेदन को भी पढ़ने से पता चलता है कि समिति ने इस विभाग के सचिव तथा लोहा और इस्पात नियंत्रक आदि की भी इस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के कारण आलोचना की है।

इस फर्म-समूह का पूर्व-इतिहास क्या है? इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के एक वर्ष बाद अपना कारोबार आरम्भ किया। 18 वर्ष के कांग्रेस शासन के दौरान इस फर्म-समूह ने सरकार के समर्थन से खूब पैसा बटोरा है और प्रत्येक विभाग में अपना रसूख बना लिया है। 50वें प्रतिवेदन में इन सब बातों का विस्तार से उल्लेख किया हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस सारी पद्धति को ही समाप्त किया जाना चाहिये। केवल श्री सुब्रह्मण्यम के त्यागपत्र से स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा। संसदीय समितियों द्वारा विभिन्न विभागों के बारे में जो प्रतिकूल विचार व्यक्त किये जायें उनको ध्यान में रखा जाना चाहिये और उनको दृष्टि में रखकर आगे कार्यवाही की जानी चाहिये।

हमें यह मालूम नहीं है कि विभिन्न स्थानापन्न प्रस्ताव नियमानुकूल समझे जायेंगे अथवा नहीं परन्तु मैं श्री पन्त के स्थानापन्न प्रस्ताव को मानने के लिये भी तैयार हो सकता हूं। 50वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुये जांच की जानी चाहिये। यह काम उच्च स्तरीय समिति की बजाय एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति को सौंपा जाना चाहिये। इस समिति को केवल श्री सुब्रह्मण्यम अथवा श्री स्वर्ण सिंह द्वारा कर्तव्य विमुखता की ही जांच नहीं करनी चाहिये, अपितु उन सभी उच्च अधिकारियों के आचरण की भी जांच की जानी चाहिये जिनकी इन नई समृद्ध फर्मों के साथ, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स्थापित हुई हैं, सांठगांठ है।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह आरोप पूर्णतया निराधार है कि इस फर्म के एक भागीदार श्री जीतपाल ने श्री सुब्रह्मण्यम से मुलाकात की थी और उस समय मैं भी वहां पर उपस्थित था। श्री सुब्रह्मण्यम ने भी लोक लेखा समिति की बैठक में साफ-साफ कहा था कि न ही उनके किसी सहयोगी ने उक्त फर्म की ओर से उनसे मुलाकात की थी और न ही उनका कोई सहयोगी इस फर्म के उक्त भागीदार के साथ उनसे मिला था। यह आक्षेप बिल्कुल गलत है और मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। मैं 1962 में इस मंत्रालय के कार्यभार से मुक्त हुआ था और 1957 से 1962 तक इस्पात मंत्रालय में जो कुछ भी हुआ है उसके

लिये मैं पूरी जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार हूं। मैं यह नहीं कहता कि मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती परन्तु मंत्री पद पर होने के नाते मैं उनके लिये उत्तरदायी हूं। मुझे इस बात से बहुत दुख होता है जब मंत्रियों के विरुद्ध इस तरह के आक्षेप लगाये जाते हैं जिनका कोई आधार नहीं है। विरोधी दल की विशेषाधिकार के बहाने इस प्रकार के आक्षेप लगाने की आदत सी बन गई है।

श्री मुरारका (झुंझुनू) : लोक लेखा समिति को जानकारी प्राप्त करने में सरकार से पूर्ण सहयोग मिला है और समिति की करीब करीब 95 से 98 प्रतिशत सिफारिशें सरकार द्वारा मंजूर कर ली जाती हैं और सरकार ने उन सिफारिशों पर पूरा पूरा ध्यान दिया है। परन्तु हमारी प्रणाली में कोई त्रुटि है क्योंकि सब सिफारिशों के स्वीकार तथा कार्यान्वित किये जाने के बावजूद प्रत्येक वर्ष वही गलतियां होती रहती हैं और उसी प्रकार जनता के पैसे की हानि होती रहती है।

उदाहरणार्थ, इस फर्म को स्थापित हुए 15 वर्ष हो गये हैं। इन 15 वर्षों में समिति की यह धारणा बन गई है कि इस फर्म ने सरकार के साथ चालबाजी की है और उससे तथा उसके अधिकारियों से अनुचित लाभ उठाया है। आम धारणा यह है कि कुछ फर्म सरकार से अनुचित लाभ उठा रही हैं और खूब पैसा बटोर रही हैं और वे प्रत्येक बार बच निकलती हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती है।

समिति नियुक्त करने के सरकार के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। परन्तु जिन लोगों के बारे में समिति को जांच करनी है वे बहुत प्रभावशाली हैं। उनके बहुत से मित्र हैं। इसलिये उस समिति में ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाये जिन तक इन व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति न पहुंच सके। अन्यथा समिति नियुक्त करने से कोई लाभ नहीं होगा और सरकार दोष मुक्त रहने की अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Before the committee commences its enquiry, Shri Subramaniam should resign from his office. Ministers who are responsible for loss of public money should be given the same punishment which is given to traitors of the country. Before the implementation of the recommendations of the Public Accounts Committee, the Ministers against whom strictures have been passed should resign from their office.

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): श्री मधु लिमये ने मुझसे दो प्रश्न पूछे थे। मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्री सुब्रह्मण्यम ने लोक लेखा समिति की बैठक में इस्पात मंत्रालय की फाइल की संबंधित टिप्पणी को शब्दशः दोहराया था। उसमें सही स्थिति बताई गई है और मुझे उसमें कुछ नहीं जोड़ना है। जहां तक अन्य प्रश्नों का, जो एपीजे कम्पनी के विरुद्ध शिकायतों के बारे में हैं, सम्बन्ध है, उसके विरुद्ध कुछ शिकायतें हो सकती हैं परन्तु इस समय मुझे उनकी जानकारी नहीं है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): अप्रैल, 1962 में कार्यभार संभालने के बाद, मैंने इस्पात के नियंत्रण में कुछ नये सुधार करने का प्रयास किया था,

केवल प्रणाली को बदलने की बात ही महत्वपूर्ण नहीं थी। मैं इस बात को भी महत्वपूर्ण समझता था कि जो लोग लोहा और इस्पात संबंधी कार्य कर रहे हैं उनमें नई मनोवृत्ति उत्पन्न की जाये। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए मैंने विभिन्न आदेश दिये थे।

मैंने उस फर्म के प्रतिनिधि से 20 तारीख को भेंट की थी और बातचीत के सारांश को 22 तारीख को लिखित रूप दे दिया गया था और मुझे भेजा दिया गया था। विचारणीय बात यह है कि क्या भेंट के दौरान कोई अनुचित बात हुई थी। यदि ऐसा हुआ होता तो मेरे लिये सबसे सरल बात यह थी कि मैं उस भेंट के बारे में बिल्कुल जिक्र ही नहीं करता। परन्तु इसके सर्वथा विपरीत, मैंने उसे लिखित रूप में रख दिया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरा उस भेंट को छिपाने का कोई इरादा नहीं था।

पत्र के दूसरे भाग को पढ़ने से यह पता चलेगा कि यदि कोई अनुचित बात हुई होती अथवा मैं किसी अनुचित दबाव के सामने झुका होता तो अवश्य ही मैं वह रुख नहीं अपना सकता था जो कि मैंने भेंट के समय अपनाया था। उस पत्र में यह लिखा हुआ था कि फर्म उस उच्चतम स्तर को बनाए रखेगी जिसका मैंने उन्हें संकेत दिया था। इस चीज को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्या मेरे लिये उस आदेश में परिवर्तन करना उचित था अथवा नहीं, इस बारे में मैं अपना इरादा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं केवल प्रणाली में ही परिवर्तन नहीं करना चाहता था अपितु मैं चाहता था कि लोगों के रुख में भी परिवर्तन किया जाये। यदि मैंने उनके रुख में परिवर्तन को देखते हुए, जैसा कि मुझे लिखे गये पत्र में प्रदर्शित किया गया था, आदेश की कठोरता को किसी हद तक कम करके कोई अनुचित बात नहीं की थी। उनका विशेष रूप से इस्पात का व्यापार था और जहां तक उस व्यापार का सम्बन्ध है, मेरा उस समय तक उस पर अधिकार था और मैंने आदेश को बदला नहीं था। यदि मैंने उन परिस्थितियों में आदेश की कठोरता को कुछ कम कर दिया था तो उसमें कोई बुरी बात नहीं की। इसलिये इस मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये।

मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो परन्तु 'असद्भावपूर्ण' शब्द का प्रयोग करने से उनका अभिप्राय यह नहीं था कि मैंने कुछ धन लिया अथवा कोई अन्य अनुचित बात हुई।

मैं लगभग 15 वर्ष से एक मंत्री के रूप में देश की सेवा करता आ रहा हूं और मेरा प्रयास यह ही रहा कि मेरा सेवा का रिकार्ड बिल्कुल दोषमुक्त हो। फिर भी मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने कोई गलती नहीं की है। मेरा यह ध्येय स्वतंत्रता मिलने से पहले से ही रहा है। परन्तु इस पर भी यदि सभा का मत भिन्न है तो मैं सभा के मत के सामने नतमस्तक हूं। मैं माननीय सदस्यों के विचारों को बहुत महत्व देता हूं चाहे वे इस पक्ष के माननीय सदस्यों के विचार हों अथवा विरोधी पक्ष के हों। एक बार मेरी सद्भावना पर सन्देह प्रकट किये जाने के बाद चाहे वह विरोधी दल के सदस्यों द्वारा ही प्रकट किया गया हो, मैं अवश्य ही मंत्री की हैसियत से कार्य नहीं कर सकता।

मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि श्री स्वर्ण सिंह मेरे मकान पर औपचारिक अवसरों के अतिरिक्त कभी नहीं आते। जहां तक श्री प्रताप सिंह कैरों का प्रश्न है, वह मेरे पास आते रहते थे। यह पता लगाने के लिये कि क्या वह मुझसे इस मामले में मिलने आये थे, मैंने सभी पुराने कागजात देखे परन्तु मैं कोई सुराग नहीं लगा सका। मुझे यह स्मरण भी नहीं आता कि वह आये थे अथवा नहीं। यदि वह आये भी हों तो इसका यह अर्थ नहीं है कि मुझ पर कोई राजनीतिक दबाव डाला गया। माननीय सदस्य तथा मेरे सहयोगी भी काफी मामले मेरे ध्यान में लाते हैं परन्तु उसका कोई गलत अर्थ नहीं लगाया जा सकता। जो कुछ भी हुआ है उसके लिये मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूं और यदि मैंने गलती की है तो मुझे उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। परन्तु मेरा दावा है कि मैंने इस मामले में कोई गलत कदम नहीं उठाया है। मेरा केवल यही निवेदन है कि मैंने जो तथ्य सभा के सामने रखे हैं उन पर गौर करके मेरे बारे में निर्णय किया जाये।

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहती हूं कि मैं इस बात का समर्थन करने में किसी से पीछे नहीं हूं कि सभी दोषी अथवा भ्रष्ट व्यक्तियों को उनके गलत कार्यों के लिये दण्ड दिया जाना चाहिये। मैं सभा को आश्वासन देती हूं कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति को संरक्षण नहीं दूंगी। परन्तु इसके साथ साथ मुझे यह भी देखना है कि किसी व्यक्ति के पीछे बुरी तरह न पड़ा जाये और उसके विरुद्ध सामान्य आरोप न लगाये जायें क्योंकि इससे प्रशासन ठप्प हो जाता है।

मैं अब मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों के बारे में की गई टिप्पणियों के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। सरकारी कर्मचारी सभा में अपनी सफाई नहीं दे सकते हैं। फिर भी उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। उनमें से कुछ भ्रष्ट अथवा अक्षम हो सकते हैं। परन्तु उन सभी को लपेट में ले लेना, जैसा कि विरोधी दलों द्वारा कभी कभी यहाँ पर किया जाता है, दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे प्रशासन की बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत ऐसे आम आरोप लगाने से बड़ा नुकसान होता है और भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ जाता है।

मेरे विचार से हमारी प्रशासन सेवा का न केवल हमारे अपने ही देश में ऊंचा नाम है परन्तु जो लोग विदेशों से यहां आकर उसे देखते हैं उनका भी यही ख्याल है। अतः मैं केवल यही कहना चाहती हूं कि हम ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहते हैं जिससे उनमें असन्तोष की भावना पैदा हो और उनकी कार्यसाधकता में कमी आये। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कोई गलत चीज मुझे पसन्द नहीं है।

जहां तक लोक लेखा समिति का सम्बन्ध है हमारे दिल में उसके प्रति बहुत आदर है। मैंने कुछ समय पहले सरकार के इस निर्णय की घोषणा कर दी थी कि लोक लेखा समिति की सिफारिश के अनुसार जांच समिति गठित की जायेगी। पहले किसी कारण यह विचार किया गया था कि इसकी घोषणा न की जाये और इसी लिये हमने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा था। बाद में 12 अगस्त को लोहा और इस्पात मंत्री ने इस निर्णय को लिखित रूप में

लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को भेजा। यह समिति इन सभी मामलों की जांच करेगी और जब उसके निष्कर्ष मेरे सामने आ जायेंगे तो मैं इस बात को ध्यान में रखूंगी कि समिति की सिफारिशों पर उचित कार्यवाही की जाये।

कई बार लोग यह महसूस करने लग जाते हैं कि अमुक मामले को जांच समिति को सौंप दिया गया है इसलिये सम्बन्धित लोग अवश्य ही अपराधी होंगे। इसीलिये किसी मामले को जांच के लिये सौंपने के हेतु प्रतिरोध किया जाता है। परन्तु इस सम्बन्ध में हम निर्णय कर चुके हैं।

यह महत्वपूर्ण बात है कि 55वें प्रतिवेदन में कोई विशिष्ट कार्यवाही करने के लिये सिफारिश नहीं की गई है। श्री सुब्रह्मण्यम की सद्भावना के बारे में भी शक नहीं किया गया है। उन्होंने भी कई बार इस सभा में स्थिति को स्पष्ट किया है तथा आपने भी यह विनिर्णय दिया है कि उन्होंने विशेषाधिकार भंग नहीं किया है। मैं इस बात से भी प्रभावित हुई हूं कि बहुत से विरोधी दल के वक्ताओं ने मंत्री महोदय द्वारा अपने आदेश में परिवर्तन किये जाने में असद्भावना की नियत का आरोप नहीं लगाया है।

जो कुछ मैंने कहा है उसको ध्यान में रखते हुये, मुझे आशा है कि सभी सदस्य स्थानापन्न प्रस्ताव वापिस लेने के लिये सहमत होंगे।

उस फर्म पर श्री सुब्रह्मण्यम ने जो प्रतिबन्ध लगाया था वह अब भी जारी है। परन्तु जब वह प्रतिबन्ध उस फर्म के कार्य से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाया गया तो उसके विरुद्ध वह फर्म न्यायालय में गई तथा रोधनादेश (स्टे आर्डर) जारी करवा लिया।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है वह मेरी समझ में नहीं आया है। भ्रष्ट अधिकारियों को हमेशा संरक्षण ही दिया गया है। मैं बहुत प्रसन्न होता यदि वह इस बात की तुरन्त घोषणा कर देतीं कि वह सिफारिश को स्वीकार करती हैं तथा प्रस्तावित समिति की नियुक्ति जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत की जायेगी। हम तब भी बहुत प्रसन्न होते यदि वह यह घोषणा करतीं कि इसकी जांच कौन-कौन से व्यक्ति करेंगे। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ने स्वयं यह कहा है कि यह कम्पनी तथा इससे सम्बन्धित व्यक्ति बहुत प्रभावशाली हैं इसलिये जांच करने के लिये व्यक्ति चुनते समय सरकार को सावधान रहना चाहिये। अतः इसकी जांच करने वाले व्यक्तियों के नाम यदि हमें बता दिये जाते तो बहुत अच्छा होता।

मेरे दो प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा पहला प्रश्न यह था, जिसको मंत्री महोदय ने स्पष्ट नहीं किया है, कि क्या उन सौदों के बारे में कोई पत्र श्री प्रताप सिंह कैरों से प्राप्त हुआ था जिसका सम्बन्ध दास आयोग जांच से था।

मेरी दूसरी बात यह है। 50वें प्रतिवेदन के 90वें पृष्ठ पर अमीनचन्द प्यारेलाल उद्योग

समूह की उन कम्पनियों की एक सूची दी गई है जो समय समय पर निलम्बित की जा चुकी है। परन्तु उस सूची में रामकृष्ण कुलवन्तराय का नाम नहीं दिया गया है। इससे यह पता चलता है कि जिस समय कम्पनियां सामान्य रूप से निलम्बित की गई थीं अथवा काली सूची में रखी गई-थीं वह कम्पनी अपना कारोबार करती रही। मेरे विचार से श्री सुब्रह्मण्यम ने ऐसा करने से घोर भूल की है। इसलिये मेरे विचार से मंत्री महोदय एक अच्छी परम्परा स्थापित कर सकते हैं यदि वह इस गलती के लिए अपना त्यागपत्र दे दें।

अन्त में मैं संथानम् समिति की सिफारिशों के बारे में कुछ कहूंगा। देश में ये सभी चीजें क्यों उत्पन्न हो रही हैं। गृह-कार्य मंत्रालय ने स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की अध्यक्षता में संथानम् समिति बनाई थी। यदि उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता तो मेरे विचार से ऐसे मसले उठने का अवसर ही न मिलता। यदि राजनीतिक दलों को निगमित निकायों द्वारा दान दिया जाना कानून द्वारा बन्द करा दिया जाये तो इस चर्चा का कुछ लाभ हो सकता है। मुझे आशा है कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरी पुनः प्रार्थना है कि हमें स्थानापन्न प्रस्ताव वापिस ले लेने चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : हम इस प्रार्थना पर विचार कर सकते हैं बशर्ते जांच आयोग स्थापित करने की हमारी मांग को स्वीकार कर लिया जाये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं सभा को यह आश्वासन देती हूं कि समिति के सदस्य वे लोग होंगे जिनपर सभा को पूरा विश्वास होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रधान मंत्री यह बता सकती हैं कि क्या जांच आयोग स्थापित किया जायेगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी नहीं……

श्री हरि विष्णु कामत : वे शर्मनाक काम कर रही हैं।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : वह जांच आयोग से क्यों डरती हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : उनके पिता ने मुंदड़ा के मामले में जांच आयोग स्थापित किया, उन्हें भी करना चाहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं किसी बात से नहीं डरती। मैंने कह दिया है कि हमने लोक लेखा समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।

श्री रंगा : (चित्तूर) लोक लेखा समिति को दबाव में काम करना पड़ता है। आपको याद होगा कि लोक लेखा समिति में मंत्री के आने के बारे में हमने आपत्ति की थी। तब मंत्री महोदय ने कहा था कि वह किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहते हैं।

मैं भी लोक लेखा समिति का अध्यक्ष रहा हूं। मुझे पता है लोक लेखा समिति किन परिस्थितियों में सिफारिशें करती है। सभा अब इस समस्या से अवगत है। पहले यह विचार किया गया था कि समिति बनाने से काम चल जायेगा। परन्तु अब यह उचित समझा गया है कि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जांच आयोग बनाया जाना चाहिये जो कानूनी तौर से साक्ष्य बुला कर उनका परीक्षण कर सकता है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : विरोधी दलों का यही मत है कि यह मामला जांच आयोग को सौंपा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरे स्थानापन्न प्रस्ताव में कहा गया है कि :

"यह सभा, लोक लेखा समिति के 55वें प्रतिवेदन पर विचार करके सरकार से सिफारिश करती है कि सारे मामले की जांच करने के लिये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये।"

हम चाहते है कि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत एक आयोग नियुक्त किया जाये जो इस बात पर बल दे।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) **:** You had promised to call me.

Mr. Speaker : On what subject do you want to speak ?

Shri Madhu Limaye : On the appeal made by Shri Subramaniam and the Hon. Prime Minister......

Mr. Speaker : The opposition party's reaction has been known.

Shri Madhu Limaye : How is it possible ? I press my substitute motion.

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : कोई स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये।

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर किसी स्थानापन्न प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिये अथवा नहीं। सभा की राय से परम्परा स्थापित की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री दीक्षित कोई नियम बता सकते हैं।

श्री त्यागी (देहरादून) : प्रक्रिया के लिये नियम बनाना सभा का विशेषाधिकार है। मेरे विचार से लोक लेखा समिति के किसी प्रतिवेदन की चर्चा के सम्बन्ध में कोई संशोधन अथवा प्रस्ताव नहीं होने चाहिये। केवल चर्चा ही होनी चाहिये।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : प्रस्तावों की ग्राह्यता के बारे में आपको निर्णय करना चाहिये।

श्री त्यागी : लोक लेखा समिति अथवा प्राक्कलन समिति में चुनाव एकल संक्रमणीय मत से होता है । इसलिये यदि उनकी एक मत सिफारिशों पर यहां चर्चा की जाती है और मत विभाजन होता है, तो यह प्रश्न उठता है कि समिति के प्रति निष्ठा होनी चाहिये अथवा अपने अपने दल के प्रति । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जब समिति की सिफारिशों पर चर्चा की जाये, तो उस पर कोई प्रस्ताव नहीं होना चाहिये ।

श्री गो० ना० दीक्षित : मेरा निवेदन है कि आपने यह कहा था कि आप इन स्थानापन्न प्रस्तावों की ग्राह्यता के बारे में निर्णय करेंगे । आपने अब इस समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है । इस बारे में कोई नियम नहीं है परन्तु आपने अपनी शक्ति से इस पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है । इसलिये ग्राह्यता के प्रश्न पर निर्णय करने का भी आपका कर्तव्य हो जाता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : आपके सुझाव के अनुसार सभा को एक नियम बनाना चाहिये कि किसी भी संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : Our substitute motion has been submitted. It is in accordance with Rules. Now I want to draw your attention towards the concerned Rules......

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं श्री त्यागी जी से सहमत हूं कि लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर मतदान नहीं होना चाहिये ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा निवेदन यह है कि इस बात का हल तभी हो सकता है यदि वे लोग जांच आयोग के लिये सहमत हो जाते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : श्री नम्बियार ने ठीक ही कहा है कि यदि सरकार जांच आयोग के लिये सहमत हो जाती तो यह बात ही न होती । ब्रिटेन के पूर्वोदाहरण का अंशतः उद्धरण देने का कोई लाभ नहीं । ब्रिटेन में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विरोधी दल का सदस्य होता है जबकि इस देश में ऐसा कभी नहीं होता । जब कोई बात उनके अपने लाभ के लिये होती है तो वे ब्रिटेन का उदाहरण देने लगते हैं । चूंकि इस मामले में अनुचित लाभ उठाने वाले लोगों को सरकार बचाना चाहती है इसीलिये हम चाहते हैं कि स्थानापन्न प्रस्ताव पर मतदान होना चाहिये ।

श्री अ० चं० गुह : अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्णय किया गया था कि लोक लेखा समिति अथवा प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिये । चर्चा हो चुकी है, अब प्रतिवेदन पर चर्चा हो सकती है । परन्तु यदि आप स्थानापन्न प्रस्ताव पर मतदान की अनुमति देते हैं, तो सभा में मतविभाजन होगा । चूंकि यह सभा का प्रतिवेदन है अतः सभा में कोई मतविभाजन नहीं हो सकता ।

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : इस विशिष्ट संशोधन से पता चलता है कि लोक लेखा समिति ने क्या किया है । यदि यह संशोधन बहुमत द्वारा अस्वीकार किया जाता है, तो

इसका तात्पर्य यह है कि हम लोक लेखा समिति के कार्य संचालन का अपमान करते हैं। इसलिये आपको यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि यह संशोधन नियम बाह्य है।

Shri Madhu Limaye : On a point of order, Sir. May I know whether P. A. C. Report is a party matter ?

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : लोक लेखा समिति के प्रस्तावों पर मतदान नहीं होना चाहिये, ऐसा नियमों में भी कहा गया है।

Shri Madhu Limaye : Sir, all the rules concerning motions apply here. I want to draw your attention to Rule 388 which says :

"388. कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा।"

If this is not possible, you will have to work according to Rules 364 and 365. Otherwise there is no alternative but to follow Rule 388.

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : इसके लिये पांच घण्टे नियत किये गये थे। अब पांच घण्टे समाप्त हो चुके हैं। अतः इसके लिये समय बढ़ाने से पहले कुछ नहीं किया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye : The question has been put. Now the closure cannot take place.

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्री पाटिल ने बता ही दिया है कि यदि स्थानापन्न प्रस्ताव पर मतदान किया गया तो क्या क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि हम इस परम्परा को अपना लेते हैं तो बहुत कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि नियम 342 को निलम्बित करना चाहिये। मेरा प्रस्ताव है कि :

"आज पेश किये गये स्थानापन्न प्रस्तावों पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 342 का लागू होना निलम्बित किया जाये।"

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : This fear is mounting in the minds of the people that other persons will be involved in the commission of enquiry and that is why they are not accepting it. It will be good therefore, in case the Hon. Prime Minister accepts it.

श्री नम्बियार : इससे समस्या हल हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : इस पर निर्णय करना सरकार का काम है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि प्रस्ताव सभा के नेता अथवा सत्तारूढ़ दल के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला है इसलिये मैं आपका ध्यान नियम 364 की ओर दिलाना चाहता हूं उसमें कहा है :

"जिस विषय पर सभा का विनिश्चय अपेक्षित हो वह सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर अध्यक्ष द्वारा रखे गये प्रश्न के द्वारा विनिश्चित किया जायेगा ।"

इस नियम को निलम्बित करने का तात्पर्य इस सभा में लोकतंत्र का हनन करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि आज पेश किये गये स्थानापन्न प्रस्तावों पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 342 का लागू होना निलम्बित किया जाये ।"

श्री दाजी (इंदौर) : हम इस पर बहस करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रस्ताव बिना नोटिस के आया है । अतः इसे कल तक के लिये स्थगित किया जाना चाहिये । हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं ।

प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"आज पेश किये गये किसी भी स्थानापन्न प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये न रखा जाये ।"

श्री नारायण दांडेकर : मैं जानना चाहता हूं कि कौन से प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये नहीं रखे जाने हैं ।

श्री त्यागी : इस मामले को नियम बनाने वाली समिति को सौंपा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रस्ताव यह है कि कोई भी स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये न रखा जाये । पांच स्थानापन्न प्रस्ताव हैं । ये प्रस्ताव सर्वश्री मधु लिमये, स० मो० बनर्जी, दाजी, हरि विष्णु कामत और कृ० चं० पन्त द्वारा पेश किये गये हैं ।

श्री नारायण दांडेकर : क्या पृथक पृथक प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ताकि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आज पेश किये गये किसी भी स्थानापन्न प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये न रखा जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—जारी

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE—Contd.

जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कथित शिकायत

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री तथा यू० एन० आई० के प्रतिनिधि की भेंट के बारे में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था। मैंने मुख्य मंत्री श्री सादिक से सम्पर्क स्थापित किया और उन्होंने बताया कि श्री जय प्रकाश नारायण की शेख के साथ भेंट का रेडियो तथा समाचार पत्रों में जिस प्रकार प्रचार किया गया था, उससे उन्हें क्षोभ हुआ क्योंकि उससे कुछ लोगों में यह गलत धारणा उत्पन्न हो सकती है कि कोई राजनीतिक बात-चीत आरम्भ कर दी गई है। सच्चाई यह है कि श्री जय प्रकाश नारायण ग्रामदान आन्दोलन के सम्बन्ध में 25 जुलाई से 9 अगस्त तक तमिलनाद गये थे और उस दौरान वह शेख अब्दुल्ला से मिले।

शेख़ अब्दुल्ला पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये हैं उनके अन्तर्गत सम्बंधियों तथा मित्रों को, सम्बन्धित अधिकारियों की अनुमति से, मिलने की मनाई नहीं है। श्री जय प्रकाश नारायण शेख अब्दुल्ला के पुराने मित्र हैं। उन्होंने मिलने के लिए आवश्यक अनुमति मांगी थी जो कि दे दी गई थी। मुख्य मंत्री को यह भय था कि इस भेंट के कारण अनिश्चितता उत्पन्न होगी परन्तु अब उनका यह विचार है कि उससे ऐसी कोई बात उत्पन्न नहीं हुई है। मुख्य मंत्री से इस भेंट के बारे में कोई परामर्श नहीं लिया गया था क्योंकि किसी नई नीति का कोई मामला नहीं था। श्री जय प्रकाश नारायण ने उनसे अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भेंट की थी। यह भी कहना उचित है कि केन्द्रीय सरकार तथा सादिक मंत्रिमंडल का सामान्य रूप से एक ही दृष्टिकोण है। ऐसा कहना कि शेख अब्दुल्ला तथा श्री जय प्रकाश नारायण की भेंट से काश्मीर की स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न हो जायेगी, वहां की वस्तुस्थिति को सर्वथा अयथार्थ रूप में समझना है।

जम्मू तथा काश्मीर के भविष्य के विषय में कोई अनिश्चितता नहीं है। हम बार-बार यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि काश्मीर का हस्तांतरण नहीं हो सकता और उस राज्य का भारत में शामिल होना अन्तिम है और उस निश्चय को बदला नहीं जा सकता।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: श्री जय प्रकाश नारायण तथा शेख की भेंट से काश्मीर में असुरक्षा की भावना फैल गई है। श्री धर ने भी बताया कि और अधिक एकीकरण के लिए सरकार को कई प्रस्ताव भेजे हैं और उन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। इससे लोगों में अनावश्यक ही अनिश्चितता की भावना पैदा होती है। इसलिए मंत्री महोदय इस अनिश्चितता को हमेशा के लिए हटाने के लिए क्या कदम उठायेंगे और क्या प्रधान मंत्री, सरकार के प्रमुख होने के नाते, एक सुस्पष्ट वक्तव्य देंगे जिससे सब अनिश्चितताएं दूर हो जायें? आगे ऐसी कार्यवाही की जाये जिससे कोई अनिश्चितता की भावना पैदा न हो सके।

श्री नन्दा : जम्मू और काश्मीर राज्य का वही पद है जो देश में अन्य राज्यों का है। भारत में इसे शामिल करने का निश्चय अन्तिम, पूरा तथा न बदले जाने वाला है। श्री सादिक साहब ने समझा था कि सम्भवत: श्री जय प्रकाश नारायण सरकार की ओर से किसी मिशन पर भेजे गये हैं, इसलिए उन्हें कुछ आपत्ति हुई थी।

श्री जय प्रकाश नारायण की स्थिति भारत-पाक युद्ध के पश्चात् बदल गई है। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान काश्मीर के मामले में भागी नहीं है। काश्मीर का मामला जम्मू तथा काश्मीर के लोगों तथा शेष भारत का आपस का प्रश्न है।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी): मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव भेजे गये थे और छ: महीनों से आपने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री नन्दा : सबसे महत्वपूर्ण बात यह की गई है कि अनुच्छेद 356 और 357 राज्य पर लागू किये गये हैं। इसका प्रभाव यह है कि अब जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर राष्ट्रपति का अनुशासन लागू करने के लिए उद्घोषणा की जा सकती है यदि राष्ट्रपति को यह संतोष हो जाये कि उस राज्य की सरकार भारत के संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। इसमें सभी अन्य बातें आ जाती हैं। सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में इन्दराज को राज्य पर लागू करने के लिए कुछ प्रस्ताव भी हैं जो राज्य सरकार के पास पड़े हैं। राज्य पर कुछ केन्द्रीय कानून लागू करने के सम्बन्ध में एक विधेयक पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री सादिक ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात् काश्मीर की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है और केन्द्र सरकार उनका परामर्श नहीं ले रही है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रधान मंत्री यह स्पष्ट बतायें कि काश्मीर पर सौदा नहीं किया जायेगा और किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं रहने दी जायेगी और सब प्रकार के आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : गृह-कार्य मंत्री ने स्पष्ट बता दिया है। जो कुछ उन्होंने बताया है, मैं उससे असहमत नहीं हूं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : The Policy of the Government of India in regard to the status of Kashmir has been ambiguous for the last 19 years. Article 370 of the constitution is applicable there and the facilities are not applicable there as made available to citizens of any other state of the country.

The Government's position about Sheikh Abdullah is also very ambiguous and the purpose of Shri Jai Prakash Narain's meeting with him is not understood. Prime Minister should say very clearly and categorically that there is no change, article 370 of the constitution will be removed and Government will not give protection to any Kashmir rebel !

श्रीमती इन्दिरा गांधी : काश्मीर में स्थिति पहले जैसी ही है। हम अपने कार्यक्रम चला रहे हैं किन्तु उन्हें अधिक तेजी से चलाने में कुछ कठिनाइयां हैं। हम काश्मीर सरकार से पूरी तरह परामर्श करते हैं और सम्पर्क रखते हैं। इस विषय में माननीय सदस्यों की सब आशंकायें सर्वथा निर्मूल हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : Had you any discussion with Shri Jai Prakash Narain ?

Shrimati Indira Gandhi : I did not have any discussion with him. Mr. Sheikh Abdullah is allowed to meet his relatives and friends.

Shri Prakash Vir Shastri : It has come out in the press that he had seen you before visiting Mr. Sheikh Abdullah.

Shrimati Indira Gandhi : He had written me a letter and sought permission to visit Mr. Sheikh Abdullah. It came to our mind that his visit to Mr. Sheikh would not do any harm to us. He had not gone to see him on behalf of the Government and no question of any change in policy is involved.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 अगस्त, 1966/1 भाद्र, 1888 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 23, 1966/Bhadra 1, 1888 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—12-1-68—565